खण्ड-141, अंक-3
मंगलवार, 30 भाद्रपद, शक संवत् 1876
(21 सितम्बर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 141 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २१ सितम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६०)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मोईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी , डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
टीकाराम , श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य , श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

बाबूलाल मीत्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मदतकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री

रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुल्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्टनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासु देव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री

सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के विद्यार्थियों की शिक्षा-शुल्क से मुक्ति

**१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के पढ़ने वाले छात्रों की फीस मुआफ करने की योजना पर वे विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो वह योजना क्या है?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—जी हां, बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के उन छात्रों को जो फीस देने में बिल्कुल असमर्थ हों जुलाई से नवम्बर तक की फीस से मुक्ति देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन छात्रों का नाम फीस न देने के कारण कट गया है उनपर विचार करेंगे कि उनकी व्यवस्था हो सके, उनका फिर से नाम लिखवाने की?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)—हां, अगर जुलाई से फीस न देने की वजह से नाम कटा होगा तो उसका विचार हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पारसाल भी इसी प्रकार सरकार की ओर से आदेश गया था फिर भी लोगों को फीस में छूट नहीं दी गई थी?

श्री हरगोविंद सिंह—इसकी सूचना चाहिये।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन शिक्षण संस्थाओं के लिये जो ग्रामीण लोगों की तरफ से चलायी जाती हैं, फीस माफी के आदेश के बाद सरकार उनको कोई सहायता देती है?

श्री हरगोविंद सिंह—श्रीमन्, इस प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं मालूम होता है।

श्री अध्यक्ष—वह तो पूछ रहे हैं कि अगर किसी गैरसरकारी शिक्षा संस्था ने फीस माफ.....

श्री हरगोविंद सिंह---यह बाढ़-पीड़ितों के संबंध में प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष---वहीं के लिये तो पूछते हैं कि सरकार उन गैरसरकारी संस्थाओं की मदद करती है या नहीं।

श्री हरगोविंद सिंह---जी नहीं, उनका प्रश्न दूसरा है। फिर दोहरा दें जरा।

श्री रामचन्द्र विकल---अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में उन प्राइवेट संस्थाओं को जो ग्रामीण लोगों की तरफ से चलाई जाती हैं, फीस माफ करने पर उनको कोई सहायता सरकार देती है?

श्री हरगोविंद सिंह---सहायता करने का एक नियम है। वह सभी जगह लागू होता है। चाहे कोई क्षेत्र हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बाढ़-पीड़ित और असमर्थ विद्यार्थी कौन हैं, इसकी जांच का क्या तरीका होगा?

श्री हरगोविंद सिंह---यह सब विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मंत्री इस पर विचार करने की कृपा करेंगे कि अप्रैल तक जब तक दूसरी रबी की फसल तैयार नहीं होती है तब तक लड़कों की फीस में छूट दी जायगी?

श्री हरगोविंद सिंह---यह भी विचाराधीन होगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन शिक्षण संस्थाओं को जो फीस माफ करने से नुकसान होगा उसको सरकार सहायता देने पर विचार कर रही है?

श्री हरगोविंद सिंह---यह तो प्रश्न के उत्तर में जवाब ही दिया कि यह सब प्रश्न उसके विचाराधीन है लेकिन एक एक प्रश्न का उत्तर देदें तो विचाराधीन क्या रहेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस विचाराधीन प्रश्न पर विचार कब तक समाप्त हो जायगा?

श्री हरगोविंद सिंह---बहुत जल्द।

तहसीलदारों के पदों पर वैभागिक नियुक्तियां

**२---श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)---क्या यह सही है कि सरकार ने कुछ तहसीलदारों के पदों पर विभागों से नियुक्तियां करने के लिये कोई कमेटी नियुक्त की है? यदि हां, तो उक्त कमेटी अपना कार्य कब से प्रारम्भ करने जा रही है?

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)---जी हां। उक्त कमेटी ने १३ से १७ सितम्बर, १९५४ तक उम्मीदवारों का इन्टरव्यू (Interview) किया।

श्री दलबहादुर सिंह---क्या माल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कितनी जगहों के लिये इंटरव्यू किये गये?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---१९।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १६ आदमियों के लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---प्रार्थना-पत्र नहीं आये थे जो पहले ही काम कर रहे हैं हमारे नायब तहसीलदार लोग उनके करेक्टर रोल में देख कर डी० एम० रिकमेंड करता है और जो लोग रिकमेंड किये जाते हैं उनको लैंड रिफार्म कमिश्नर इंटरव्यू के लिये बुलाता है और वे लोग बुलाये गये थे और उनमें से ही सेलेक्शन होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि लैंड रिफार्म कमिश्नर के अलावा उस कमेटी में कौन-कौन लोग थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---लैंड रिफार्म कमिश्नर के अलावा बनारस डिवीजन के कमिश्नर सिद्दीक साहब।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ये जो १६ आदमी चुने गये हैं उनमें कोई हरिजन भी चुना गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---अभी चुनाव का नतीजा प्रगट नहीं हुआ है।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन १६ जगहों के लिये कितने कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिये एंटरटेन किये गये ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---१७३ ।

राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को बाढ़ सम्बन्धी सूचना

**३---श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बाढ़ सम्बन्धी कोई सूचना भेजी है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि वह मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां, परन्तु प्रचलित रीति के अनुसार भारत सरकार को लिखे गये मूल पत्र की प्रतिलिपि मेज पर नहीं रखी जा सकती। भारत सरकार से जो कहा गया है उसका सारांश यह है---

मानसून इस वर्ष कुछ देर से शुरू हुआ और डर यह था कि राज्य के कुछ भागों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जायगी, परन्तु मध्य जुलाई से जब वर्षा शुरू हुई तो अनियमित रूप से कहीं तो बहुत अधिक, कहीं बहुत कम हुई। पश्चिमी जिलों में कम वर्षा हुई तथा कुछ पूर्वी जिलों में बहुत अधिक। जुलाई के अंतिम सप्ताह की अत्यधिक वर्षा से सरजू, बान गंगा, कुआनो, रोढ़हिणी, बड़ी गंडक (नारायणी) आदि नदियों में एकाएक बाढ़ आ गई, रक्षात्मक बांध जगह-जगह टूट गये और पानी दूर दूर तक फैल गया। दो दिन में १३ इंच पानी बरसने के कारण झांसी जिले में सुखनई तथा कुरार में बड़ी बाढ़ आ गई और काफी क्षति पहुंची। इन बाढों से हानि का सही अंदाज तो कुछ समय बाद ही किया जा सकेगा, परन्तु अनुमानित हानि का विवरण इस प्रकार है---

प्रभावित क्षेत्रफल	२५ लाख एकड़
प्रभावित जनसंख्या	१६ लाख
फसल को हानि	अत्यधिक
क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	१७,००० से अधिक

सरकार सभी सम्भव उपायों से पीड़ित जनता की सहायता कर रही है, परन्तु समस्या इतनी बड़ी है कि केन्द्र की सहायता के बिना हल नहीं की जा सकती। अतः भारत सरकार से ३०० लाख रुपये की सहायता आधी अनुदान के रूप में तथा आधी ऋण के रूप में मांगी गयी है।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार को कम्पेंसेशन और आदमियों के मरने की सूचना कुछ नहीं दी गई ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---अभी जितनी सूचना मिली है वह दे दी गई है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह प्रचलित प्रथा क्या है जिसके मातहत विधान सभा के माननीय सदस्यों को उस पत्र का सारांश नहीं बतलाया जा सकता ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---सारांश तो बतलाया जा सकता है। पूरा लेटर जो है वह मेज पर नहीं रक्खा गया है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि अभी हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय सिंचाई मंत्री सेंट्रल फ्लड बोर्ड की मीटिंग में देहली गये थे और वहां पर उत्तर प्रदेश की कारुणिक बाढ़ की स्थिति को पेश किया था और मांग पेश की थी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इसकी सूचना मुझे नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय माल मंत्री जी, जैसा कि उन्होंने अभी पत्र के आशय के बारे में कहा वह यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बाढ़ की स्थिति जब भारत सरकार को भेजी तो यह सूखे का प्रश्न भेजने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---उससे भी तो नुक्सान हुआ है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने इस पत्र का क्या उत्तर दिया ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---अभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार से बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिये अभी तक कुछ रकम मिली है या नहीं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह जो इस वर्ष मांग की गयी है उसमें अभी तक कोई रकम नहीं मिली है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाढ़ का विवरण जो उन्होंने केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है उसके साथ क्या सूखे का विवरण भी भेजा है ?

श्री अध्यक्ष---इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी को यह सूचना मिली है कि हमारे माननीय सिंचाई मंत्री सेंट्रल फ्लड बोर्ड की कमेटी में शामिल होने के लिये दिल्ली गये थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां, गये थे ।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस पत्र के फलस्वरूप तथा माननीय मुख्य मंत्री के सेंट्रल फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में भाग लेने के फलस्वरूप ८० लाख रुपया यू० पी० प्रांत को दिया गया है ? यदि दिया गया है तो उससे क्या स्कीम कार्यान्वित होने जा रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

माल विभाग में सदर कानूनगोयान के स्थान पर स्थायी नियुक्तियां

**४—श्री दलबहादुर सिंह—क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश के माल विभाग को सदर कानूनगोयान को दस जगहों पर स्थायी नियुक्तियां करना है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—दस नहीं, केवल ६ जगहों पर स्थायी नियुक्तियां होंगी।

**५—श्री दलबहादुर सिंह—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पदों के लिये कितने उम्मीदवार स्थायी होने के लिये शेष हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सात।

श्री दलबहादुर सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन जगहों पर स्थायी नियुक्ति होनी हैं वह कब तक हो जायंगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—वह चुनाव कर लिया गया है वह जल्दी ही हो जायगी।

श्री दलबहादुर सिंह—क्या सरकार कारण बतायेगी कि ये नियुक्तियां अब तक स्थायी क्यों नहीं हुईं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—स्थायी करने के लिये ही चुनाव किया गया था यह कोई कारण नहीं कि स्थायी क्यों नहीं हुए। जो जगह खाली होती हैं उन्हीं के लिये चुनाव किया जाता है। ७ लोग चुने गये और ६ जगह खाली थीं। इनमें से ६ स्थायी कर दिये जायंगे, एक के बारे में बाद में देखा जायगा।

[वित्त मंत्री से संबंधित १४-९-५४ के स्थगित तारांकित प्रश्न]

* * * *

कुटीर उद्योग के बिक्री-कर का मल्टिपिल प्वाइंट से सिंगल प्वाइंट करने पर विचार।

*९—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार कुटीर उद्योगों की वस्तुओं की बिक्री पर बिक्री-कर को Multiple point से Single point करने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—सरकार इस समय किसी भी ऐसे विशेष प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि मल्टीपिल प्वाइंट सेल्सटैक्स से काटेज इंडस्ट्री में होने वाली कठिनाइयों तथा समस्याओं पर सरकार विचार करने के लिये तैयार है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—काटेज इंडस्ट्री की बाबत जितनी भी कठिनाइयां हो रही हैं या होने वाली हैं उन पर सरकार विचार कर रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सेंट्रल टेक्सेशन इंक्वायरी कमीशन के सामने सरकार ने अपनी कोई नीति व्यक्त की ? अगर की तो वह क्या है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन बैठाया था, उसने यहां यू० पी० में आकर जिन-जिन बातों के मुताल्लिक गवर्नमेंट से पूछा उन्हीं बातों का तजकिरा हुआ है और बातों का नहीं।

कुटीर उद्योगों से बिजली के अतिरिक्त-कर का हटाया जाना

*१०--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या वित्त मंत्री कुटीर उद्योगों में काम में लाई जाने वाली बिजली पर से २५ प्रतिशत अतिरिक्त-कर हटाने पर विचार कर रहे हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह मामला अभी विचाराधीन है।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस पर अब तक क्या निश्चय हुआ है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह वित्त मंत्री के विचाराधीन नहीं है बल्कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की ओर से बैठाये गये कमीशन के विचाराधीन है। जब वह फैसला दे देगा कि किस काटेज इंडस्ट्री पर कितना-कितना असर इस ड्यूटी से पड़ता है, तब फाइनेंस डिपार्टमेंट उस पर विचार करेगा।

यू० पी० नेशनल चैम्बर्स आफ कामर्स ऐंड इण्डस्ट्रीज आगरा द्वारा राज्य सरकार को स्मृति-पत्र

*११--श्री देवकी नन्दन विभव--क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या U·P.National Chambers of Commerce and Industries, Agra से उन्हें कोई स्मृति-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बिक्री-कर सम्बन्धी जो अन्तर्प्रदेशीय कठिनाइयां पैदा हो गई हैं उस ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई बाचतीत की है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सरकार के पास यू० पी० नेशनल चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज, आगरा का एक स्मृतिपत्र (मेमोरेंडम) आया है जिसमें और बातों के साथ-साथ कुछ ऐसी कठिनाइयों का भी जिक्र किया गया है जो व्यापारियों को यूनाइटेड मोटर्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम बम्बई राज्य के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के फलस्वरूप उठानी पड़ती है। भारत सरकार इस मसले पर विचार कर रही है क्योंकि उसने इस मामले को आफिशियल्स कमेटी के पास भेजा था जिसने अनावासिक व्यापारियों पर कर लगाये जाने के बारे में कुछ तजवीजें की हैं और इस राज्य सरकार ने आफिशियल्स कमेटी की बहुत सी सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है।

श्री देवकी नन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आफीशियल्स कमेटी की सिफारिशें क्या हैं और उनमें से किस-किस को कार्यान्वित किया गया है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--आफीशियल कमेटी की सभी सिफारिशें अभी नहीं हुई हैं और उसका काम अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। उसने एक सिफारिश यह की थी कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग हुई है उससे पहले जो बिक्री हो चुकी है उस पर कर लागू न किया जाय। चुनांचे उनकी वह सिफारिश मान ली गई।

* * * *

विधायक निवास में सदस्यों के संबंधियों या बाहरी लोगों का निवास

*२६--श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवास में कितने सदस्यों ने अपने सम्बन्धियों को टिका रखा है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--३० सदस्यों ने अपने सम्बन्धियों को विधायक निवास में टिका रखा है।

*२७--श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह जून तथा जुलाई, सन् १९५४ से मुस्तकिल तरीके पर कितने सदस्यों की फैमिली विधायक निवास में रही है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम--३२ सदस्यों की फैमिली विधायक निवास में माह जून तथा जुलाई, सन् १९५४ से मुस्तकिल तरीके पर रह रही है।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन सदस्यों ने अपने सम्बन्धियों को टिका रखा है वे कमरे दो सदस्यों के नाम एलाट हैं या एक के ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम--इसमें से निकाल कर बतलाना पड़ेगा लेकिन मेरा ख्याल यह है कि दो मेम्बरों के पास भी हैं ऐसे कमरे।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास कोई ऐसी भी शिकायत आयी है कि इस प्रकार से आदमियों को टिकाने से दूसरे सदस्यों को तकलीफ होती है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम--जी हां, आयी है।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन शिकायतों पर क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम--पहले कभी आयी तो मुझे याद नहीं। लेकिन हां, अभी सुबह मेरे पास शिकायत आयी है तो अब मैं उसके ऊपर कुछ करूंगा।

श्री अब्दुल मुईज़ खां--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सदस्यों के सम्बन्धियों के अलवा दूसरे लोग भी ऐसे कमरों में टिके हुए हैं ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम--जी हां, उनका व्योरा है और उनकी फेहरिस्त जुदा है इससे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या यह सत्य है कि यह तय हो चुका है कि जो बाहर के लोग विधायक निवास में रह रहे हैं वे अलग कर दिये जायंगे ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम--मैंने यह समझा कि बाहर के आदमियों के मुताल्लिक यह सवाल है तो उसका जवाब मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि बाहर के आदमी भी हैं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--क्या बड़े कमरों में एक कोई सदस्य अपने परिवार को यदि रखे तो उस पर कोई रोक है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम--इस पर रोक जरूर है कि ऐसा कोई काम किसी कमरे का रहने वाला न करे जिससे उसके साथ रहने वाले को तकलीफ हो।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंग कि जो विधायक निवास में बाहर के आदमी रह रहे हैं उनको कब तक अलग कर दिया जायगा ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम--मेम्बरान ने खुद इसके मुताल्लिक एक तजवीज की थी । उसके ऊपर अमल हो रहा है और रफ्ता-रफ्ता वे वहां से अलग हो रहे हैं।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--विधायक निवास में विधायक लोग अपने अजीज और दोस्त को रखें, इसके ऊपर सरकार ने क्या कोई पाबन्दी लगा रखी है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम--सरकार ने कोई कानूनी पाबन्दी तो आयद नहीं की है लेकिन अखलाकी पाबन्दी हर एक पर आयद है जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि साथ रहने वाले को कोई तकलीफ न हो।

* * * *

फर्रुखाबाद जिले में सन् १९५१-५२ तथा ५२-५३ में बिक्री-कर का प्राक्कलन तथा कर-वसूली

*३८--श्री चिरंजीलाल पालीवाल (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में सन् १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में बिक्री-कर के एस्टीमेट क्या थे और क्रमशः कितना कर वसूल हुआ ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--राजस्व प्राप्ति (रेवेन्यू रिसीट) के तखमीने सारे राज्य के लिये तैयार किये जाते हैं न कि जिलेवार। इसलिये १९५१-५२ और १९५२-५३ में फर्रुखाबाद जिले के राजस्व प्राप्ति के तखमीनों के आंकड़े अलग-अलग देना मुमकिन नहीं है। लेकिन फर्रुखाबाद जिले में १९५१-५२ में ५,१८,९३२ रु० और १९५२-५३ में ५,५०,४१७ रु० की वास्तविक वसूली हुई थी।

श्री चिरंजीलाल पालीवाल--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह वसूली किस प्रतिशत से हुई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--वहां के कुल एस्टीमेट यह थे, परसेंटेज का कोई सवाल नहीं उठता।

श्री गेंदा सिंह--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २ साल में इतने बड़े फर्क की क्या वजह है कि एक साल ५ लाख और दूसरे साल ५५ लाख का एस्टीमेट हुआ ?

श्री अध्यक्ष--वह तो गलत पढ़ा गया था, वह मैंने ठीक करा दिया था, वह ५५ लाख नहीं था, ५ लाख ५० हजार था।

* * * *

हाथरस में मार्च, १९५४ के बाद लाइट तथा पावर कनेक्शनों का दिया जाना

*५९--श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाथरस, जिला अलीगढ़ में मार्च सन् १९५४ से अब तक कितने लाइट कनेक्शन और कितने पावर कनेक्शन दिये गये हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--१ मार्च, १९५४ से ३१ अगस्त, १९५४ तक हाथरस में १ पावर कनेक्शन और १ लाइट कनेक्शन दिये गये हैं।

श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन व्यक्तियों को यह कनेक्शन दिये गये हैं उनके प्रार्थना-पत्र कब आये थे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--तारीख देने की तो मौजूद है लेकिन प्रार्थना-पत्र मेरे पास नहीं है जिनसे मैं बता सकूं कि किस तारीख को आये थे।

श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या मंत्री जी को मालूम है कि यह पावर कनेक्शन जिसको दिया गया है उसके पास एक दस हार्स पावर का कनेक्शन पहले से है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मुझे नहीं मालूम है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी मेरे इस प्रश्न की सूचना के आधार पर इन्क्वायरी कराने की कोशिश करेंगे ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---कनेक्शन था या नहीं, यही वह चाहते हैं तो मालूम करा लिया जायगा।

[२१ सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न]

ज़िला मुज़फ्फरनगर के फुगाना ग्राम की कृषि योग्य भूमि में पानी भरने से हानि की जांच

*१---श्री श्रीचन्द---क्या सरकार ने जिला मुजफ्फरनगर के जिलाधीश द्वारा जांच कराई है कि ग्राम फुगाना की कृषि योग्य भूमि में बरसाती पानी के भर जाने से वहां के कृषकों को प्रति वर्ष बड़ी हानि उठानी पड़ती है ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---जिलाधीश मुजफ्फरनगर ने तहसीलदार कैराना द्वारा ग्राम फुगाना की भूमि की जांच कराई थी।

*२---श्री श्रीचन्द---क्या इस भूमि के बचाव के लिये मुख्य इंजीनियर सिंचाई को जांच करने के लिये लिखा गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जिलाधीश मुजफ्फरनगर ने एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर, यमुना कैनाल को भी जांच करने के लिये लिखा था।

*३---श्री श्रीचन्द---यदि कोई जांच हुई है तो क्या सरकार उस जांच की रिपोर्ट मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---एक्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा जांच की रिपोर्ट की प्रतिलिपि माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ? पर)

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलदार केराना ने इस सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट दी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---तहसीलदार केराना की रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है। लेकिन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की जो रिपोर्ट है वह माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जो नाला बनाने के लिये और इस नाले को कृष्णा नदी में डालने के लिये लिखा है उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी, हां। उस पर कार्यवाही की गई है। उसका प्रोजेक्ट मंजूर कर लिया गया है और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को आज्ञा दे दी गई है कि वह कार्यवाही आरम्भ करें और सम्भवतः कार्य शुरू भी हो गया होगा।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि साढ़े आठ सौ रुपये जो इस गांव के आदमियों ने इकट्ठे किये थे वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से नहर विभाग को ट्रांसफर कर दिये गये या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सम्भवतः अभी तो ट्रांसफर नहीं हुये लेकिन उम्मीद है कि शीघ्र ट्रांसफर हो जायंगे क्योंकि कलेक्टर ने ऐसा आश्वासन दे रखा है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्षा से कितने क्षेत्र में हानि पहुंचती है और प्रतिवर्ष कितनी हानि होती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी कोई तालिका तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यह जो रिपोर्ट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की है इसी से मालूम होता है कि काफी बड़े क्षेत्र में इसकी वजह से पानी रुकता है और प्रति वर्ष काफी नुकसान होता है। मैं यहां यह भी सूचना दे दूं कि मुझे अभी सूचना मिली है कि ८५० रुपये जो मिलने वाले थे वे प्राप्त हो चुके हैं।

*४-५---श्री रामसुन्दर पांडेय---[स्थगित किये गये।]

*६-७---श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---[२९ सितम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या २२-२३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*८---श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--- [स्थगित किया गया।]

गौलापार, ज़िला नैनीताल की जलकष्ट निवारणी संस्था द्वारा सिंचाई विभाग को शिकायतें

* ९---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि जलकष्ट निवारणी संस्था, इलाका गौलापार दीनावंगर, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल ने सिंचाई विभाग के पास कुछ शिकायतें भेजी हैं ? अगर हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---गोलापार इलाका से जलकष्ट निवारणी संस्था द्वारा प्रेषित प्रार्थना-पत्र का उद्धरण सिंचाई विभाग में प्राप्त हुआ है और उसमें उल्लिखित शिकायतों की जांच-पड़ताल की जा रही है, जिसका विवरण प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उल्लिखित संस्था की मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उसकी शिकायतें यह हैं कि पीने के लिये पानी की तकलीफ होती है। यह भी शिकायत थी कि नहर अधिकारियों ने उदासीनता का परिचय दिया है कि वह इसकी जांच-पड़ताल भी नहीं करते हैं। ऐसी शिकायतें हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि इस इलाके में बहुत वर्षों से ट्यूबवेल और नाले बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---तराई भाबर में जल का जो कष्ट है ही, यह प्रत्यक्ष बात है। हम ट्यूबवेल्स बना रहे हैं, गूलें बन रही हैं और कुछ बनाते चले जा रहे हैं ? उस कष्ट को दूर करने का इरादा तो सरकार का है ही।

*१०---श्री नारायणदत्त तिवारी---[२७ सितम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कुमायूं में सिंचाई की योजनाओं को परिचालित करने के हेतु सर्वे डिवीजन का पुनः खोला जाना

*११—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि कुमायूं में सिंचाई की योजनाओं को परिचालित करने हेतु सर्वे डिवीजन दुबारा खोला जा रहा है ? अगर हां, तो कब से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। कुमायूं में सिंचाई की योजनाओं को परिचालित करने के हेतु गढ़वाल और कुमायूं सर्वे डिवीजन दुबारा दिनांक २० जुलाई, १९५४ से खोला गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस कुमायूं सर्वे डिवीजन को पहले बन्द किये जाने का क्या कारण था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उसका कारण एक तो यह हो गया था कि शायद खर्च कम हो और दूसरे यह भी सोचा गया था कि कुमायूं और गढ़वाल में छोटी छोटी सी योजनायें चल रही हैं जो प्लानिंग कमेटी कर रही है मगर उसमें सुविधा नहीं हुई काम ज्यादा बढ़ा है और एक तरह से मांग भी हुई कि फिर से काम में लाया जाय। फिर से काम में ले आने का विचार है और हमें पूर्ण आशा है कि हमारा काम वहां तेजी से चलेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह सर्वे डिवीजन अब कौन-कौन सी योजनायें परिचालित कर रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसके लिये यों तो नोटिस की आवश्यकता होगी लेकिन जो रुपया रखा गया है कुमायूं और गढ़वाल के लिये वह सब चारों जिलों के लिये ६ लाख रुपया या कितना मुझे ठीक फिगर्स याद नहीं है, उनसे योजनायें परिचालित होंगी और नई योजनायें भी ली जायेंगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो हाईड्राम की स्कीमें कुमायूं के लिये लागू की जाती हैं क्या उसमें कुमायूं सर्वे डिवीजन के अन्तर्गत काम किये जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, अवश्य किये जायेंगे। अभी तो हमें एक प्रयोग करना है और हमारा इरादा है कि शीघ्र ही उसका प्रयोग आरम्भ करें। बरसात बीतने के बाद ही सरकार का उसको आरम्भ करने का इरादा है और विशेषकर अल्मोड़ा जिले में ही आरम्भ किया जायगा।

श्री सत्य सिंह राणा—(जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सर्वे डिवीजन टेहरी-गढ़वाल में भी काम करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस सर्वे डिवीजन के चार सब-डिवीजन हैं। एक नैनीतालमें, एक अल्मोड़ा में, एक गढ़वाल में और एक टेहरी-गढ़वाल में और सर्वे डिवीजन का हेडक्वार्टर नैनीताल में है। तो स्पष्ट है कि यह टेहरी-गढ़वाल में भी काम करेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार को यह मालूम है कि कुमायूं सर्वे डिवीजन में जितने इंजीनियर्स इर्रीगेशन में हैं वह सब सिविल इंजीनियर्स हैं, और हाईड्राम की मशीन को चलाने के लिये कोई मैकेनिकल इंजीनियर रखने की जरूरत है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अगर ऐसी आवश्यकता होगी तो किया जायगा, लेकिन हाईड्राम की मशीन ऐसी नहीं है कि जिसे सिविल इंजीनियर न चला सकें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो पीने के पानी की योजना है, उसको भी यही सर्वे डिवीजन चालित करेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, इतना सब धन कहां से आयेगा यह तो डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन डिपार्टमेंट का जितना भी काम है वह सब यही सर्वे डिवीजन करेगा।

गोरखपुर में बिजली लगने से मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा

*१२--श्री भगवान सहाय---क्या सरकार को पता है कि गोरखपुर में जून या जुलाई, १९५४ के मास में ४ आदमी बिजली की लाइन पर काम करते समय बिजली से जल कर मर गये ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां।

*१३--श्री भगवान सहाय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई जांच कराई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इस मामले में जांच हो रही है।

*१४--श्री भगवान सहाय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन चारों मरे हुये आदमियों के डिपेण्डेण्ट्स को सरकार कोई मुआविजा दे रही है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मुआवजे के सवाल पर जांच पूरी होनेपर विचार किया जावेगा।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच कौन कर रहा है और कब से कर रहा है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह जांच तो अभी अगस्त से शुरू हुई है और वहां के जो इंजीनियर इंचार्ज हैं, वही कर रहे हैं।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच कब तक खत्म हो जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मेरे ख्याल में अब शायद पुटअप भी हो गई होगी, अब तक याने जब से यह सवाल का जवाब तैयार हुआ है और मुमकिन है कि १०, ५ रोज में यह खत्म हो जाय, या खत्म हो गयी हो।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जवाब उन्होंने दिया है वह इंफार्मेशन कब तक की है, किस तारीख तक की ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं आपका मतलब समझा नहीं। जवाब जो मैंने दिया है वह मेरा यकीन है कि इससे पहले तैयार हो चुका होगा।

श्री अध्यक्ष---वह तारीख जानना चाहते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यहां जो मैं जवाब दे रहा हूं, वह यह है। दफ्तर में कब तैयार हुआ और कितने दिन लग गये, यह सब मुझे नहीं मालूम।

श्री रामदास आर्य––क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह लाइन पर काम करने वालों को पर मंथ क्या मिलता है और यह अस्थायी नौकर हैं या स्थायी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––मैं बिल्कुल ठीक नहीं कह सकता कि वह आरजी थे या मुस्तकिल, मगर इस काम को करने वाले तकरीबन मुस्तकिल हैं ?

श्री शिवनारायण––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो ४ आदमी मर गये हैं उनके परिवार को कुछ कम्पेंसेशन देने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष––इसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है।

श्री भगवान सहाय––क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो काम हो रहा था वह विभाग के कौन से अफसर के डाइरेक्ट सुपरविजन में हो रहा था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––नाम तो मैं नहीं बतला सकता हूं लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर जो उस जगह का इंचार्ज होगा उसकी निगरानी में होता है और वह हर वक्त वहां खड़ा भी नहीं रहता।

जिला आजमगढ़ के अमिला नलकूप में पानी की कमी

*१५––श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)––क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अमिला नलकूप (जिला आजमगढ़) में उसके कमांड एरिया के हिसाब से कम पानी आता है ? अगर हां, तो सरकार का इसे ठीक करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––इस समय इस नलकूप से १७,००० गैलन पानी प्रति-घंटा निकलता है, जो औसत से कम है। इससे अधिक पानी प्राप्त करने के लिये इसको साफ करने का प्रयत्न किया जा रहा है और आशा है कि इस उपाय से अधिक पानी मिल सकेगा।

*१६-१८––श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)––[स्थगित किये गये।]

*१९-२१––श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)––[स्थगित किये गये।]

खुर्जा, अनूपशहर तथा बुलंदशहर तहसीलों में कृषि उन्नति के लिए बने कुओं पर छूट

*२२––श्री रामचन्द्र विकल––क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले की तहसील बुलन्दशहर, अनूपशहर व खुर्जा में कितने-कितने कुयें सन् ५२-५३ में कृषि उन्नति के लिये बनाये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––सन् १९५२-५३ में बुलन्दशहर की तहसील बुलन्दशहर १८५, तहसील अनूपशहर में १०७ व तहसील खुर्जा में ११९ कुयें बनाये गये।

*२३––श्री रामचन्द्र विकल––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन कुओं में से कितने तहसीलवार ऐसे हैं जिन पर पूरी छूट दी गई और कितने ऐसे हैं जिन पर आधी छूट दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––उपरोक्त बने हुये कुओं पर जो छूट दी गई वह इस प्रकार है। तहसील बुलन्दशहर में ५ कुओं पर ५०० रु० की छूट और ३२ कुओं पर २५० रु० की छूट। तहसील अनूपशहर में २ कुओं पर ५०० रु० की छूट और २८ कुओं पर २५० रु० की छूट तथा तहसील खुर्जा में २६ कुओं पर २५० रु० की छूट दी गई।

श्री रामचन्द्र विकल––क्या सिंचाई मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन पर छूट नहीं दी गई अधिकांश उनमें से ऐसे कुयें हैं जिनके बारे में सरकार का पूरी छूट का आदेश था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी सूचना तो मुझे है नहीं। लेकिन जो तालिका है उससे मुझे ऐसा अन्दाजा लगता है कि बहुत से कुयें हैं जिनका निरीक्षण अभी नहीं हो पाया है और जिसका निरीक्षण होता जाता है वह पास किया जा रहा है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या सिंचाई मंत्री जी बतायेंगे कि निरीक्षण करने में सरकारी कर्मचारी कितना समय लेते हैं कुआ बनने के बाद ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--समय तो नहीं ज्यादा लेना चाहिये और उसी दिन निरीक्षण हो जाना चाहिये।

जिला फर्रुखाबाद के रसूलपुर ग्राम में वर्षा के पानी का रुका रहना

*२४--श्री चिरंजीलाल पालीवाल--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला फर्रुखाबाद की तहसील छिबरामऊ के ग्राम रसूलपुर में वर्षा के पानी को बाहर निकालने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ग्राम रसूलपुर का क्षेत्र रजबहा सकरावा पर मील ८-३ १/२ से मील ९-३ १/२ तक दोनों ओर विस्तृत है।

दक्षिण क्षेत्र का जल रजबहा के मील ९-१-१४८ के ग्रामीण मार्ग के साइफन से होता हुआ खरी नाले से होकर अरिन्द नदी में मिलता है। उत्तर क्षेत्र का बहाव विकूपुर नाले में है। रजबहा के मील ९-१ से ९-५ के दक्षिणी धान के क्षेत्र का बहाव रजबहा के ९-१-१४८ के साईफन पर निर्मित है।

*२५--श्री चिरंजीलाल पालीवाल--क्या सरकार इस पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था के हेतु कोई योजना बनावेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री चिरंजीलाल पालीवाल--क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस साइफन के होते हुये भी हर वर्ष बरसात में यह गांव पानी में डूबा रहता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी कोई खबर मुझे नहीं है। अगर माननीय सदस्य इसकी खबर दें तो जांच-पड़ताल करा ली जायगी।

श्री चिरंजीलाल पालीवाल--यदि वह पानी से डूब रहे हैं और यह सरकार को पता लगे तो क्या वह ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे पानी वहां से निकल सके ?

श्री अध्यक्ष--यह तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं और उन्होंने अपने जवाब में कह भी दिया है।

रिहन्द डैम में सिंगरौली परगने के डूब में आने वाले गांवों की जनसंख्या के पुनर्वासन की योजना

*२६--श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रेणुका बांध (रिहन्द डैम) में दुद्धी तहसील के सिंगरौली परगने के कुल कितने ग्राम डूब में आ रहे हैं, उसका पूरा क्षेत्रफल कितना है तथा उसकी कुल जन संख्या कितनी है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--रिहंद डैम रिजरवाइर के बनने से दूधी तहसील के सिंगरैली परगने के कुल ८८ ग्राम जिनकी जनसंख्या ३१,००० और क्षेत्रफल ४९,४४५ एकड़ है, डूब में आ रहे है

*२७--श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार बतायेगी कि इस जन संख्या के पुनर्वास का क्या प्रबन्ध सरकार करन जा रही है तथा मआवजा किस-किस रूप में कितना देने जा रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इस जन संख्या को फिर से बसाने के लिये एक योजना चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग (Chief Engineer, Irrigation Department) ने १९४९ में भेजी थी। परन्तु उस समय रिहन्द डैम का काम धीमा कर देने की वजह से इस योजना पर विचार स्थगित कर दिया गया था।

चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग (Chief Engineer,Irrigation Department) से अब कह दिया गया है कि वे इस योजना को आजकल की मजदूरी और सामान के दरों के अनुसार फिर से ठीक करें और उसको रिहन्द डैम कंट्रोल बोर्ड (Rihand dam Control Board) के विचार के लिये भेजें ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो क्षेत्रफल डूब में आ रहा है उसमें खेती के अन्दर कितनी जमीन है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जो जमीन मैंने बतलाई है कि इसमें ४९, ४४५ एकड़ जमीन का जितना हिस्सा कल्टीवेशन में है वह अलग दिखाया हुआ नहीं है ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९४९ में चीफ इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो योजना भेजी थी, वह क्या है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अगर क्या है से मतलब यह है कि इसमें क्या-क्या चीज शामिल थी तो मैं अर्ज करता हूं कि इसमें जमीन की कीमत दें, मकान बनाने के लिये रुपया दें और शफाखाने का इंतजाम करें। वहां जमीन जो खेती के लिये दी जायगी उसके लिये सिंचाई का इन्तजाम करें, वहां के रहने वालों के लिये स्कूल का इन्तजाम करें, इन सब चीजों का खर्चा इसमें शामिल था।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना का कोई तखमीना भी उन्होंने दिया था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--तखमीना मेरे ख्याल में ६७ लाख रुपये का था ।

श्री रामनरेश शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ग्राम वासियों को बसाने के लिये किसी जमीन का प्रबन्ध किया गया है और यदि हां, तो कहां ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जिस जगह यह रिजरवायर बनाया गया है उससे बिलकुल एक इलाका है जो रीवां स्टेट का था। अब विन्ध्य प्रदेश गवर्नमेंट से और हमारी गवर्नमेंट से कीमत पर बातचीत हो रही है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन गांवों को अटरेंडम बसाया जायगा या किसी माडल विलेज पर बसाया जायगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--आज कल जो काम किया जायगा वह तो माडल योजना के तरीके पर ही होगा।

तहसील अकबरपुर, जिला कानपुर में रिन्द नदी के खाकी एरिया में सिंचाई की असुविधा

*२८--श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--क्या सिंचाई मंत्री को यह पता है कि जिला कानपुर,तहसील अकबरपुर के रिन्द नदी के खाकी एरिया में सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त क्षेत्र में सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है ।

*२९--श्री रामदुलारे मिश्र --क्या सरकार रिन्द नदी के उपर्युक्त खाकी एरिया में सिंचाई की व्यवस्था के लिये कोई प्रबन्ध करने का विचार रखती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--रिन्द नदी में पानी की कमी के कारण उपर्युक्त क्षेत्र में सिंचाई की इस समय कोई योजना नहीं है।

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या माननीय सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लगभग ७० हजार आबादी है इस खाकी क्षेत्र में, जबकि रिन्द नदी और नहर से सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो सकती, तो इस क्षेत्र में अति शीघ्र नल कूपों की योजना क्या सरकार लागू कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जो ऐसा क्षेत्र है कि जहां सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं उसकी ओर सरकार का ध्यान तो रहता ही है।

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि उपरोक्त क्षेत्र की जनता की प्रार्थना और सिंचाई की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ....

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर लिखित प्रश्न न पूछें।

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या माननीय मंत्री को यह पता है कि उस जनता की प्रार्थना और उस क्षेत्र की सिंचाई आवश्यकता को महसूस करके कंसुवा रजबहे से एक माइनर निकालने की सरकार ने व्यवस्था की थी और उसके लिये जमीन की नाप और प्रारम्भिक कार्यवाही भी हो चुकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुझे इसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो।

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी इसका पता लगा कर उस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था शीघ्र करने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अभी रजबहा बनने वाला था या नहीं अगर इसका पता लगाने की आवश्यकता हो तो लगा लिया जायगा। मैं समझता हूं कि इस समय माइनर नहीं बनायी जायगी, क्योंकि नहर में पानी की कमी है। गवर्नमेंट ने यह स्वीकार किया है कि इस क्षेत्र में पानी की कमी है और उस तरफ सरकार का ध्यान है।

गोरखपुर जिले में घियहवा नाले की सफाई

*३०---**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला गोरखपुर में घियहवा उर्फ चौरमा नाला जो बखिरा झील उर्फ ताल भंड़ाच से निकल कर राप्ती नदी में गिरता है जिसे पारसाल साफ कराया गया था वह इस साल फिर कुछ लोगों ने बांध दिया है जिसके कारण पानी रुका हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---दिसम्बर, १९५३ में कुछ मछुवों ने बखेरा नाले (ड्रेन) में बांध बना लिये थे। ये बांध बोरों बोने के पहले उचित समय पर हटा दिये गये थे। बोरों की बुवायी समाप्त होने के बाद अब फिर कुछ बन्द लगा दिये गये हैं। ये बांध बोरों की सिंचाई के लिये पानी जमा करने में सहायता देते हैं। पिछले साल बांध समय से पूर्व लगा दिये गये थे जिसकी वजह से फसल का नुकसान हुआ।

*३१---**श्री राजाराम शर्मा**---क्या सरकार को ज्ञात है कि पिछले साल पानी न निकलने के कारण किसानों को २२ हजार रुपये की छूट देनी पड़ी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बखिराझ से राप्ती में पानी न जाने के कारण झील के किनारे के क्षेत्रों में रबी व बोरों की बोवाई न हो सकी थी। इसलिये सरकार ने रबी १३६० फसली की मालगुजारी में २०,२१० रु० १५ आना की छूट दी थी।

*३२---**श्री राजाराम शर्मा**---क्या सरकार उक्त नाले को पुनः साफ करा ने का विचार रखती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सिंचाई विभाग द्वारा नाले (Drain) की सफाई प्रतिवर्ष की जाती है। १९५३-५४ में फसल को अधिक लाभ पहुंचाने के लिये दो बार नाले की सफाई की गई।

श्री राजाराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री महोदय अधिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इस नाले पर रेगुलेटर लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, यह योजना विचाराधीन है। इस बखिरा झील से बहुत बड़ी बड़ी नहरें निकाली जा रही हैं। संभवतः भविष्य में ये दिक्कतें दूर हो जायंगी।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या सरकार को मालूम है कि इस बखिरा झील के किनारे के समस्त गांव बाढ़-ग्रसित हैं और यह बाढ़ क्षेत्र में पड़ती है इसके रोकने के लिये क्या सरकार ने कोई उपाय ढूंढ़ रखा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह बखिरा झील का इलाका अवश्य बाढ़ का क्षेत्र है और विशेष कर राप्ती की बाढ़ से विशेष परेशानी होती है,तो अब तो बाढ़ से इन क्षेत्रों की रक्षा करने की निश्चित योजना सरकार के सामने है।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या माननीय मंत्री जी उस विस्तृत योजना पर संक्षेप में प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वह योजना तो अभी सरकार के विचाराधीन है। केन्द्रीय सरकार ने भी बाढ़ के संबंध में बहुत दिलचस्पी ली है और उनका सेंट्रल फलड कंट्रोल बोर्ड भी बना है। हमारे प्रांत में भी प्राविन्शिल कंट्रोल बोर्ड बन गया है और एक योजना भी बन गयी है। राप्ती, घाघरा और गंडक के क्षेत्रों में जो बाढ़ आती है इन नदियों के जरिये उससे रक्षा करने के उपाय के संबंध में हमारा सब डिवीजन कायम हो रहा है और उसके कांसट्रक्शन का काम भी शुरू करने वाले हैं, बंधों के पानी के निकास की और जो गांव डूब जाते हैं उनको ऊंचे उठाने की योजना बन गयी है और केंद्रीय सरकार के सामने भी पेश की जा चुकी है और उस पर एक प्रकार से उनकी स्वीकृति भी मिल चुकी है। मुझे आशा है कि शीघ्र ही उस पर कार्य आरम्भ होगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार जहां राप्ती, गंडक और घाघरा नदियों में बाढ़ आने से फसल का नुकसान होने के ऊपर विचार कर रही है वहां गंगा और यमुना से जहां नुकसान होता है उस पर भी फ्लड कंट्रोल बोर्ड विचार करेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। वह तो जिस किसी भी नदी से बाढ़ आयी उन तमाम बातों पर यह बोर्ड विचार करेगा और इमीजियेट रिलीफ के बारे में भी और बाढ़ों से रक्षा के बारे में विचार करेगा। माननीय सदस्य को कदाचित ज्ञात होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गंगा कमीशन भी कायम कर दिया है। उसका अर्थ यह है कि गंगा के क्षेत्र में जितनी सहायक नदियां है उनमें से जिनमें भी बाढ़ आती है उन सब को लेकर बाढ़ रोकने की योजना बनायी जाय।

जिला बुलंदशहर के अछेजा ग्राम के किसानों का ३२--और ३३ नम्बर के कुलाबों के स्थान-परिवर्तन के लिये प्रार्थना-पत्र

*३३--**श्री रामचन्द्र विकल**--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अछेजा, जिला बुलन्दशहर के किसानों ने कुलाबा नं० ३२, ३३ माइनर इकला डिवीजन बुलन्दशहर के स्थान-परिवर्तन के लिये पिछले एक वर्ष में कितनी बार और कब-कब प्रार्थना पत्र भेजें हैं और उन पर आज तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय में तीन प्रार्थना पत्र निम्नलिखित तिथियों में प्राप्त हुए––

(१) १३ नवम्बर, १९५३

(२) १८ नवम्बर, १९५३।

(३). २ दिसम्बर, १९५३।

कुलावा नं० ३२––काश्तकारों के इच्छानुसार दूसरी जगह लगा दिया गया है।

कुलाबा नं० ३३––के स्थान-परिवर्तन पर विचार किया गया किन्तु यह सुझाव उचित नहीं समझा गया।

श्री रामचन्द्र विकल––क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुलाबा नम्बर ३३ जिसके बारे में ग्रामीणों ने सर्व सम्मति से सरकार को प्रार्थना-पत्र भेजा उसके स्थान-परिवर्तन करने में क्या कठिनाई रही?

श्री कमलापति त्रिपाठी––मेरी सूचना तो बिलकुल इसके विपरीत है मेरी सूचना यह है कि उस क्षेत्र के ३० फी सदी किसानों ने इसका विरोध किया और कुलाबा तब हटाया जाता है जब सर्व सम्मति से हटाने की राय दी जाय।

श्री रामचन्द्र विकल––क्या यह सत्य है कि जिन लोगों ने विरोध पर दस्तखत किये वे उस गांव के निवासी नहीं हैं और कुछ सरकारी कर्मचारियों ने उनसे जिनके खेत भी उस पर नहीं हैं दस्तखत करा दिये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी––यह तो एक ऐसी शिकायत है जिसके संबंध में अगर माननीय सदस्य मुझे बतायें तो इसकी जांच की जा सकती है। इसकी कोई सूचना इस वक्त हमारे पास नहीं है।

ज़िला मेरठ के निकट देहली राज्य में यमुना नदी पर बांध निर्माण के संबंध में परिप्रश्न

*३४––**श्री रामचन्द्र विकल**––क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि परगना लौनी, जिला मेरठ के निकट देहली राज्य में बांध जमुना नदी पर बनाया जा रहा है उस संबंध में इस राज्य से देहली राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा राय मांगी गयी है। यदि हां, तो क्या?

श्री कमलापति त्रिपाठी––जिला मेरठ के लोनी परगना के निकट यमुना नदी पर कोई बांध इस समय नहीं बांधा जा रहा है और न अभी ऐसी किसी योजना के विषय में देहली राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेशीय सरकार से कोई राय मांगी है।

ज़िला हमीरपुर में धसान नहर से सिंचाई की व्यवस्था

*३५––**श्री श्रीपति सहाय** (जिला हमीरपुर)––क्या सरकार को विदित है कि जिला हमीरपुर की नहर धसान वर्ष भर में केवल एक बार नवम्बर में जारी की जाती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी––यह कहना कि नहर धसान साल में केवल एक बार नवम्बर में ही जारी की जाती है, सही नहीं है। इस नहर के पिछले पांच वर्षों के सिंचाई के आंकड़े मेज पर रक्खी हुई विवरण पत्रिका में दिये हुए हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ. २९४ पर)

*३६--श्री श्रीपति सहाय--यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त नहर को एक से अधिक बार जारी करने पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

*३७-३८--श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--[२९ सितम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या २४-२५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३९-४०--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--[स्थगित किये गये ।]

*४१-श्री दीनदयालु शास्त्री--[स्थगित किया गया ।]

*४२-४३--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--[स्थगित किये गये ।]

*४४-४५--श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)--[स्थगित किये गये ।]

*४६-श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल--[१३ अक्टूबर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४७-श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--[स्थगित किया गया ।]

मुजफ्फरनगर जिले के अन्तर्गत बागपत-सहारनपुर प्रांविशियल हाईवेज पर खन्द्रावली-कांधला से बीच पुलों का पुनर्निर्माण ।

*४८--श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि बागपत सहारनपुर प्रांविशियल हाईवेज पर मुजफ्फरनगर जिले में खन्द्रावली-कांधला के बीच ५,६ नये बने हुए पुल तोड़ कर गत वर्ष फिर बनाये गये हैं ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--बागपत सहारनपुर प्रांविशियल हाईवेज के ३४ वें मील में ५ पुलियों की डाट को तोड़कर उनपर कांक्रीट के पत्थर डाल दिये गये हैं ।

*४९--श्री वीरेन्द्र वर्मा--यदि हां, तो क्यों और पुल तोड़े जाकर इस नवनिर्माण में सरकार की क्या माली हानि हुई है ?

श्री गिरधारीलाल--सन् १९४७-४८ में लोहे सीमेंट की कमी के कारण इन ५ पुलियों को ईंटों की डाट लगाकर बना लिया गया था जिससे सड़क का वह भाग जिस पर यह पुलियां बनी हैं ऊंचा हो गया । पास की लगी सड़कों को, पुलियों की ऊंचाई तक, निर्माण में अधिक खर्च पड़ता था । इस कारण इन पुलियों को नीचा किया गया । ऐसा करने से सरकार को हानि न होकर कुछ बचत हुई है ।

*५०-५१--श्री अब्दुल मुईज खां--[स्थगित किये गये ।]

प्रदेश में नेशनल लोन की जिलेवार प्राप्ति

*५२--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित) --क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में अब तक कितना नेशनल लोन जिलावार वसूल हो चुका है ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जिला अफसरों से ३१ अगस्त, १९५४ तक की जो सूचना मिल सकी है उसका विवरण-पत्र मेज पर रखा दिया गया है । लेकिन यदि उन व्यापारिक संस्थाओं (जैसे बीमा कम्पनियां और बैंक) ने भी, जिनके सदर दफ्तर राज्य सीमा के बाहर हैं, कोई पूंजी लगायी हो तो वह इस विवरण-पत्र में शामिल नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २९५-२९६ पर)

न्यायालयों के कर्मचारियों का भ्रष्टाचार के अपराध में नौकरियों से अलग किया जाना

*५३--श्री रामदुलारे मिश्र---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गत वर्ष न्यायालयों में कार्य करने वाले कितने कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के अपराध में नौकरी से पृथक् किया गया ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अभी सब दीवानी, फौजदारी व माल की अदालतों से यह सूचना एकत्रित नहीं की जा सकी है। आशा है कि इस सूचना को एकत्रित करने में एक महीना और लगेगा ।

*५४-५५--श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफरनगर)---[स्थगित किये गये ।]

अतारांकित प्रश्न

विधान भवन, लखनऊ के गुम्बद की सफाई

श्री रामचरणलाल गंगवार (जिला बरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधान भवन, लखनऊ के गुम्बद के ऊपरी सतह की सफाई कब से नहीं हुयी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--विधान भवन के गुम्बद के ऊपर की सतह की सफाई कभी नहीं हुई है ।

---

३१ अगस्त, १९५४ के तारांकित प्रश्न २६ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का संशोधन

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, ३१ अगस्त, १९५४ को श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न संख्या २६ के उत्तर में मैंने जो कुछ जवाब दिया था वह कुछ बहुत सही नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उसके स्थान पर यह उत्तर लिख दिया जाय। "कायदा यह है कि जब एस्टीमेट केन्द्रीय सरकार स्वीकृत कर देती है तब काम आरम्भ किया जाता है। अभी कोई एस्टीमेट केन्द्रीय सरकार से स्वीकृत हो कर नहीं आया है। जैसे ही मंजूरी आ जायगी काम शुरू कर दिया जायगा।"

श्री अध्यक्ष---तो यह परिवर्तन कर दिया जायगा। मैं समझता हूं इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

१९५४-५५ के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवादार्थ भाषणों का समय निर्धारण

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---श्रीमन्, आज सप्लीमेंटरी बजट जो पेश होगा उसके ऊपर मैं चाहता हूं कि भाषणों के लिये समय निर्धारित कर दिया जाय, क्योंकि एक ही दिन का समय है और सभी लोग बोलना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष---इसके ऊपर कोई आपत्ति है ? (कोई आवाज नहीं आयी।)

राजा वीरेन्द्रशाह---मेरा सुझाव यह है कि नेता विरोधीदल को ४५ मिनट और नेता संयुक्त दल को २० मिनट और बाकी सब सदस्यों को सात मिनट का समय निर्धारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है ? (कोई आवाज नहीं आयी) इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मंत्रियों के लिये मैं जो उचित समझूंगा उनके भाषण के लिये मैं अलग-अलग समय निर्धारित कर दूंगा। बाकी लोगों के लिये जो माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने सुझाव सामने रखा है, मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई इसलिये सदन को स्वीकार है ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---मुझे इस सम्बन्ध में यह आपत्ति है कि नेता विरोधी दल और नेता संयुक्त दल इतना अधिक समय ले लेंगे तो दूसरे सदस्यों के लिये समय कम बचता है। ४५ मिनट नेता विरोधी दल और आध घंटा नेता संयुक्त दल ही.....

श्री अध्यक्ष---नेता संयुक्त दल के लिये बीस मिनट उन्होंने कहा।

श्री देवदत्त मिश्र---४५ मिनट नेता विरोधी दल के लिये कहा गया था। तो हमारा ऐसा ख्याल है कि आध घंटा नेता विरोधी दल और १५ मिनट नेता संयुक्त दल को दिया जाय ताकि दूसरे सदस्यों को बोलने का और अवकाश मिले सके।

श्री अध्यक्ष---इसमें आप बचाना चाहते हैं केवल २० मिनट।

मैं यह सोच लूंगा क्योंकि सवाल यह है कि उन्हें अधिक समय देने का प्रश्न इसलिये उठता है, क्योंकि यह सोचा गया था कि विवाद सही ढंग से हो और विचार काफी हो सके। नेताओं को केवल अधिक समय का मौका दिया गया है, उनके दल के और सदस्यों को अधिक समय नहीं मिलेगा चूंकि सरकार का बजट है इसलिये विरोधी दल वालों को अधिक मौका मिलना ही चाहिये ताकि उस पर नुक्ताचीनी कर सकें। इसलिये मैं समझता हूंकि इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये। उनके दल के जो और बोलने वाले हैं उनकी संख्या में थोड़ी सी कमी कर दी जायगी। लेकिन यह नहीं होना चाहिये कि नेता विरोधी दल को कम समय मिले और वह पूरी तरह से बोल न सकें क्योंकि कोई न कोई सदस्य प्रस्तुत विषय पर अच्छी तरह से सोच कर विरोधी दल की ओर से आता ही है यह समझा जाता है। उसके लिये काफी समय होना चाहिये, लेकिन अगर नेता विरोधी दल आध घंटा ही चाहते हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर ४५ मिनट वह चाहते हैं तो उन्हें दे देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष तथा श्री उपाध्यक्ष द्वारा नियोजन कार्य की देख-रेख के सम्बन्ध में पारप्रश्न

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि इस पर विवाद हो मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

प्लानिंग विभाग की विज्ञप्ति द्वारा इस प्रदेश को बहुत से टुकड़ों में विभाजन कर दिया गया है और कुछ जिले हरएक मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को सौंप दिये गये हैं प्लानिंग की देख-रेख करने के लिये। तो क्या जो हम लोग इस विधान सभा में बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से हम मिनिस्टर डि टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के कार्यों की आलोचना इस सदन के अन्दर कर सकते हैं, जो कार्य हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर प्लानिंग के सिलसिले में इस प्रान्त में करेंगे उनके कार्यों की आलोचना हम इस सदन में कर सकेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---इस सम्बन्ध में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की हैसियत से कोई काम सरकारकी तरफ से सौंपा नहीं जा सकता और न उस हैसियत से कोई सौंपा गया है। स्पीकर शब्द लगा देने से नाम के साथ सम्भव है कि इस के संबंध में कोई गलतफहमी हो जाय। लेकिन यह हो सकता है कि उनसे यह प्रार्थना की जा सकती है कि उनके जिले में जो विकास का कार्य सरकारी हो रहा है, चूंकि आप उस जिले के रहने वाले हैं तो आप कृपया उसकी देखरेख करते रहिये। हमको जो सुझाव देंगे उस विषय पर हम विचार करेंगे। सरकार यह प्रार्थना करे तो व्यक्तिगत हैसियत से, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की हैसियत से नहीं बल्कि एक सदस्य के नाते, अगर वह स्वीकार कर लें तो अनुचित बात न होगी। डिप्टी स्पीकर या स्पीकर पर कोई आक्षेप नहीं हो सकता, उस हैसियत से उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं रखी गयी है। सुझाव देने की जो बात कही गयी

[श्री अध्यक्ष]

है वह इसलिये कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को सदस्य के नाते अपनी अपनी कांस्टीट्युएंसी और अपने-अपने जिले के बारे में अधिकार हैं कि कहीं भी जायं और माननीय सदस्य कभी-कभी यह कहलाते हैं कि हमारी यह बात मिनिस्टर तक पहुंचा दीजिये, लेकिन इसकी उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, बात की कोई टीका नहीं हो सकती ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---मैं नाम लेकर कुछ कह सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष---उनकी जब जिम्मेदारी है ही नहीं, इसलिये आप उनका नाम लेकर कह ही कैसे सकते हैं । किसी अन्य सदस्य के बारे में भी नहीं कह सकते । अगर आपके जिम्मे भी सरकार इस प्रकार देख-भाल का कोई कर काम कर दे और आप कभी वह काम स्वीकार कर लें तो कोई सदस्य आपके काम की भी आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि किसी पद पर नियुक्ति करके आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं थोपी गयी है, आपका सहयोग ही मांगा गया है ।

२० सितम्बर, १९५४ की कार्यवाहियों में से आपत्तिजनक भाग निकाल देने का सुझाव

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---मैंने कल एक बार कहा था कि सदन के अन्दर एक सम्मानित सदस्य ने एक सम्मानित सदस्य के विरुद्ध एक आक्षेप किया था, मैंने आपसे प्रार्थना की थी उसको प्रोसीडिंग्स से निकलवा देने की । मैं प्रार्थना करूंगा कि यह बतलाने की कृपा की जाय कि आपने उस पर क्या किया ?

श्री अध्यक्ष---मैंने उस पर कहा था कि मैं देखूंगा कि पार्लियामेंटरी पद्धति के विरुद्ध तो कोई चीज नहीं है । मैं जांच करूंगा कि वह सही है या गलत है बल्कि अगर मैं अनुचित देखूंगा और पाऊंगा कि यह प्रोसीडिंग्स में न रहना चाहिये तो मैं उस पर कार्यवाही करूंगा और सदन को इत्तिला दे दूंगा । जिस समय जांच कर लूंगा उस समय खुद बतला दूंगा । माननीय सदस्य को इसके बारे में मुझे बार बार-आगाह करने की जरूरत नहीं है ।

१९५४-५५ के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---यह बात तो निर्विरोध है कि बजट को देख कर ही किसी प्रदेश या देश के ढांचे को आंका जा सकता है । जो सरकार जिस तरह का बजट पेश करती है उसी की रोशनी में उसके विकास, प्रगति और उत्थान को देखा जा सकता है । जबकि साधारण बजट पेश हुआ था तब भी हमने अपनी शंकायें प्रस्तुत की थीं और यह सप्लीमेंटरी बजट जो डेढ़ करोड़ के ऊपर का आया मैं सोचता था कि बजट जब आयेगा तो हमारी जो शंकायें हैं और जो हमने सुझाव रक्खे हैं उनको सप्लीमेंटरी बजट में मूर्तमान स्वरूप देने की चेष्टा की जायगी, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक परिपाटी सी जो सप्लीमेंटरी बजट को पेश करने की है उस परिपाटी को ही माननीय वित्त मंत्री ने सदन में पेश किया है । अगर आप ५३-५४ और ५४-५५ इन दोनों के सप्लीमेंटरी बजट के उद्देश्य को पढ़िये तो एक एक अक्षर और लाइन लाइन सब मिलती है, केवल आंकड़े ३ करोड़ के बजाय १ करोड़ कुछ लाख के हो गये हैं । तो मैं इस बात को पुनः निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस तरीके से सप्लीमेंटरी बजट को सदन में रखने से न तो सरकार की मर्यादा बढ़ती है, न किसी उत्थान की ओर संकेत ही हो पाता है । यों अगर देखा जाय तो करीब-करीब २७ आइटम इस सप्लीमेंटरी बजट में आये हुए हैं, उनमें से एक भी ऐसा आइटम माननीय वित्त मंत्री नहीं बता पायेंगे, जो कि मौलिक रूप से मूल बजट में रखा न जा सकता रहा हो । मालगुजारी, मिर्जापुर में, लाख के जंगल का ठेका, पुलिस, जेल, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, उद्योग, श्रम, दुर्भिक्ष सहायता, इन खास बातों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको नये तरीके से समझा जाय और नया मद माना जाय और जिसके लिये सामान्य बजट में जगह न मिले । इसी तरीके से इसके आंकड़ों और इनके अन्दर रखे हुए विषय को देखकर हम लोग इस

नतीजे पर पहुंचते हैं कि जब हम लोग बजट पास कर रहे थे उस समय भी यही परिस्थिति थी। अगर उस समय अच्छे तरीके से सचेत होकर इन आवश्यकताओं की ओर देखा होता तो हो सकता है कि इन ६ महीने के अन्दर बहुत सी बातों में हम और आगे बढ़े होते और पीछे न जाते। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय वित्त मंत्री जिस तरह से एक परिपाटी को चला रहे हैं वह हर तरीके से जनहित के विरुद्ध जाती है। अब श्रीमन्, मैं कुछ उन बातों को रखना चाहता हूं जो कि हमारे देश का हमारे प्रांत का प्रमुख रोग है और यदि उन रोगों को दूर करने वाला बजट प्रस्तुत नहीं होता, उन मदों में उनके द्वारा संकेत नहीं होता तब कितने ही बजट प्रस्तुत किये जायं उससे कोई बात होने वाली नहीं है।

सब से पहले तो मैं आपके द्वारा अपनी शिकायत पेश करना चाहता हूं कि जो बजट प्रस्तुत करने का, जिस तरह से बजट का रुपया खर्च होता है और जिस तरीके से ए०जी० की आडिट रिपोर्ट आने में सरकार द्वारा देर करायी जाती है उन तमाम बातों के बारे में सदन की सारी मर्यादा तोड़ी जाती है। आज तक पब्लिक एकाउन्ट कमेटी की रिपोर्ट जो रखी गयी उस पर बहस नहीं हुयी। लेकिन इस साल पदाधिकारियों का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है। और पारसाल की रिपोर्ट सदन में बहस के लिये नहीं रखी गयी है। श्रीमन्, ५०–५१ की आडिट रिपोर्ट अभी पेश हुयी है, लेकिन उस पर हम लोग अभी बहस नहीं कर पाये हैं। ५१-५२, ५२-५३, और ५३–५४ सालों में किस तरह से खर्च हुआ है और उसके हिसाब में क्या दोष रह गये हैं। और कौन-कौन कर्मचारी इन दोषों के लिये जिम्मेदार हैं इन बातों के बारे में हम लोग अन्धकार में हैं। हो सकता है कि ३-४ वर्ष के बाद वह आडिट रिपोर्ट सदन के सामने पेश हो और उस पर बहस हो किन्तु उस समय जो कर्मचारी जिम्मेदार पाये जाते हैं उन सरकारी कर्मचारियों को उनके स्थानों से अलग होते देखकर हम उनके लिये समुचित दंड की व्यवस्था भी नहीं कर पायेंगे। इसलिये श्रीमन्, मैं पहले ही कह देना चाहता हूं कि सरकार की ओर से जो बजट के रुपया को खर्च करने की प्रणाली बरती जा रही है वह दोषपूर्ण है और वह जनतंत्र प्रणाली के लिये महान् दोषपूर्ण है। अगर यह सरकार डिक्टेटर होती तो उस समय यह शायद उचित कहा जा सकता था कि वह चाहती तो पेश करती और न चाहती तो पेश न करती। इसके अलावा श्रीमन्, अपने मुल्क के जो खास रोग हैं मैं आपके द्वारा उनको रखना चाहता हूं कि आज हमारे मुल्क में क्या रोग हैं। अ इस समय यहाँ पर माननीय मुख्य मंत्री नहीं हैं। इसमें हमारे प्रदेश के प्रशासन के लिये कुछ पैसा मांगा गया है जिसमें १७,५०० रु० मांगा गया है, जो अधिकारियों की शिक्षा के लिये एक स्कूल खोला जा रहा है, उसके लिये लिया जा रहा है। जब तक पक्षपात जिसको फेवरटिज्म कहते हैं, कुनबापरस्ती जिसको निपोटिज्म कहते हैं और जातिवाद जिसको कास्टिज्म कहते हैं, वह दूर नहीं होगा तब तक सही मायने में हमारे मुल्क का उत्थान नहीं हो सकता है। इसके लिये आज सब से बड़ी जिम्मेदारी इस सरकार की है। इसने पक्षपात को बढ़ावा दिया है, इसने कुनबापरस्ती को बढ़ावा दिया है और जात-पात को बढ़ावा दिया है। अब इन चारों दुर्बलताओं की एक-एक घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक-एक घटना को रख कर निवेदन करूंगा और आपके जरिये से सदन से निवेदन करूंगा कि सदन सरकार की गतिविधि पर ध्यान दे। आज यह सरकार पार्टी, सरकार और राज्य के अन्तर को मिटा चुकी है और जब कोई सरकार पार्टी, गवर्नमेंट और स्टेट के अन्तर को मिटा देती है तो वह कास्टिज्म, कुनबापरस्ती और कम्युनलिज्म को बढ़ावा अवश्य देगी। श्रीमन्, अभी-अभी मेरे सामने जो सवाल आया है वह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसे श्रीमन् आपने समाचार-पत्रों में भी पढ़ा होगा। श्रीमन् उससे सारी सामान्य प्रशासन की मानसिक प्रतिक्रिया का पता चलता है, मेंटेलिटी का पता चलता है। मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव था। उसमें हमारे माननीय सूचना मंत्री जी भी गये थे। वहां पर स्वागताध्यक्ष महोदय ने जो भाषण दिया उसको यदि देखा जाय तो माननीय सदस्यों का हृदय कांप जायगा और वे हमारे सदन के सम्मानित सदस्य भी हैं।

[श्री राजनारायण]

वह आचार्य जी कहते हैं कि "बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज दिल्ली की गद्दी पर कोई औरंगजेब सरीखा बादशाह नहीं बैठा हुआ है नहीं तो ये मसजिद दिखाई भी न देती।" अखबारों में ऐसा समाचार निकला है।

श्री अध्यक्ष—आप किसी माननीय सदस्य के भाषण के बारे में कह रहे हैं, लक्ष्मी-रमण आचार्य जी के बारे में। इसकी जिम्मेदारी आप को लेनी होगी?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह अखबार की कटिंग है। सैनिक अखबार में इसके ऊपर ऐडीटोरियल निकला है। अगर वे कहते हैं कि उन्होंने नहीं कहा तो हम उसके लिये क्षमा मांग सकते हैं, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है, जहां तक समाचार-पत्रों में निकला है, जहां तक इंक्वायरी होकर रिपोर्ट आई है कि वहां किस तरह से भाषण हुए उनकी बिना पर मैं यह कहने को तैयार हूं और आज हमारे जो कांग्रेसी भाई हैं उनमें से बहुतों ने मुझसे कहा, चाहे वे यहां कहें या न कहें कि आचार्य जी का भाषण साम्प्रदायिक से परे नहीं था। जब ऐसे जजबात का इजहार जिम्मेदार लोगों के द्वारा होता है, तथा जिम्मेदार लोगों की उपस्थिति में होता है तो उसका नतीजा क्या होगा, यह स्पष्ट ही है। उसका नतीजा यही होगा कि अग्नि की ज्वाला भभकेगी। लेकिन सरकार की ओर से तो ऐसा प्रयत्न होना चाहिये कि जो साम्प्रदायिक आग भड़कने जा रही है उसको रोकने के लिये प्रयत्नशील हो और कोशिश करे। लेकिन जिन तरीकों को वह अख्तियार कर रही है उन तरीकों को अख्तियार न करे। श्रीमन्, होता यह है कि कहीं साम्प्रदायिक दंगा हुआ, वहां कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन या मंत्री जी को भेज दिया गया, वे जांच करके रिपोर्ट लाये। फिर उससे जो परिस्थिति पैदा हुई, उससे जो कारण उत्पन्न हुआ, उन तमाम बातों को दूर करने के लिये पैसा दे दिया गया कि फलां सख्श का नुक्सान हो गया है। इससे काम बनने वाला नहीं है, काम बनेगा तरीकों में मौलिक परिवर्तन करने से, काम बनेगा जब इन्सान को इन्सान माना जायगा और उसके लिये जो कभी-कभी साम्प्रदायिक तनाव के झोंके आते हैं उन झोकों से मजबूती के साथ बचना होगा और अपने अन्दर के साम्प्रदायिक भावों को निकाल देना होगा। इसके आगे श्रीमन् मैं समझता हूं कि हमारे प्रान्त में जो पक्षपात का बोलबाला है उसके बारे में भी कुछ निवेदन कर दूं। माननीय मुख्य मंत्री जी फर्रुखाबाद गये हुए थे जहां कि कांग्रेस की एक पोलिटिकल कान्फ्रेन्स थी उसमें कायमगंज एस० डी० एम० कोर्ट के लीडर श्री जहीर रिजवी ने माननीय गोविन्द वल्लभ पन्त का स्वागत गान गाया। जब कांग्रेस पार्टी के द्वारा कोई कान्फ्रेन्स संगठित की गयी हो, उस कांफ्रेंस में एक सरकारी लीडर आया हो और उसने स्वागत गान गाया हो और उस जलसे में सूबे के सब से बड़े मन्त्री हों, जो सबके मालिक हैं, वे चीफ मिनिस्टर भी मौजूद हों तो यह बड़े अफसोस की बात है और बड़े दुःख की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार जिस तरह से चल रही है, यह सरकार पार्टी, सरकार और स्टेट इन तीनों के अन्तर को मिटा कर बिलकुल तीव्रगति से, तेज रफ्तार से टोटेलिटेरियन तरीके से डिक्टेटरशिप की ओर भागी जा रही है।

श्रीमन्, शिक्षा के लिये भी आन्दोलन मचा हुआ है और माननीय शिक्षा मंत्री जी बहुत ही तेजी के साथ शिक्षा से पार्टी पालिटिक्स को मिटाना चाहते हैं, ताकि शिक्षा का मैदान पार्टी पालिटिक्स का मैदान न हो। मगर शिक्षा विभाग के अन्दर जब तक दत्तचित से काम करने की भावना न हो, उसके लिये कर्त्तव्य निष्ठा न हों, तो शिक्षा का मैदान भी राजनीतिक अखाड़ा ही हो जायगा। श्रीमन्, मैं क्या बताऊं मुख्य मंत्री माननीय गोविन्द-वल्लभ पन्त लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहां यूथ कांग्रेस के जरिये मीटिंग आर्गनाइज की जाती है और उस मीटिंग में हमारे विधान सभा के सदस्य भी विद्यमान रहते हैं। कोई प्रोफेसर हैं, एस० पी० दुबे जिन्होंने उस मीटिंग को प्रेसाइड किया है। वहां पर

माननीय गोविन्द वल्लभ पंत क्या कहते हैं --"हि ऐडवाइज्ड दि स्टूडेंट्स आफ दि लखनऊ यूनिवर्सिटी टु ज्वायन दि कांग्रेस पार्टी"। पन्त जी ने विद्यार्थियों को कांग्रेस पार्टी में शरीक होने की सलाह दी।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप अखबार के भरोसे पर ये बातें न कहें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, अखबार के भरोसे पर ही नहीं बल्कि यूनियन के दो रिप्रेजेंटेटिव मेरे पास आये थे और उन्होंने मुझसे कहा कि माननीय पंत जी ने यूथ कांग्रेस द्वारा संगठित मीटिंग में भाषण किया है, जहां युनिवर्सिटी के पदाधिकारी भी मौजूद थे और उन्होंने विद्यार्थियों को कांग्रेस ज्वायन (सम्मिलित) करने के लिये सलाह दी।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)--इसमें तो मैं कोई हर्ज नहीं समझता।

श्री राजनारायण--ठीक है, यही मनोवृत्ति है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति को बढ़ावा मिलता है। कांग्रेस पार्टी ज्वायन करने का प्रचार हो तो यह पार्टी पालिटिक्स नहीं है, ऐसा लगता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी अब कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक पार्टी नहीं मानते हैं। अगर परिस्थिति को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अपने को महात्मा गांधी जी के अन्तिम सन्देश के अनुसार लोकसेवक संघ में परिणत कर दिये होती तो माननीय शिक्षा मंत्री जी की यह बात मानी जा सकती थी, लेकिन जब कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और उसकी सरकार भी बनी हुई है और उसके ही चलाने वाले का यह कहना और जनता को सलाह देना कि कांग्रेस ज्वायन करो, तो क्या यह राजनीतिक प्रचार नहीं है? श्रीमन्, अब स्वत: समझें कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी क्या कहे जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि सरकार का जो प्रशासन है और सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके काम में मंत्रिगण दिन रात दस्तन्दाजी करते हैं तथा हस्तक्षेप बढ़ता जाता है, उसकी रोक-थाम होनी चाहिये। अगर उसकी रोकथाम नहीं होगी तो चाहे देखने में यह लगे कि सब शांत हैं और किसान गर्दन ऊंची कर के सीना फुला करके चलने लगे हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। दूसरी बात इसके पीछे बहुत कुछ होगी। श्रीमन्, तमाम जजमेंट मेरे पास रखा हुआ है, इसे मैं आपके पास भेज दूंगा, आप माननीय मुख्य मंत्री जी को पढ़ कर सुना देंगे। श्रीमन् इस सदन में बार-बार हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है, हमारे असेम्बली के माननीय सदस्य श्री रामेश्वर लाल पर आरोप लगाया गया है, मेरे ऊपर भी इनडाइरेक्टली आरोप लगाया गया है कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था, वह श्री कृष्णाराय, देवरिया का मामला है। श्रीमन् आप पढ़ लें कि कृष्णाराय वाले मामले के फैसले में सेशन जज ने वहां के अधिकारियों के प्रति क्या कहा है। वे सब २२ आदमी छूट गये और वहां बराबर माननीय होम मिनिस्टर साहब कहते रहे कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वाले कत्ल कराते हैं। आखिर यह क्या बात है? जब कि सरकार की ओर से प्रयत्न हो, जब सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों पर दबाव डाला जाय कि प्रतिद्वन्दी विरोधी राजनैतिक पार्टी के तदस्यों को फंसाओ, तो उसका क्या नतीजा हो सकता है? क्या आप समझते हैं कि इस तरह से जनतंत्र कभी पनपेगा और फूलेगा फलेगा? श्रीमन्, मैं अपना उदाहरण स्वत: पेश करना नहीं चाहता क्योंकि मैं खुद भुग्तभोगी हूं। कानपुर के आम चुनाव के सिलसिले में जो हुआ वह आप जानते हैं। जो केस अभी चल रहे हैं और उनके मुकदमें के दौरान में मैं इस समय एक शब्द भी नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जब भी फैसला उसका होगा तो आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के काले कारनामे मालूम होंगे। बाजपेयी जी जो लेबर एडवाइजर रह चुके हैं जिन्होंने सरकार की एण्टी लेबर पालिसी के कारण ही इस्तीफा दिया वह स्पीकर गैलरी में बैठे थे, उन पर चार्ज लगाया गया कि उन्होंने ईंटों के टुकड़े फेंके, मैं भी ११ तारीख को कानपुर में था, समाचार-पत्रों में भी

[श्री राजनारायण]

छपा, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि मैजिस्ट्रेट ने विमल मेहरोत्रा, राजाराम शास्त्री और जी० डी० बाजपेयी तीनों को छोड़ दिया। इस तरह से वहां जो खास-खास प्रमुख लोग थे वह मुकदमें में फंसाये गये और सरकार से मुकदमा लड़ कर छूटे, तो क्या यही ईमानदारी है इस सरकार की श्रीमन्, स्वयं विचार लें। मैं अहिंसा का पुजारी हूं और अपने विचारों को मजबूती के साथ कहता हूं। मैं आप से निवेदन करूंगा क्योंकि अध्यक्ष महोदय, आप भी गांधी जी के नजदीक रहे हैं, लेकिन अगर इस सरकार के लोगों ने भी गांधी जी और उनके विचारों का पृष्ठपोषण किया है और उन लोगों ने अगर कोई हिंसा या अहिंसा की परिभाषा की है और सूक्ष्म अहिंसा और सत्य अहिंसा का मिलान किया है।

अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद में सामान्य विभागीय नीतियों की चर्चा पर आपत्ति

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। श्रीमन्, निवेदन यह है कि जो भाषण हो रहा है वह बजट की प्रस्तुत मांगों पर ही सीमित रहना चाहिये या जनरल तरीके पर हो सकता है। इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---यह सामान्य वादविवाद तो है ही और वह विभाग की नीति पर आलोचना करना चाहते हैं। वह किसी बजट के आइटम पर नहीं कह रहे हैं, बल्कि हरएक विभाग की नीति के बारे में आलोचना कर रहे हैं, यह पुलिस विभाग पर आलोचना है। मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस विभाग की इसमें कोई मांग है या नहीं ?

एक सदस्य---सामान्य प्रशासन, जेल, पुलिस सब है।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---मैं जनाब की तवज्जह दिलाते हुए यह मालूम करना चाहता हूं कि एक विभाग जिस पर सप्लीमेंटरी एस्टीमेट में कोई मांग मौजूद है उस सारे विभाग की जनरल पालिसी पर डिस्कशन हो सकता है या नहीं। इस सिलसिले में . . . .

श्री अध्यक्ष---आप कोई नियम बता सकते हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं रूलिंग निकाल सकता हूं।

श्री अध्यक्ष---आपको आशंका है या आपका आक्षेप है। आप नियम बतायें वैसे जनरली यह होता है कि सामान्य वादविवाद में विभाग की नीति के संबंध में विचार जरूर किया जाता है, लेकिन आप की जो शंका है, मैं एक दफा जरा उसे विचार लूं।

(कुछ ठहर कर)

मैं आपको यह रूल १५७ सुनाये देता हूं। वह यह है कि :—

Supplementary or additional grant or grants for excess expenditure

"The Speaker may, from time to time, in consultation with theLeader of the House, allot one or more days for presentation of a statement of demands for grants in respe.t of supplementary or additional or excess expenditure under article 205 of the Constitution and for the discussion and voting of such demands. In such cases the same procedure will be followed as is laid down in rules 150, 151, 152, 153 and 154 subject to such modifications as the Speaker may deem necessary."

[अनुपूरक अथवा अपर अनुदान अथवा अतरिक्त व्यय के लिए असुदान

अध्यक्ष सभा के नेता से परामर्श करके संविधान के अनुच्छेद २०५ के अन्तर्गत अनुपूरक अथवा अपर अथवा अतिरिक्त व्यय के संबंध में अनुदानों के लिये मांगों का विवरण प्रस्तुत करने के लिये तथा उन मांगों पर चर्चा एवं मतदान के लिये एक या अधिक दिनों का समय-समय पर बंटन कर सकेगा। इन विषयों में उसी प्रकार का जो नियम १५०, १५१, १५२, १५३ और १५४ में निर्धारित की गयी है। ऐसे रूप भेदों के अनन्तर जो अध्यक्ष आवश्यक समझें, अनुसरण किया जायगा।]

श्री अध्यक्ष--अब १५२ भी जो जनरल डिस्कशन के बारे में है वह सुनाता हूं :--

"152—(1) On a day or days to be appointed by the Speaker subsequent to the day on which the Budget is presented and for such time, not exceeding three days as the Speaker may allot for this purpose, the House shall be at liberty to discuss the Budget as a whole or any question of principle involved therein, but no motion shall be moved at this stage, or shall the Budget be submitted to the vote of the House."

[जिस दिन आय-व्ययक प्रस्तुत किया जाय उसके उपरान्त अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किसी दिन या दिनों में तथा इतने समय के लिये जो तीन दिन से अधिक न होगा और जिसका इस अभिप्राय के लिये अध्यक्ष बंटन करे, सदन को स्वतंत्रता होगी कि वह समस्त आय-व्ययक पर या उसमें अन्तर्ग्रस्त सिद्धांत के किसी प्रश्न पर चर्चा करे किन्तु इस प्रक्रम पर कोई प्रस्ताव पुरःस्थापित नहीं किया जायेगा और न ही आय-व्ययक सदन में मतदान के लिये रखा जायगा।]

अगर बजट के वक्त में प्रिंसिपल्स को आप डिस्कस कर सकते हैं, तो अनुपूरक बजट के सामान्य विवाद में भी कर सकते हैं। अब सिर्फ यह है कि थोड़ा सा माडीफिकेशन स्पीकर चाहें तो कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री बजट के वक्त में तो वह माडीफिकेशन इसमें किया गया है कि उसमें बजट डिस्कशन के लिये तीन रोज से ज्यादा नहीं होना चाहिये और अब इसमें यह माडीफिकेशन तो कर दिया गया है कि तीन रोज विवाद न होकर सप्लीमेंटरी बजट का जनरल डिस्कशन एक रोज में हो जाय, तो तीन रोज अब नहीं होंगे यह माडीफिकेशन कर दिया गया है। लेकिन जो बजट के उसूल हैं वही उसूल इसमें भी लागू होते हैं यह नियम १५७ का मतलब है। अब अगर इसके अलावा माननीय वित्त मंत्री कोई और नियमादि बतावें जिससे यह सिद्ध हो सके कि आम वादविवाद बजट के सिद्धांतों के बारे में अनुपूरक बजट के विवाद में नहीं हो सकता तो मेरे सामने वह पेश कर दें तो मैं उसके ऊपर विचार कर लूंगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जरा सी बात मैं अर्ज कर दूं। इस वक्त वह सवाल पेश है कि जिस पर मेरे नजदीक वाकई एक काफी गौर के बाद कोई फैसला हो जाना चाहिये, लेकिन इस वक्त जितनी बात मैं अर्ज करता हूं वह यह है कि जो कायदे जिस वक्त नाफिज हों, उनका इंटरप्रिटेशन वक्तन-फवक्तन स्पीकर और प्रिसाइडिंग आफिसर जो भी हो उसकी तरफ से होते रहते हैं। मैं यह अर्ज करूंगा कि जो भी रूल्स बजट के डिस्कशन के लिये हैं वही सप्लीमेंटरी बजट के लिये रहेंगे, लेकिन उनके होते हुये भी मुख्तलिफ वक्त में रूलिंग्स बराबर होती आयी हैं कि क्या डिस्कशन सप्लीमेंटरी बजट में हो सकता है और मेरे इल्म में है कि वह रूलिंग्स यही है कि जो 'आइटम्स बिफोर दि हाउस'

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

रखे गये हैं गवर्नमेंट की तरफ से सप्लीमेंटरी बजट एस्टीमेट्स में उनके मुताल्लिक जितनी बातें कहो जा सकती हैं, उनको कहा जायगा । वैसे तो मैं बहुत सी रूलिंग्ज निकाल सकता हूं, लेकिन उनमें से एक रूलिंग जो मेरे पास इस वक्त है वह आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूं :—

"On March 5, 1938, during the course of his speech in discussing the supplementary estimates, Lal Mohan Lal Sah was referring to a number of matters, The Hon'ble President said :

> I am afraid when we are discussing supplementary grants we must confine ourselves to the items before the House. The honourable member can ventilate his grievance at the time of the Budget debate."

तो जनाब से मैं अर्ज करता हूं कि इस तरह की जितनी रूलिंग्स हैं उनको हुजूरवाला, फिर से मुलाहिजा फरमा लें । और इन फैसलों को देखते हुये जो रूलिंग्ज आप दें उसी के मुताबिक हाउस का काम जारी रहेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि उस पर एक फैसला कर लिया जाय कि किस किस्म से जनरल डिस्कशन हुआ करेगा ।

श्री अध्यक्ष—खैर, इसके ऊपर मैं अब पुनर्विचार करूंगा और फैसला अब तो बाद में दूंगा, लेकिन आज तो यही तरीका जारी रहेगा, जो अभी तक तरीका चल रहा है । उस पर अब तक आपत्ति नहीं उठायी गई थी कि इस तरीके से सामान्य वादविवाद हो या नहीं । लेकिन अब चूंकि प्रश्न उठाया गया है तो मैं अब इसके ऊपर अपना फैसला बाद को दूंगा, लेकिन आज तो मैं यह कह नहीं सकता कि चालू तरीका न कायम रहे ।

†मुख्य मंत्री (श्री गोविंद वल्लभ पंत)—चूंकि आप इस वक्त कुछ फैसला देने वाले नहीं हैं और आइन्दा देने वाले हैं, इसलिये मैंने समझा कि कोई रूलिंग आप दें उसके पूर्व एक दो बातें मैं आपके सामने पेश कर दूं ताकि उसका भी आप जब फैसला देना चाहें तो दें दें । यह सप्लीमेंटरी एस्टीमेट किसी खास मदों के बारे में पेश होता है । आमतौर पर यह समझा जाता है कि जनरल पालिसी, एक बजट के वक्त तो सारी ग्राउन्ड कवर होती है एडमिनिस्ट्रेशन की और उस पर अगर एक आदमी बोलना चाहता है तो बजट के वक्त बोल सकता है । हर डिपार्टमेंट की बात उसके सामने होती है । लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन की सारी ग्राउन्ड उसमें कवर हो जाती है । मगर जहां तक सप्लीमेंटरी बजट का सवाल है , मान लीजिये कि एक सप्लीमेंटरी एस्टीमेट में सिर्फ एक हजार रुपये की रकम किसी एक जगह पर एक कुएं को बनाने में मदद देने के लिये रखी गयी है और कोई बात नहीं है, एक हजार रुपये का सप्लीमेंटरी एस्टीमेट यहां पेश हुआ तो इससे यह नहीं हो सकता कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर कोई सख्श यहां पर डिस्कशन करे । वह सारी ग्राउन्ड डिस्कशन में कवर कर सकता है, मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है । जो पालिसी या जो बात हो वह उस चीज के अन्दर आनी चाहिये जो कि सप्लीमेंटरी एस्टीमेट में शामिल है, उसके अन्दर पालिसी हो सकती है या और बातें हो सकती हैं, उसके भीतर कोई सख्श पालिसी डिस्कश करे या डिटेल में चला जाय और जो रूल आपने पढ़ा उसमें भी यह है कि जो प्रिंसिपुल , जैसे कि बजट के वक्त वह हो सकती है उसी तरह से यहां भी जो इसके अन्दर आता है, उससे जो कवर होता है, उसमें शामिल है, उसी पर डिस्कशन हो सकता है । इसके बारे में रूलिंग भी हो चुकी है कि सप्लीमेंटरी एस्टीमेट में जो कुछ डिस्कशन हो वह सप्लीमेंटरी एस्टीमेट के दायरे के अन्दर होना चाहिये । यह मैंने सिर्फ इसलिये कहा कि

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आप इन बातों पर भी, अगर इनमें कोई बात हो, सोच लें, जब आप अपना कोई आखिरी फैसला दें। और जहां तक इस वक्त की बातों का ताल्लुक है वह तो कोई नई बात आयेगी नहीं और किसी को कोई खास जरूरत भी नहीं है कि कोई चीज कहने से रोकी जाय। जो हर रोज होता है वह आज भी हो जायगा, इसकी कोई बात नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)——अध्यक्ष महोदय, आपके सामने जो प्रश्न विचाराधीन है सप्लीमेंटरी बजट की सामान्य पालिसी पर वाद-विवाद का, उस पर आपने कृपा कर के माननीय मुख्य मंत्री को समय दिया। क्या आप हम लोगों को भी कुछ समय देंगे ?

श्री अध्यक्ष——आप को समय दे तो रहा हूं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी——मेरा सुझाव यह है कि इस पर आज दोनों तरफ से विवाद हो जाय, दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात इस बारे में आप को कह दें और फिर बाद में आप अपनी रूलिंग दे दें या फिर बाद में हमको मौका दें, अपनी बात कहने का।

श्री अध्यक्ष——अभी भी आप कह सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा न कहें। जो कुछ अधिक कहना है उसे आप मुझको चेम्बर में कह सकते हैं। श्री व्रजभूषण जी या और कोई माननीय सदस्य इस बारे में अगर मुझे कुछ सुझाव देना चाहें तो वह भी ऐसा कर सकते हैं मुझे लिख कर भेज दें, अथवा चेम्बर में मुझसे मिल कर कह दें और फिर बाद में इस संबंध में एक स्पष्ट रूलिंग हो जायगी। क्योंकि बीच में ऐसे ही विवाद चलता रहा और आपत्ति नहीं उठायी गई और हो सकता है कि यह भी समझा गया हो कि बीच में टोकने से सदन का वातावरण गरम हो सकता है, लेकिन जब आपत्ति उठाई गई है, तब इसके ऊपर गौर कर लेना उचित होगा। तो जैसा कि मैंने पहले कहा है, जो माननीय सदस्य मुझे इस सम्बन्ध में कोई सुझाव देना चाहें दे सकते हैं और फिर बाद में किसी दिन मैं इस पर फैसला दे दूंगा, लेकिन आज चूंकि माननीय नेता विरोधी दल ने सिद्धांतों पर आलोचना प्रारम्भ कर दी है, इसलिये वह जारी रहे लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जहां तक हो वहां तक वे स्वयं उनकी परिधि के विषय में कोई सीमा बांध लें। यहां जो बजट में आइटम्स आये हैं, बहस में उसी के सम्बन्ध में सिद्धान्तों की चर्चा हो और उसको हम बहुत व्यापक न होने दें।

श्री व्रजभूषण मिश्र——अध्यक्ष महोदय, मेरे उठाये गये प्रश्न पर व्यवस्था बाद में देंगे। लेकिन जो प्रस्ताव हो रहा है विरोधी दल की तरफ से वह किस ढ़र्रे पर चलेगा ?

श्री अध्यक्ष——मैंने उत्तर दे दिया अभी और माननीय मुख्य मंत्री जी से कह दिया, वह जब रोज ही सुनते हैं तो आज और सुन लेंगे।

१९५४–५५ के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री राजनारायण (जिला बनारस)——श्रीमन्, मैं इतना ही निवेदन कर दूं कि ज्यादा कार्य में व्यस्त रहते हैं। यों तो माननीय वित्त मंत्री लिख कर दे सकते थे और उन्होंने सदन में कहना ही उचित समझा, कह दिया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। श्रीमन्, हमारा कितना समय रहा ३० मिनट में से ?

श्री अध्यक्ष——२० मिनट बाक़ी हैं।

श्री राजनारायण--तो श्रीमन्, ५ मिनट काट दीजिये उसमें से जितनी देर मैं बोला हूं।

श्री अध्यक्ष--हां, मैंने ५ मिनट का समय काट दिया है तभी २० मिनट बाकी रहा, नहीं तो १५ मिनट रहता।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं सामान्य प्रशासन में जो कि १२वां आइटम है उसमें सरकारी कर्मचारी के ट्रेनिंग की व्यवस्था है और वह ट्रेनिंग ले कर के क्या करेंगे, किस तरह से सामान्य प्रशासन को सुरक्षित रखेंगे और उसी में मैं कह रहा हूं कि जब सामान्य प्रशासन कुशासन में परिणत हो तो कहीं न कहीं खामी है। मैं निवेदन कर रहा था आप जरा आइटम निकाल लें श्रम की। श्रम में १८ हजार रुपया दिया गया है। श्रम नीति क्या है सरकार की ? वह यह है कि आई० एन० टी० यू० सी० जो कि कांग्रेस पार्टी का संरक्षण पाती है, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति में हां करती है और कांग्रेस पार्टी की नीति को ले कर के तमाम लेबर को कांग्रेस पार्टी के सिद्धान्तों से ओत-प्रोत करने की गलत चेष्टा करती है। तीन यूनियन हैं। कानपुर मिल मजदूर यूनियन को १२ हजार रुपया दिया गया है, किसी को २ हजार, किसी को ४ हजार, इस तरह से १८ हजार रुपया दिया गया है। यह क्यों इनको दिया गया ? श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि समय आप बढ़ा दें, क्योंकि हमारा समय कम है। इसमें लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रुपया है इसके लिये आवेदन-पत्र मांगे जायंगे, प्रान्तीय सरकार आवेदन-पत्र मांगे यूनियनों से। तो क्या हमारे श्रम मंत्री या इनके लेबर कमिश्नर कह सकते हैं साहस के साथ कि तमाम लेबर यूनियन के आवेदन-पत्र मांगे गये। हम तो जानते हैं कि जितनी लेबर यूनियन्स कानपुर में हैं, उनसे नहीं मांगे गये, खाली आई० एन० टी० यू० सी० से, जो सम्बन्धित थीं उनको दे दिया गया है। कानपुर मिल मजदूर यूनियन के जो संचालक थे उन्होंने सरकार की रेशनलाइजेशन नीति के कारण इस्तीफा दे दिया है और वहां की जो यूनियन हैं वह सब जा करके मिल गई हैं एक यूनियन के रूप में। कानपुर मजदूर सभा तो अब सूती मिल मजदूर सभा में मिल गई है। तो मैं देखूंगा कि यह रुपया उनको ठीक तरह से मिलता है या नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि जो कानपुर मिल मजदूर यूनियन थी और अब सूत मिल मजदूर यूनियन में मिल गई है तो उसको जितना रुपया पहले मिलता था १२ हजार, वही मिलना चाहिये अब भी।

अब मैं पुलिस विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। अफसोस है कि माननीय मुख्य मंत्री जी और पुलिस मंत्री जी नहीं हैं। पुलिस के बारे में जो अनुदान का रुपया मांगा गया है वह कहां खर्च होगा। कुछ तो पुलिस कांस्टेबिल और हेड कांस्टेबिल पर उनके आने जाने का व्यय दिया जायगा, कुछ लोग जो पोलिटिकल पार्टीज को दबाने का काम करते हैं उनके भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। मैं स्पष्ट कर दूं कि कान्स्टेबिल और हेड कांस्टेबिल के भोजन आदि के लिये और मार्ग व्यय के लिये रुपया दिया जा रहा है, हम उसके विरोधी नहीं हैं। हमने कई बार आवाज बुलन्द की थी कि जो पुलिस के कांस्टेबिल हैं उनको पैसे की कमी है, उनको पैसा मिलना चाहिये, मगर मैं यह जरूर कह देना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री जी बड़े परेशान हैं, वह जल्दी न करें, जरा सुन लें शान्तिपूर्वक, उनका भी समय आयगा।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)--श्रीमन्, मैंने तो आप की तारीफ ही की है। मैंने यह कहा कि आप के कहने से ही हुआ।

श्री राज नारायण--पुलिस के कांस्टेबिल, हैड कांस्टेबिल, एस० ओ० और कप्तान को आप सहूलियत नहीं देना चाहते हैं तो वह काम कैसे करेंगे। उनको काम करना है जनहित में और यह समझ कर कि वह पब्लिक सर्वेंट हैं। लेकिन वह यह नहीं समझते हैं और वह अपने को केवल कांग्रेस पार्टी का सर्वेंट समझते हैं। मेरे कहने का मतलब यह

है कि आज यह लोग कांग्रेस पार्टी के सर्वेंट बनाये जा रहे हैं। वह चाहते नहीं हैं लेकिन सरकार उनको बना रही है और सारे का सारा दोष केबिनेट का ही है, मंत्रियों पर ही है। यह सरकार कर्मचारियों को स्वतः गलत रास्ता अख्तियार करने की प्रेरणा दे रही है और उनको मजबूर करती है कि तुम फलां-फलां काम इस तरह से करो।

श्रीमन्, मैं तो भुक्तभोगी हूं, आप जान जायेंगे। श्रीमन्, अभी-अभी एक लड़का २२-२३ वर्ष का बाराबंकी में है। वह फर्रुखाबाद नहर रेट विरोधी आन्दोलन में जेल गया था। जब वह वहां से लौट कर आया तो उसको तीन क़त्ल में फंसाया गया है, क्यों कि वह किसानों का काम करता था और वहां के सत्ताधारियों के विरुद्ध काम करता था। अभी सहारनपुर से परसों मेरे पास एक तार आया है। मैं उसके ऊपर एडजर्नमेंट मोशन देना चाहता था। लेकिन होम मिनिस्टर साहब से मेरी बातचीत हुई और मैंने उसको रोक दिया। । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार को किसी व्यक्ति की कोई नीति गलत मालूम हो तो यह नहीं करना चाहिये कि वहां के पुलिस कर्मचारियों से या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से उसके ऊपर अमानुषिकता का व्यवहार करायें।

श्री हरगोविंद सिंह—श्रीमन्, मुझे एक आपत्ति है कि जिस मामले पर मुकदमा चल रहा है और जेर तफतीश है उस पर यह कहा जाय कि फंसा दिया गया, यह बड़ा अनुचित है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मालूम नहीं है इनको, शिक्षा मंत्री हैं। अभी क़त्ल हुआ है, अभी रिपोर्ट गई है। कहीं मुकदमा नहीं है, अज्ञानतावश कह रहे हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, मैं यह कबूल करता हूं कि शिक्षा मंत्री नहीं जान सकता है और अनाड़ी आदमी जान सकता है। एक मुकदमा जो अंडर इंवेस्टीगेशन है, जिसमें पुलिस रिमांड ले रही है, उसमें कहा जाय कि पुलिस ने गलत तरीके से फंसा दिया, तो श्रीमन्, यह बड़ा अनुचित है।

श्री अध्यक्ष—यह उन्होंने कहां पर कहा है?

श्री हरगोविन्द सिंह—यहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष—क्या यह बात है कि इस मामले में रिमांड मांगा है और मुकद्दमा चालान कर दिया है?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, अभी तो क़त्ल हुआ है, अभी अदालत में मुकदमा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि जिस वक्त इंवेस्टीगेशन हो जाय तब आप "फंसा दिया" इस तरह के शब्द नहीं कह सकते हैं।

श्री राजनारायण—इंवेस्टीगेशन कहां हुआ है, अभी तो हो रहा है और अभी तक चार्जशीट भी नहीं बनी है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यहां पर यह तरीका नहीं रहा है। जैसे कोई व्यक्ति चोरी कर ले और इंवेस्टीगेशन हो रहा है, कथित चोर को पकड़ लिया हो और रिमांड मांगी गई हो और आप यहां पर यह कहना शुरू कर दें कि वह फंसा लिया गया है तो आप ने एक निश्चित डिसीशन कर लिया और उसका असर इंवेस्टीगेशन पर पड़ेगा और सब चीजों पर पड़ेगा। इसलिये यह कहना उचित नहीं होगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)——अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में परम्परा इसी सदन की नहीं बल्कि इंगलैन्ड की है कि जब तक किसी मामले में चार्जशीट न दिया जाय तब तक पूरे तौर से विवाद हो सकता है।

श्री अध्यक्ष——इस कानूनी प्रश्न की बारीकी पर तो मैं बाद में स्टडी करके फैसला दूंगा लेकिन इस समय मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि उसका इस प्रकार जिक्र हो जिससे इंवेस्टीगेशन पर असर पड़े। ऐसी बात आप यहां पर एसर्ट करें कि एक आरोपित व्यक्ति "फंसा दिया गया" तो इससे नतीजा निकलेगा कि आप इंवेस्टीगेशन को इंफ्युलेंस करना चाहते हैं। अगर फर्ज कर लीजिये कि कल के रोज यही बात माननीय पुलिस मंत्री जी कहें कि मामला सच्चा है, चूंकि वह सबजुडिस नहीं हैं इसलिये कहता हूं और जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसने जरूर मार डाला होगा इस प्रकार कहना शुरू कर दें तो दूसरी तरफ से भी बात को सोचिये कि वह व्यक्ति यदि निर्दोष हो तो उसके मामले पर गृहमंत्री के भाषण का क्या असर पड़ेगा। उसके ऊपर झूठ-मूठ चार्ज लग सकता है इस वजह से कि इस सदन में ऐसा वक्तव्य दिया गया है। यहां पर माननीय सदस्य की भी पोजीशन बहुत ऊंची है, वह जो भाषण यहां पर देते हैं और वह छपता है, तो जिस मामले पर इंस्टीगेशन हो रहा है और रिमांड मांगा गया है उस पर क्या असर पड़ेगा, वह यह सोचें। मैं उसकी इजाजत अभी नहीं दूंगा। लेकिन जो बारीकी का प्रश्न उठाया गया है उस पर मैं अध्ययन करके बाद को फैसला दूंगा लेकिन आज मैं इजाजत नहीं दूंगा कि इस तरह से इंवेस्टीगेशन में जो मामला हो, उसके विषय में "फंसा दिया गया" इन शब्दों में आक्षेप किया जाय।

श्री राजनारायण——श्रीमन्, यह हमारे भाषण का पार्ट नहीं है। मैं एक शंका कर रहा हूं एक हो, दो हों, तीन हों...

श्री अध्यक्ष——मैं इस विषय में अपना निर्णय दे चुका हूं।

श्री राजनारायण——ठीक है, आप की सलाह मान कर ही हमें चलना है। अगर इस सदन में बैठना है, तो आप अध्यक्ष हैं, चाहे आप से हमारी राय मेल न खाये, लेकिन आप के सामने नत-मस्तक होकर रहना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन जब सारे सूबे में यही व्यवस्था हो तो आप ही बताइये कि हम क्या करें?

श्री अध्यक्ष——तो आप किसी मामले का जिक्र न करें, कोई जनरल बात कहें, यह दूसरा तरीका आप के लिये मौजूद है।

श्री राजनारायण——मैंने सारे प्रान्त में देखा कि आज शासक पार्टी को मजबूत करने के लिये.....

श्री मलखान सिंह——(जिला अलीगढ़)——मैं आप से एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने उस देवरिया के मर्डर के मामले में हाउस में खास तौर से यह कहा था और आप को याद भी होना चाहिये कि वह मर्डर सोशलिस्ट पार्टी का कराया हुआ है और इस तरह का उन्होंने बयान दिया था। वह स्टेटमेंट छपा हुआ है और मौजूद है।

श्री अध्यक्ष——उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है।

श्री राजनारायण——जी, लिया है। रामेश्वर लाल का नाम लिया है। मगर हम उन झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते। हम तो आपत्ति उठाना चाहते थे कि सत्य पर परदा डालने की चेष्टा की जाती है, लेकिन सत्य तो प्रकट हो कर ही रहेगा। श्रीमन्, हमारे पास वह तमाम पोथी है इस सरकार के हस्तक्षेप की और कुछ मामले तो ऐसे हैं जो ऊपर से ही लादे जाते हैं और ऊपर जिला मैजिस्ट्रेट को आदेश जाते हैं कि ऐसा कर दो। उन सब को मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आप की राय नहीं है, लेकिन जो फैसले हो गये हैं और जो फैसले हमारी नीति को पुष्ट करते हैं उनको थोड़ा सा आप की सेवा में निवेदन कर दूं।

खबर है, "इन्दु भूषण शर्मा को आजीवन कारावास" उसके संबंध में जो कि झांसी में कत्ल हुआ था, सम्मानित जज ने फैसले में लिखा है :

"मृतक की डायरी से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह अपने जीवन के लिये न केवल अभियुक्त और उसके तीन साथियों की ही ओर से आघातकारी भय प्रतीत करता था, अपितु अपने प्रोफेसर और वाइस-प्रिंसिपल से भी। यह तो बड़े खेद और लज्जा की बात है कि अध्यापक अथवा कालिज का एक अधिकार प्राप्त व्यक्ति अपने एक विद्यार्थी के ही मन में ऐसे आघातकारी भय की भावना उत्पन्न करे। मृतक ने अपनी डायरी में (कालिज के) अध्यापक वर्ग तथा अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्यों को दी जाती रही सहायता का भी उल्लेख किया है। सच बात कुछ भी हो, पर यह निर्विवाद है कि इस काज में राजनीतिक गुटों के बढ़ने तथा इस प्रकार की दुर्भाग्यजनक घटनाओं के लिये, जिनके दुष्परिणाम से उस कालिज के एक मेधावी छात्र की मृत्यु हो गई, उत्तरदायी केवल कालिज के अधिकारी ही हैं, जिन्होंने या तो इन बातों में अपनी उदासीनता दिखाई या फिर इनमें स्वयं ही क्रियात्मक भाग लिया।"

यह श्रीमन्, फैसला है। आप बताइये कृष्ण राय जी का फैसला हमारे सामने मौजूद है, बाजपेयी साहब का फैसला मौजूद है, जो ट्राइंग मजिस्ट्रेट ने रिमार्क दिया सरकार को तो जब सरकार ऐसा करती चली जा रही है तो इसमें क्या ज्यादती है अगर हम कुछ कहें? मैं आप को बताऊं बनारस की चन्दौली तहसील में एक तहसीलदार को, जिनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट लिखी कि रुपये में गड़बड़ किया है। जरा सुन लीजिये, सामान्य प्रशासन में शिक्षा के लिये रुपया खर्च किया जा रहा है। उनके खिलाफ मुक़दमा चलने पर सरकार ने उस मुकदमे की पैरवी अपने सरकारी वकील से करवाई। जब सरकारी वकील से मैंने पूछा कि तुम कैसे आते हो, तो उन्होंने कहा कि सरकार के हम वकील हैं, जिस मुकदमे के लिये सरकार हमसे कहेगी, हम उसकी पैरवी करेंगे। एक और चीज आप को बतलाऊं। यह ३० जुलाई का "पाइनियर" है इसमें एक सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब का आदेश छपा हुआ है। एक धोबी है, उसका कत्ल हो जाता है, उसके रिश्तेदार जाते हैं पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास कि हमारी हिफाजत करो, हमें बचाइये। तो वह एक मजिस्ट्रेट साहब की दावत में मौजूद थे। पहले तो उनकी मरम्मत होती है और बेचारों को खुद पकड़े जाने की नौबत आती है और फिर सुपरिन्टेन्डेंट साहब बड़ी इनायत करते हैं कि इनको कहीं चले जाने के पासपोर्ट का इन्तजाम कर दीजिये। यह हालत है, यह प्रशासन है। इससे भी बढ़ कर कोई कुशासन दुनिया में हो सकता है? कोई नहीं। समय की कमी है, मैं इन तमाम बातों पर जाना नहीं चाहता। इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि जहां तक सामान्य प्रशासन का सवाल है, भ्रष्टाचार और कास्टिज्म का बोलबाला है। कास्टिज्म सब जगह मुंह बाये हुये है। वह हमारे मंत्री जी खुद जानते होंगे और ज्यादा जिद करेंगे तो मैं कल लिखित प्रमाण पेश करूंगा इस सदन में और उसमें बहुत से मंत्री लोग फंसेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री लोग खुद समझ लें और आगे के लिये सुधार करें।

अब श्रीमन्, एक आइटम दुर्भिक्ष सहायता का आया। जिस समय सामान्य बजट प्रस्तुत हुआ था दुर्भिक्ष नहीं था क्या? क्या तीन साल से लगातार टेस्ट वर्क नहीं हो रहा है? यह टेस्ट वर्क सालों होगा। देवरिया में, श्रीमन् भोलेश्वर चमार टेस्ट वर्क पर काम करते-करते मर गया। श्रीमती मधौली मर गयी, दिन भर काम किया और जब वह घर पर जाती है तो मर जाती है। इस तरीके से अकाल हो, मृत्युएं हों और इस तरह से सरकार जनता की गाढ़ी कमाई को टैक्स बढ़ा-बढ़ा करके खजाने में लेती चली जाय और उसका इस अनुचित तरीके से दुरुपयोग हो कि चार-चार, पांच-पांच वर्ष का इस सदन में हिसाब भी न प्रस्तुत हो, इसकी किसको ठेस नहीं लगेगी? जिसको इसकी ठेस न लगे वह जनतंत्र में विश्वास रखने वाला नहीं है, उसका दिमाग डिक्टेटरशिप में विश्वास रखने वाला होगा।

[श्री राजनारायण]

श्रीमन्, प्लानिंग में देखिये। वहां भी वही पार्टी पालिटिक्स। फ़ाइल श्रीमन् मैं खोज कर दिखला दूं। श्रीमन् मुझे खुशी है कि ए० एन० झा साहब जो कि यहां के चीफ सेक्रेटरी हैं वे ऐग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे। अदलपुरा की फाइल ६ महीने तक पड़ी रही। लोहिया साहब व आचार्य नरेन्द्र जी से बातचीत हुई और फिर समझौता हुआ। तब जाकर ६ महीने बाद वह फ़ाइल निकली क्योंकि कांग्रेसी नेता लोग कहते थे, वहां के जिम्मेदार असेम्बली और पार्लियामेंट के मेम्बर कहते थे कि अगर यह समझौता कार्यान्वित हो गया तो सोशलिस्ट पार्टी की जड़ जम जायगी। प्लानिंग, एन० ई० एस० और कम्युनिटी प्रोजेक्ट स्कीम कहाँ चलती हैं। जहां कांग्रेस पार्टी के विधान सभा के सदस्य हों पहले तो वहां चलेगी। अगर किसी विरोधी पार्टी के सदस्य के क्षेत्र में भी चलेगी तो इसमें उन गांवों को छांटने की कोशिश होगी जिन गांवों में कांग्रेस पार्टी के लोग हों और उनको वोट देने वाले लोग हों। मैं माननीय मदनमोहन उपाध्याय का केस रखना चाहता हूं आप के सामने। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। एक हमारे इसी सदन के प्राधिकारी हैं। उनके क्षेत्र में इस वक्त एन० ई० एस० की स्कीम चल रही है और उसी जगह के मदन मोहन उपाध्याय के क्षेत्र में टांय-टांय फिस कुछ नहीं, आप प्लांनिग कमेटी की रिपोर्ट पढ़िये, उसमें डिसेन्ट नोट पढ़िये। अगर प्लानिंग कमेटी किसी सोशलिस्ट क्षेत्र के लिये व्यवस्था करती है तो ऊपर से घंटी खटकती है कि रोक दो, यहां विकास नहीं होगा।

श्रीमन्, मेरा समय समाप्त हो रहा है और मुझे कुछ कहना बाकी है। मैंने आप से शुरू में ही प्रार्थना की थी पांच मिनट का समय मेरे लिये और बढ़ा दीजिये।

श्री अध्यक्ष--पांच मिनट हो चुके। मैंने दो मिनट और दे दिये थे।

श्री राजनारायण--तो एक ही बात और मैं कहता हूं कि काशी विद्यापीठ के प्रोफ़ेसर राजाराम शास्त्री ६ दिन तक झक मार कर गये। वे अपने विद्यार्थियों से खुद काम कराना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जो काम सरकार कर रही है उससे अगर अच्छा कर के दिखा दें तब तो बात है। लेकिन ६ दिन से उनके साथ हीला हवाला हो रहा है। अगर सरकार सही माने में चाहती है कि गरीबी मिटे, विकास और उन्नति हो तो अपने प्रदेश की सरकार को चाहिये, इसमें कोई सिद्धान्त का भेद नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बाधा नहीं है, कि अविलम्ब एक अन्न सेना की भर्ती करे और जितनी ऊसर, परती और बन्जर जमीन है उस सबको तुड़वाये और उसको उन लोगों को दे जो हरिजन हैं, जो भूमि रहित किसान हैं, जो पिछड़े हुये लोग हैं और जिनके पास जमीन नहीं है। उसके साथ-साथ मैं श्रीमन्, जरूर कहना चाहता हूं कि अगर सरकार जमीन का बटवारा नहीं करती है तो उसकी कोई योजना उसमें नहीं चलेगी।

अब मैं उद्योगीकरण के बारे में भी कहना चाहता हूं क्योंकि उद्योग पर माननीय मंत्री जी ने अनुदान मांगा है। जब तक उद्योगीकरण राष्ट्रीयकरण के मेल में नहीं चलेगा और छोटी-छोटी मशीनरी का इन्तजाम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा।

अन्त में मैं चाहता हूं कि मैं अपनी उस बात को फिर कह दूं कि चौखम्भा राज्य को बनाना पड़ेगा। सेंट्रलाइजेशन को छोड़ना पड़ेगा। अगर लखनऊ में बैठ कर माननीय मंत्रीगण पांच सौ मील लम्बे और ढाई सौ मील चौड़े प्रदेश का शासन करना चाहते हैं तो वह शासन कुशासन और दुःशासन ही होगा। डिसेंट्रलाइजेशन (विकेन्द्रित शासन) कर के जो ग्राम पंचायतें हैं उनको सेल्फ सफीसेंट करें, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को सेल्फ सफीशेंट करें, हर यूनिट में जितना रुपया वसूल हो, उसका चौथाई हिस्सा उसको सरकारी कोष से दिया जाय। ऐसा नहीं कि ८३ करोड़ के बजट पर माननीय वित्त मंत्री बैठ जायं और अपनी तबियत के मुताबिक मनमाने तौर पर खर्च करते चले जायं, चाहे उसकी कोई उपयोगिता हो, चाहे कोई उसकी उपयोगिता न हो।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने वित्त मंत्री द्वारा सरकार की ओर से सप्लीमेंटरी बजट पेश किया गया है और कहा जाता है कि इस सदन की अनुमति उसके लिये मांगी जा रही है । सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, मैं इसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा कि वास्तव में हमारी अनुमति नहीं मांगी जा रही है । बात केवल इतनी ही है कि सरकार इस समय हमको केवल सूचित कर रही है, उसने हमारी अनुमति को प्रिज्यूम करके डेढ़ करोड़ की लायबिलिटी इनकर कर लिया है और फिर वही जो मैंने पिछली बार कहा था, चाहे हम मानें या न मानें हमारे सामने यह डेढ़ करोड़ की लायबिलिटी हो गयी है । उसमें से काफी मद का खर्च भी हो चुका है । इसलिये हम एक अजीब हालत में हैं । यदि हम अपनी अनुमति नहीं देते तो जो खर्चा हो गया है, उसका क्या होगा और यदि हम अपनी अनुमति देते हैं तो एक प्रकार का सारा काम दिखावा है । सरकार से मैं फिर कहूंगा कि इस प्रकार सप्लीमेंटरी डिमांड्स को पेश करना, जिसे कहते हैं "fait accompli" के रूप में, जो घटना घट चुकी है उसके सम्बन्ध में कार्यवाही या कदम उठा लिया गया है उसको आज अगर अनुमति के लिये पेश किया जाय तो यह अनुचित है । या तो बजट में उचित समय में पेश किये जायं या कुल बजट इस प्रकार बनाये जायं ताकि उसमें इतने फ्लक्चुएन्शास न हों । इस बात को मैं मानता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफीकल्टीज को ध्यान में रखते हुए बिलकुल आना पाई का बजट बनाना असम्भव सा है । किन्तु यदि अनुमति लेने का प्रश्न है तो वास्तव में अनुमति ली जाय । यह नहीं कि अनुमति की शक्ल में हम को केवल मात्र सूचित किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, समय कम है । मैं जनरल रूप में इतना और कहना चाहूंगा कि सप्लीमेंटरी बजट द्वारा दो मुख्य बातें की जाती हैं । एक तो जिस किसी अनुदान में सरप्लस निकल जाय तो उसको reappropriate एक टोकेन ग्रांट द्वारा करके फिर और किसी नये कार्य में काम में लाया जाता है । दूसरे सप्लीमेंटरी ग्रांट्स किसी अनफोरसीन और अर्जेन्ट काम के लिये पेश की जाती है जो कि सरकार मुख्य बजट रखते समय न देख पायी, जिसकी आवश्यकता यकायक पैदा हो गयी उसके लिये सप्लीमेंटरी बजट द्वारा व्यवस्था की जाती है । इसमें दो प्रश्न उठते हैं । पहला यह कि सरकार ग्रांट बेसिस पर, डेफिसिट और सरप्लस पर ध्यान देती है यानी किसी एक ग्रान्ट में यदि सरप्लस है तो उस सरप्लस को टोकेन ग्रांट द्वारा ऐसे काम में लायेगी, यह नहीं कि यदि एक ग्रांट में सरप्लस है और किसी दूसरी ग्रांट में डेफिसिट हो रहा है, यानी किसी ग्रांट में पैसा बच रहा हो और दूसरे में बढ़ रहा हो तो उस सरप्लस को deficit की पूर्ति के लिये ट्रांसफर किया जाय । इसका दुष्परिणाम यह होता है कि जहां कि मुख्य बजट में ४ करोड़ का डेफिसिट था तो सप्लीमेंटरी बजट में डेढ़ करोड़ का डेफिसिट और बढ़ गया । फाइनेन्शियल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए हमारा मुख्य बजट डेफिसिट बजट था, मैं यह नहीं कहता कि हम उस डेफिसिट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि वह डेफिसिट बजट था, सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिय, उसकी पूर्ति किसी न किसी दूसरी सूरत में की जाय । यह भी देखा गया है कि सप्लीमेंटरी बजट में जब तखमीने बनाये जाते हैं, अगर किसी ग्रांट में पैसा बचता है तो उचित यही होगा बजाय इसके कि वह लैप्स हो जाय उसको दूसरी ग्रांट में लगा दिया जाय ताकि ऊपरी रूप से जो फाइनल पिक्चर है उसमें डेफिसिट न पड़े ।

जहां तक अनफोरसीन और इमर्जेन्ट मामलों का सम्बन्ध है यह सप्लीमेंटरी बजट रक्खा जा रहा है । मैं दुर्भाग्यवश इस किताब को देखन के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इनमें से अधिकांश ऐसी मदें हैं जो किसी सूरत में अनफोरसीन नहीं कही जा सकतीं । केवल इतना ही नहीं, मैं थोड़ी देर में अनुदानों के बारे में क्रमशः बतलाऊंगा जिनमें कई ऐसी मदें हैं, जिनके सम्बन्ध में सरकार का ध्यान पिछले ४ वर्ष से आकर्षित किया जा रहा है और इस वर्ष उस पर सरकार ने कुछ कदम उठाया ।

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या १२--चार्जेज आन एकाउन्ट आफ जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में साढ़े १७ हजार की लागत से इलाहाबाद में गवर्नमेंट सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिये एक स्कूल दोबारा खोला जा रहा है। जहां तक गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की ट्रेनिंग का सवाल है मैं समझता हूं कि यह अति उत्तम होगा। सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग सही रूप से हो और उनको काम्प्रेहेंसिव ट्रेनिंग देने के बाद ही एक जिम्मेदारी के पद पर पोस्ट किया जाय, लेकिन इस सम्बन्ध में मैं अध्यक्ष महोदय, यह चाहता हूं कि ट्रेनिंग से पहले एक बात आती है जिसके ऊपर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी चर्चा राजनारायण जी ने की, जिनके शब्दों का प्रयोग न करके, मैं समझता हूं कि ट्रेनिंग के पहले रेक्रूटमेंट (भर्ती) आयेगा और जब तक सरकार अपने सर्वेंट्स का रेक्रूटमेंट सही रूप से और निष्पक्षता के साथ नहीं करती मैं समझता हूं कि उनको कितनी भी ट्रेनिंग क्यों न दी जाय वह फिजूल रहेगी। अध्यक्ष महोदय, दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले वर्ष की पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट अभी तक सदन के सामने पेश नहीं हुई। एक बार दिन भी नियुक्त हुआ था लेकिन उस दिन उस पर बहस न हो पायी। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा जाय तो उससे स्पष्ट मालूम हो जायगा रेक्रूटमेंट में अभी तरक्की के लिये काफी गुंजाइश है। उसमें तरक्की होने के बाद ही ट्रेनिंग से लाभ पहुंचाया जा सकेगा।

अब मैं अनुदान संख्या १८--शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। अंग्रेजी में एक कहावत है 'थैंक गाड फार लिटिल मर्सीज'। उस कहावत के अनुसार मैं शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देता हूं और आखिरकार ४ साल लगातार कहने के बाद आज उन्होंने टेहरी-गढ़वाल में चन्द जूनियर हाईस्कूल की मांग को पूरा किया। इस सप्लीमेंटरी ग्रान्ट द्वारा माननीय मंत्री महोदय ने १४ स्कूलों के सम्बन्ध में १ लाख ९ हजार रुपए की मंजूरी सदन से मांगी है। तो अध्यक्ष महोदय, इन १४ स्कूलों के लिये मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। किन्तु माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करूंगा कि यह लिस्ट पूरी नहीं है। मंत्री महोदय के सम्मुख इस सम्बन्ध में पूरी लिस्ट पेश हो चुकी है। इस लिस्ट के अनुसार जूनियर हाई स्कूल १२ बचते हैं जिनका केस हर तरह से ऐसा ही है और जिसके सम्बन्ध में यह लिखा हुआ है कि अभी तक उनकी इमारतें पूरी नहीं बनी हैं। मैं नम्रतापूर्वक यह कहूंगा कि यह बात सही नहीं है। उनमें सबकी इमारत बन गयी है। यदि किसी सूरत में कुछ इमारतों का अंश नहीं बना है तो उसका कारण यह है कि उनके पास अब कोई आर्थिक साधन नहीं है कि जिसको वह प्राप्त करके उनकी पूर्ति कर सके। इसलिये सरकार का यह कर्तव्य होगा कि यहां पर जो आश्वासन दिया गया था उसको पूरा करे। इसके साथ ही साथ मैं मंत्री महोदय का ध्यान इन बेसिक स्कूलों की तरफ भी आकर्षित करूंगा जिनकी हालत इसी प्रकार की है। उनकी ओर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस शिक्षा के अनुदान के बाद मैं उस अनुदान की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिसके अनुसार कुछ रुपया फेमिन रिलीफ के लिये अलग रखा गया है। मुझे खुशी है कि आखिरकार सरकार ने यह समझ लिया कि टेहरी-गढ़वाल और गढ़वाल में भी फेमिन रिलीफ की तैयारी करने की आवश्यकता है। इसमें आप देखेंगे कि करीब ५५ हजार रुपया रखा गया है। वह केवल अभी तैयारी के सम्बन्ध में है। उसमें कहा गया है कि यदि आवश्यकता पड़े तो यह तैयारी करने के बाद हम फौरन फेमिन रिलीफ शुरू कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि अभी तक मंत्रिमंडल और यह सरकार इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं है कि टेहरी-गढ़वाल और गढ़वाल में सदैव और बाकी दूसरे दो पहाड़ी जिलों में सम्भवतः कभी-कभी फेमिन (अकाल) की हालत पायी जाती है। वर्षा वहां पर अजीब तरीके से हो रही है जिसकी वजह से वहां पर अनाज कम पैदा हो रहा है और यह सब को मालूम है। इस वजह से वहां पर कभी भी गल्ले की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिये

यह जो फैमिन रिलीफ की तैयारी की गयी है यह एक व्यर्थ की चीज होगी, यदि सरकार इसके साथ-साथ कोई ऐसा उपाय न करेगी जिससे वास्तव में फैमिन के जो दुष्परिणाम होते हैं, यानी लोगों की बेरोजगारी वगैरह ।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविंद पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।)

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, मैं फैमिन के बारे में कह रहा था । उसके सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस सूरत से सरकार इस फैमिन की दुर्घटना का सामना करने जा रही है, या इसका सामना करने का विचार रखती है यानी इस सप्लीमेंटरी बजट द्वारा ५५ हजार १०० रुपया की मांग स्वीकृत कराने के पश्चात् एकसीक्यूशन आफ रिलीफ वर्क के लिये शस्त्र खरीद करके रखेगी । फैमिन रिलीफ के दो मुख्य तरीके हैं एक तो रिलीफ वर्क द्वारा और दूसरे फ्री ग्रान्ट्स द्वारा । यह दूसरी चीज मैं अनुचित समझता हूं जो रुपया इस प्रकार से दान के रूप में दिया जाता है वह मनुष्य की मर्यादा को धक्का पहुंचाता है और न इस प्रकार से लेना उचित ही है । जो भी फैमिन रिलीफ वर्क्स पहाड़ों में आरम्भ होते हैं उनके बारे में मैं सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो वेजेज पहाड़ी क्षेत्रों में टेस्ट वर्क के लिये निश्चित किये गये हैं वे बहुत ही कम हैं । यह प्रश्न बहुत बार सरकार के सामने लाया गया है और बार-बार यही बताया गया कि जहां-जहां टेस्ट वर्क्स खोले गये हैं वहां पर काम करने के लिये कोई नहीं आता । सरकार अब इसका नतीजा यह निकालती है कि टेस्ट वर्क्स में भाग लेने को अगर कोई नहीं आता है तो वहां फैमिन की दशा नहीं है । अध्यक्ष महोदय, पहाड़ों के जिलों की जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए यह एक गलत बहस और दलील होगी कि क्योंकि वहां कम वेजेज में लोग काम करने को तैयार नहीं हैं इसलिये वहां फेमिन नहीं है । लेकिन वहां की परिस्थिति इससे भिन्न है जिसका खुलासा विवरण देने के लिये तो मेरे पास समय नहीं है केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि फैमिन रिलीफ के सम्बन्ध में जो टेस्ट वर्क्स होते हैं उनमें वेजेज बढ़ाने की आवश्यकता है । जब तक वेजेज नहीं बढ़ाये जाते हैं टेस्ट वर्क्स द्वारा फैमिन से कुछ भी रिलीफ नहीं दिया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जो महत्व सरकार ने एन०सी०सी० को दे रक्खा है वह उचित है लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक होगा कि एन०सी०सी० को जो महत्वपूर्ण स्थान दिया गया उसको सही रूप देने के लिये सरकार को केन्द्रीय सरकार के साथ मिलकर एक ऐसा उपाय निकालना पड़ेगा जिससे एक विद्यार्थी एन० सी०सी० में भाग लेने के बाद और एन०सी०सी० में अच्छी तरह काम करने के बाद सरकारी फौज में भर्ती होने के लिये उसको सुविधा प्राप्त हो जाय । आज क्या होता है कि अपने कालेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में जो एन०सी०सी० में भाग लेते हैं उसके बाद न तो टैरिटोरिअल आर्मी ज्वाइन करने के लिये आकर्षण है और न फौज में भर्ती होने के लिये सुविधा प्राप्त है । मैं समझता हूं कि यह करना आवश्यक है और तभी एन०सी०सी० ज्यादा पापुलर हो सकेगा । जहां तक एन०सी०सी० स्वास्थ्य के लिये लाभदायक है उसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं और विशेष कर जब हम यह सोचते हैं कि दुर्भाग्यवश आजकल स्कूल कालेजों में स्पोर्टस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जोकि एक बहुत ही आपत्तिजनक बात है । इसलिये मैं समझता हूं कि एन०सी०सी० की तरफ जो ध्यान दिया जा रहा है उसकी ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाय और उसमें इन बातों की भी कुछ सुविधा दे दी जाय ताकि एन०सी०सी० में भर्ती होने वाले को यह मौका हो कि फौज में भर्ती होने के लिये सुविधा प्राप्त हो । मैं समझता हूं कि यह लाभदायक पाया जायगा ।

अन्त में मैं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा । उसमें एक बात तो यह है कि जो आशंका माननीय राज नारायण जी ने यहां पर प्रकट की कि जहां तक डेवलपमेंट ब्लाक, कम्युनिटी ब्लाक और नेशनल एक्सटेंशन ब्लाक के लोकेशन की बात है मैं भी कुछ

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

हद्द तक इसी राय का हूं कि किस नीति के अनुसार उनका सेलेक्शन नहीं किया गया है, इसको मैं समझ नहीं पाया हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा यह जान कर कि सारे टेहरी-गढ़वाल में एक भी एक्सटेंशन ब्लाक या कम्युनिटी ब्लाक को स्थान नहीं मिला था। श्रीमती मीरा बहन ने बहुत लड़ झगड़ कर एक दूसरे प्रकार का एक कम्युनिटी ब्लाक वहां के लिये खुलवाया। मैं यह भी बतला दूं कि अगर श्रीमती मीरा बहन चेष्टा नहीं करतीं तो टेहरी-गढ़वाल में किन्हीं कारणों से जिन्हें मैं नहीं समझता हूं, एक भी कम्युनिटी ब्लाक नहीं होता। तो कम्युनिटी ब्लाक के सेलेक्शन और लोकेशन के सम्बन्ध में सरकार को एक स्थायी नीति अपनाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अन्दर एक चीज खुली है जिसका नाम है प्लानिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उचित और अच्छा इंस्टीट्यूट खुला है। जैसा कि इसमें लिखा गया है जब इतना पैसा डेवलपमेंट पर खर्च किया जा रहा है तो बजाय पोस्टमार्टम के जरिये किसी चीज को जानने के यह अच्छा है कि जब इतना रुपया खर्च किया जा रहा है तो उसकी उपयोगिता भी साथ ही साथ देखते रहें, यह एक बहुत ही उत्तम बात है। अन्त में मैं एक कमेटी की ओर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा जिसको कि हम सब यहां पब्लिक एकाउन्ट कमेटी के नाम से जानते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक एकाउन्ट कमेटी का महत्व हम सब से अधिक माननीय वित्त मंत्री जी जानते हैं। तो मैं उनसे यह प्रार्थना करता हूं कि पब्लिक एकाउन्ट कमेटी के महत्व को देखते हुए उसकी बैठक शीघ्र.तिशीघ्र करावें। मैं समझता हूं कि इसमें माननीय मंत्री जी की कोई गलती नहीं है लेकिन उसके लिये भी ए०जी० महोदय पर जोर लगाया जाय ताकि हमारे प्रदेश का एप्रोप्रिएट एकाउन्ट जल्दी आ जाया करे। अगर एप्रोप्रिएट एकाउन्ट जल्दी आ जाय तो पब्लिक एकाउन्ट कमेटी की बैठक जल्दी होने का भी अवसर होगा। हमारे सामने पब्लिक एकाउन्ट कमेटी की रिपोर्ट भी होगी, उसकी चर्चा भी हो चुकी होगी। और उसकी चर्चा होने के बाद हम सब सही रूप से सरकार की आर्थिक दशा को देखते हुए सरकारी फाइनेंस के सदुपयोग के बारे में यहां अपने विचार प्रकट कर सकेंगे।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो पूरक बजट पेश है उस पर माननीय विरोधी दल के नेता ने जो भाषण किया उसको मैंने ध्यान से सुना। उसके सम्बन्ध में आपने अपने उद्गार प्रकट किये और मिर्जापुर का भी नाम आपने घसीटा। तो मैं मिर्जापुर वालों का दुर्भाग्य समझता हूं कि हमारे पड़ोस में मिर्जापुर के पड़ोस में माननीय विरोधी दल के नेता का जन्म हो गया। मैं नहीं समझ पाता कि वह खामख्वाह क्यों मिर्जापुर को हर बात में घसीटते हैं। पहली मर्तबा भी जब नहर रेट की बातें कही गयीं तब भी उन्होंने वही बातें कहीं और मुझे बड़ा अफसोस है कि जो आंदोलन उन्होंने वहां चलाया उसका रहस्य यह था कि उसके लिये उनके किराये के टट्टू आये थे और जिस तरह से हमारे देश में एक ऐसी बिरादरी है कि जिसमें किसी के मरने पर रोने वाली किराये कि औरतें मंगायी जाती हैं इसी तरह से वहां सत्याग्रहियों में किराये के टट्टू मंगाये गये थे और उन्हीं के द्वारा अगस्त में मिर्जापुर में सत्याग्रह का ढोंग रचा गया था। मैं जानता हूं कि उसमें मिर्जापुर के मुश्किल से दस पांच आदमी होंगे और अधिकतर उसमें गाजीपुर और देवरिया आदि बाहरी जिलों के ही लोग आये थे। इस तरह से पड़ोस में बैठकर मिर्जापुर में आंदोलन का ढड्ढा खड़ा किया गया था। हम मिर्जापुर वालों की वही गति हुयी कि 'महिमा घटी समुद्र की रावण बसा-पड़ोस' आपने इस बात का दुख प्रकट किया कि सोशलिस्ट लोगों के क्षेत्र .....

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि क्या यह भाषण सप्लीमेंटरी बजट पर हो रहा है ?

श्री व्रजभूषण मिश्र---मैं ईल्ड नहीं करता, मैं बैठता नहीं। मैं निवेदन कर रहा था कि उन को बड़ा खेद है कि जहां सोशलिस्ट लोगों का क्षेत्र होता है वहां सरकार विकास योजनायें नहीं खोलती। मैं नहीं समझता कि उन का कौनसा क्षेत्र ऐसा है जहां हमारी कांग्रेस का क्षेत्र नहीं है। वह यहां कितने बैठे हैं कुल १९ या २० वह यहां बैठे हैं जो सूबे भर से आये है और वह दावा करते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास योजना चालू नहीं की जाती। तो उनका क्षेत्र है कहां और कौन सा क्षेत्र है जिसमें कांग्रेस का क्षेत्र नहीं है। जैसे बालमीकि जी से महाराज राम ने पूछा कि कोई उचित स्थान रहने के लिये बताइये तो उन्होंने उन से कहा कि "जंह न होहु तहं देऊं कति तुमहि देखावहु ठाऊं"। तो ऐसी कौन जगह है कि जहां कांग्रेस नहीं है और जहाँ विकास कार्य नहीं हुआ है, कांग्रेस का क्षेत्र तो सब जगह है तो वह एक नहीं दस डाढ़ी रख लें लेकिन कांग्रेस का क्षेत्र मिटाने वाला कोई नहीं है, आप ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक कांग्रेस सरकार को नहीं मिटा लेंगे तब तक डाढ़ी नहीं कटेगी तो मैं कहना चाहता हूं आपकी डाढ़ी रहे या न रहे लेकिन कांग्रेस की जड़ तो शेषनाग के फण पर जम चुकी है और मेरा आत्म विश्वास है कि मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है। मैं कुछ भावुकता में यह नहीं कह रहा हूं। आपको यह भी खेद है कि पंत जी यूनिवर्सिटी गये और वहां उनका स्वागत हुआ। वह चाहते हैं कि वह यूनिवर्सिटी में न जायं और उनका कोई स्वागत सत्कार न करे, वह कोई बात अपने यहां के विद्यार्थियों से न कह सकें, क्योंकि वह कांग्रेस के आदमी हैं। यह सब थोथी दलीलें हैं। जब वह इस प्रदेश के कांग्रेस के नेता हैं और मुख्य मंत्री हैं तो उनका स्वागत क्यों न हो और उन का कांग्रेस से या विद्यार्थियों से सम्बन्ध कैसे टूट सकता है। वह जो चाहे कह सकते हैं और कोई भी उनका स्वागत कर सकता है। माननीय नेता विरोधी दल जो कुछ वह कहते हैं वह हर बात घुमा फिरा कर कांग्रेस पर ही लागू कर देते हैं। इस माने में यह कहना कि कुल कांग्रेस का ही काम किया जाता है और कांग्रेस का मंत्री लोग प्रचार करते हैं उसमें कोई असलियत नहीं है बल्कि उसका असली रूप ऐसा है जैसा मैं बता रहा था। इसके बाद वे विषय के बाहर नाना प्रकार की अनर्गल बातें कहते रहे उस पर मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और उस पर निर्णय होगा लेकिन मैं उनसे चाहूंगा कि वे विरोधी दल के नेता हैं और एक पक्ष का नेतृत्व करते हैं तो वह अपने मुंह से ऐसी बातें कहें जो शोभा की हों, अपने लिये, अपनी पार्टी के लिये और जनहित के लिये ऊंचा उठाने वाली चीज जो हो वह कहें। आप ने कहा कि फर्रुखाबाद में किसी एक सरकारी कर्मचारी ने स्वागत गान किया। मैं नहीं समझा कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी अपने जजबात को दबा ले, न कहे या क्या करे। एक शायर नागरिक है, एक शायरी सुना दी तो कौन सा गजब हो गया। अगर वह किसी तरह से अपनी भावना रखता है तो क्या उसको दबा ले। तो यह सब बातें ऐसी हैं जिन्हें गैर जिम्मेदारी की बातें कहा जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और श्री राजनारायण जी से कहता हूं कि जो बातें कहें वह समझ कर जिम्मेदारी के साथ कहें। आप ने कहा कि मिर्जापुर जिले के अहलपुरा वाली मिसिल ६ महीने तक दबा रखी गई और वह इसलिये कि कांग्रेस वाले ऐसा चाहते थे। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उनके पास क्या प्रमाण है क्या किसी कांग्रेस वाले की चिट्ठी है या कोई मौखिक प्रमाण है, किस आधार पर वह ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस वालों के प्रभाव से ६ महीने तक मिसिल रोक रखी गयी और उस पर आर्डर नहीं पास किया गया। और अगर ६ महीने तक रोक रखी गई हो और उसके बाद ही आर्डर पास किया गया तो उससे कौन सी सोशलिस्टों की मर्यादा घट या बढ़ गई। मैं फिर कहना चाहता हूं कि फिर अब श्री राज नारायण जी मिर्जापुर में आ जायं और सोशलिस्टों की तरफ से कोई आन्दोलन पांच मिनट के लिये भी चला लें तो मैं अपनी सदस्यता से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं।

श्री महमूद अली खां (जिला रामपुर)---जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया। हाफ़िज़ साहब फाइनेन्स मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया है उसकी मैं ताईद करता हूं और उसके बाद थोड़े से

[श्री महमूद अली खां]

वाकयात अपने रामपुर के रखूंगा । अभी ४ सितम्बर को रामपुर से जो अखबार निकलता है उसमें खबर शाया हुई कि रामपुर में पाकिस्तान का झंडा निकाला गया और पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाए गये । इसकी तरदीद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कर दी है कि ऐसी बात नहीं है और रामपुर के तमाम पार्टियों ने एक जलसा भी किया । लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि मेरे एक साथी जो जिला कांग्रेस कमेटी रामपुर के मेम्बर भी हैं उन्होंने जब मुझसे कहा कि रामपुर में मुसलमान शेर की तरह रह रहे हैं और हिन्दू एक भेड़ की तरह रह रहे हैं । मुझे कहते शर्म आ रही है कि कुछ लोग अपने जजबात के तहत वाक़यात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं लेकिन मैं यह कहूंगा कि सन् १९१६ से लेकर १९४९ तक रामपुर में जो होली मनाई जाती थी वह ऐसी थी कि सारे हिन्दुस्तान में न मनाई जाती थी और न मनाई जाती होगी । दस बारह जगह नाच होते थे, रंग लुटाये जाते थे, चौपैये निकलती थीं रामपुर में हिन्दू-मुसलमानों में काफी इत्तिफाक है । मेरे वालिद सब से बड़े फौजी अफसर थे और उनके साथ मैं फौज में भी जाता था । वे रंग बिरंगे कपड़े पहन कर फौज में जाते थे । उनके ऊपर रंग उड़ाये जाते थे और वह सब आपस में एक बड़ा इत्तिफाक मालूम होता था । जब से नवाब रजा अली खां आये तब से वहां मन्दिरों और मसजिदों में कोई फर्क नहीं रखा गया । उसके बाद जब देहली में और दूसरी जगहों में हिन्दू-मुसलमानों के झगड़े हो रहे थे तो रामपुर से नवाब साहब ने बहुत बड़ी स्पेशल भेजी जिसमें हिन्दू मुसलमान जो वहां के लोगों को लेने आये और वहां रामपुर के जो लूटे पीटे गये हों वह रामपुर में ले आये जायं । चुनान्चे आप समझिये कि एक बहुत बड़ी स्पेशल रामपुर में आयी और वहां जो लोग जख्मी हुये थे और लूटे पिटे थे वह सारे शहर में फैल गए । तो मुझे इसमें कहने की बात यह है कि कहा जाता है कि शेर जख्मी होने के बाद ही शेर होता है लेकिन यह मुसलमान भाई जो देहली से लुट पिटकर जख्मी होकर आये और सारे शहर में फैल गये, फिर भी किसी हिन्दू भाई से तू तक नहीं की और वहां कोई बात नहीं हुई । इसके बाद एक ख़तरा और पैदा हुआ । जब सन् १९५० में शाहजहांपुर में दंगा हुआ और वहां के मुसलमान भाग कर रामपुर पहुंचे और वहां उन्होंने एक टेन्ट लगा दिया । उन्हीं दिनों वहां शरणार्थी भाई भी आये हुये थे । लेकिन अपने ख़तरे के बरखिलाफ मैंने देखा कि वहां के हिन्दू मुसलमानों ने मिल कर के शाहजहांपुर से भागे हुये मुसलमानों की ख़िदमत की और उनकी देखभाल की । तो इससे आप अन्दाजा करें कि रामपुर में किस हद तक दोस्ती हिन्दू मुसलमानों में है । दो मस्जिदें रामपुर में मुसलमानों ने बन्द कर दीं, यह मस्जिदें अस्तबल में और गोखाने में हैं, वहां चूंकि रिफ्यूजीज की आबादी हो गई है इसलिये मुसलमानों ने अपनी मरजी से इन मस्जिदों को बन्द कर दिया लेकिन इसके खिलाफ एक मस्जिद ५०, ६० साल से बन्द थी उसको वहां के हिन्दू भाइयों और चुनामणि ने, जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने लोगों के कहने पर खोलदी और किसी हिन्दू भाई ने उसकी खिलाफत नहीं की किसी ने यह नहीं कहा कि यह क्यों खोली जा रही है बल्कि उसके खोलते समय गांधी जी के और' कांग्रेस जिन्दाबाद के नारे लगाये गये । यह बातें ऐसी हैं कि जिन पर मैं फख्रिया कह सकता हूं कि वहां, रामपुर में कोई हिन्दू मुसलमानों का सवाल नहीं उठाता और न है । और अभी वहां एक मुहल्ले नाले पार में गाय के किस्से में पुलिस में और वहां के रहने वालों में लड़ाई हो गई । वह मामला अदालत में है, इसलिये उस पर कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन जिस समय झगड़ा हुआ वहां कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गये, विद्यार्थी जी । और उनसे वहां के मुसलमानों ने अपने दुःख दर्द कहे । यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि रामपुर में हिन्दू मुसलमानों का कोई सवाल नहीं, दूसरी जगह पर इस प्रकार की मिसाल नहीं मिल सकती है । ऐसी हालत में यह कहना कि रामपुर में गाय ज्यादा कटती है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर मैं इसको तस्लीम भी कर लूं तो वहां कलेक्टर से ले कर नीचे तक के सब अफसर हिन्दू हैं और तब इसकी जिम्मेदारी किसकी है ? लेकिन मैं फिर कहता हूं कि यह बिलकुल गलत बात है । इसके अलावा रियासत के जमाने में बहुत से मुलाजिम थे जो अब बेकार हो गये हैं । मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट उनकी तरफ जरूर

तवज्जह करेगी और इसके अलावा जो वहां के कारखाने बंद हैं उनको जल्दी ही चालू करायेगी और मैं समझता हूं कि इस तरह से जो वहां के गरीब तबके के आदमी हैं उनको रोटी और कपड़े का इंतजाम करने में यह सरकार मदद करेगी। आगे चलने पर मैं कहूंगा कि अभी वहां ओला पड़ने से खेती तबाह हो गई है और जो बची थी वह सैलाब आने से बरबाद हो गई। तो लिहाजा इन गरीब काश्तकारों की मुसीबत को दूर करने के लिये भी हमारी गवर्नमेंट को अपनी तवज्जह देनी चाहिये, और उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। रामपुर का पहला नाम मुस्तफाबाद था बाद में रामपुर रक्खा गया, यही वजह है कि वहां के हिन्दू मुसलमानों में इत्तिफाक है। वह खुदा के दुश्मन होंगे कि जो रामपुर में हिन्दू मुसलमान या वहां गौ कशी की बात कहते हैं इसलिये कि रामपुर खुदा के नाम पर है। मुझे उम्मीद हैकि जो बातें स्टेट के जमाने में वहां नहीं थीं अब वहां हो जायंगी और गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जह करेगी, जैसे टेलीफोन, डिस्पेंसरीज, गश्ती दवाखाने वगैरह जो बन्द हो गये हैं उनको फिर चलाया जायगा। इसी के सिलसिले में एक बात यह कि वहां कोआपरेटिव ट्रान्सपोर्ट यूनियन है जो चल रही है। सूबे में केवल वही कोआपरेटिव ट्रान्सपोर्ट है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस कोआपरेटिव से जो सड़कें गवर्नमेंट ने ले ली हैं वह उसे वापस कर देगी, इसलिये कि उसमें गरीब रामपुर का पैसा लगा हुआ है और वहीं के लोग शेयर होल्डर हैं। तो मैं समझता हूं कि मेरी इन बातों की तरफ कांग्रेस गवर्नमेंट जरूर तवज्जह करेगी।

*श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सप्लीमेंट्री बजट हमारे सामने पेश हुआ है उसके लिये सर्वप्रथम मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। कारण यह है कि इस बजट में कुछ ऐसी खास खूबी है जिसके लिए हम वित्त मंत्री जी के आभारी हो सकते हैं। पहली बात तो यह है कि यह बजट बहुत जल्दी रखा गया है, यानी बजट पास होने के कम समय में ही। जब ऐसी अवस्था आये कि बहुत सी नई नई मदों में खर्च करना पड़े तो गवर्नमेंट ने यह तरीका निकाला कि सदन की अनुमति पहले ले ली जाय। दूसरी खूबी इस बजट में यह है कि जितना रुपया रखा गया है वह डेढ़ करोड़ रखा गया है और योजनायें जन उपयोगी बहुत सी हैं। इस बजट के अन्दर जो डिमान्ड्स हैं उसके करीब ८० फ़ीसदी ऐसी हैं जो टोकिन हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बड़ी खूबी है कि उसी रुपये के अन्दर बिना अधिक अनुदान मांगे हुये योजनाओं का कार्य शुरू होने जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह टोकिन ग्रान्ट्स का जो सिस्टम है कि पिछले रुपये में अपना काम चला लेना इससे हमें होशियार होना चाहिये। अनुमान किया जाता है कि जो पहले वाला बजट है उसमें आंकड़े बहुत अधिक रुपये के रख दिये गये हैं और यह जो बचत का है यह कैसा है। जो रुपया हमने रखा वह खर्च नहीं किया जा रहा है। अब जब हम दूसरी योजनाओं में खर्च करने जा रहे हैं उस बचत के रुपये को तो मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ जायगा कि आंकड़ों के बारे में काफी गौर करना चाहिये और ऐसी आइटम्स जो जरूरत से ज्यादा हों, वह नहीं रखनी चाहिये। यह सदन के साथ अन्याय होगा कि जो आंकड़े रखे जाते हैं वह जरूरत से ज्यादा हों। जो रुपया हमने रखा वह ठीक है और काम नहीं पूरा हुआ तो गवर्नमेंट को उसका जवाब देना चाहिये कि वह खर्च किन कारणों से पूरा नहीं हुआ। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ़ जायगा कि आइंदा यह देखा जाय कि जो आंकड़े रखे जायं वह ठीक रखे जायें और ६ महीने के अन्दर में बचत होना उचित नहीं मालूम पड़ता।

माननीय नेता विरोधी दल की नीति से हमें निराशा हुई, हमें आशा थी कि उनके विचारों से राज्य सरकार को लाभ होगा, लेकिन वह आशा हमारी पूरी नहीं हुई। इस बजट के अन्दर कई योजनाओं का समावेश किया गया है और उसकी आलोचना करना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। अगर उनकी आलोचना करने का मतलब यह लगायें कि उन्हें हमारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधामोहन सिंह]

योजनायें स्वीकृत हैं तब तो हम उनका स्वागत करते हैं। जो विशेष काम किये गये हैं उनमें दो तीन बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो फलड के सम्बन्ध में। मुझे यह जान कर खुशी हुई कि सरकार की ओर से बाढ़ के लिये बड़ी योजना कार्यान्वित होने जा रही है और यह आशा की जाती है कि इन बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र के लोगों को यह निराशा हो गई थी किउनका जीवन स्तर कभी ऊंचा नहीं हो सकता है। अब कल जो अखबारों में खबर मिली है उसमें यह है कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई है, उसमें इंजीनियर्स की राय है कि बांध बनाने से नुक्सान होता है। मैं यह कहना चाहता हूं है कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र के लोगों से पूछा जाय कि उनकी क्या राय है और वह क्या चाहते हैं? हमारे इंजीनियर्स आराम से बाहर बैठे हैं और वह चाहते हैं कि प्रकृति के रोष से बचने के लिये रास्ता निकालना चाहिये। वह तो वहां आराम से बैठे हुये हैं। लेकिन बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के लोगों की यह राय नहीं हो सकती है। अगर हमारे हिन्दुस्तान की मानवता का इतिहास देखा जाय तो प्रकृति के साथ उसकी हमेशा लड़ाई हुई है। आज बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र के लोग यह आशा करते हैं कि इस वैज्ञानिक युग में यदि उनको प्रकृति के रोष से बचाया जा सकता है तो बचाया जाय। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े बड़े बांध बनाये जायं और वह नदी से दूर हों और नदी का बहाव न रुके और अब ऐसा समय आ गया है कि इसको टाला नहीं जा सकता है।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह नेशनल हाईवेज के सम्बन्ध में है। यह एक ऐसा रास्ता है जो बनारस से जाता है छपरा को, दूसरा जो दक्षिण से जाता है और बिहार में निकलता है। बलिया और छपरा के बीच में बड़ा पुल है। यह स्कीम है कि बलिया और गाजीपुर होते हुये छपरा और मुजफ्फरपुर को सड़क जाय, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि वह पुल से हो कर जाय। मैं आशा करता हूं कि सदन इसको पास करेगा।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वित्त मंत्री जी को दो बातों के आधार पर बधाई देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जो अनुदान अनुपूरक बजट रखे हैं वह निहायत ही आवश्यक हैं और वह हमारे देश के और सभी विभागों की उन्नति के लिये हैं। दूसरा कारण यह है कि जितनी ग्रान्ट्स हैं, उनमें जो रुपया रखा गया है वह रुपया पिछले बजट में मंजूर हो गया था तो उसी रुपये से काम चलाना चाहते हैं। मैंने इस बात पर विचार किया और अब तक हमारे सरकारी अफसरान की यह विचारधारा रहती थी कि अधिक से अधिक रुपया खर्च किया जाय और कम से कम काम हो। परन्तु मैं देखता हूं कि अब यह विचारधारा बदल सी गई है और इसी का यह सबूत है कि वह पिछले रुपये में ही काम चलाना चाहते हैं। मेरे एक मित्र ने यह कहा कि गवर्नमेंट से यह पूछा जाय कि रुपया क्यों नहीं खर्च किया गया, तो यह चीज गलत होगी, बल्कि मैं तो समझता हूं कि आजकल कुछ भाव उत्पन्न हो रहा है कि इस गरीब किसानों के प्रदेश में ऐसा प्रबन्ध हो कि कम से कम रुपया लगाया जाय और अधिक से अधिक काम हो। जब यह भावना हमारे सरकारी अफसरान और जिम्मेदार इंजीनियरों की हो जाय तभी हम उन्नति कर सकते हैं। इसलिये मैं फिर वित्त मंत्री जी को शुभ अवसर पर एक बार बधाई देता हूं कि ऐसी भावनाओं को उत्पन्न करने का प्रयत्न करें।

एक बात मैं नहर विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि इसकी स्थिति इधर १०-१५ वर्ष से बहुत खराब हो रही है। इसके तीन आफिसर्स एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और डी० आर० ओ० के लिये जो घोड़े की सुविधा थी उसको बन्द कर दिया गया था। उसका नतीजा यह हुआ कि है कि नहरें कटने लगी हैं, कुलवे बन्द होने लगे हैं। पतरौल, अमीन और जिलेदार वगैरह सब आजाद हो गये हैं और इनको चेक नहीं कर सकते हैं और यह मनमाना रुपया काश्तकारों से ले रहे हैं, क्योंकि अफसरान वहां जाना भी चाहें

तब भी वह मोटर से नहीं जा सकते। अतः जितने छोटे अफसरान थे वह सब स्वतंत्र थे और मनमाना रुपया ले कर नहर कटवाते थे। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने स्वयं हमारे साथ रह कर देखा है कि पश्चिमी जिलों में नहर की पटरियां काट ली गईं। यह उन किसानों का दोष नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि जितने केसेज (मामले) हमारे सामने आये, उसमें पतरौल, अमीन और जिलेदार इत्यादि के दोष थे। उन सरकारी कर्मचारियों का रवैया यह था कि रुपया उन किसानों से लिया करते थे और पटरी कटवा दिया करते थे। अब इस योजना से एस० डी० ओ०, एग्जिक्युटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को जो घोड़े दिये जायंगे तो इसमें हमारे लिये बचत भी काफी है। ७५ रुपये मासिक एक घोड़े पर व्यय लगाया गया और इसके साथ ही दूसरे भत्ते जो इन अफसरान को दिये जाते थे ५० रुपये के वह कम हो जायंगे। तो यह एक बहुत ही बुद्धिमानी है हमारे सिंचाई मंत्री जी की और मैं बधाई देता हूं कि आप ने आज यह कार्य करके दिखाया और हमारी नहरों पर घोड़ों की जो बिगड़ी हुई दशा थी वह भी ठीक हो जायगी, जब कि एक अफसर के लिये ७५ रुपया माहवार व्यय मिल जायगा। जिन अधिकारियों को घोड़ा भत्ता दिया जाता है, उनमें ३० एग्जिक्युटिव इंजीनियर्स, ९० असिस्टेंट इंजीनियर को और ३० डिप्टी रेवेन्यू अफसर इस प्रकार से १५० घोड़ों के लिये जरूरत होगी, जिससे हमारे देश और प्रान्त की बड़ी तरक्की होगी। मार्च, १९५५ तक अतिरिक्त व्यय ४५,००० रुपये का होगा और २२,५०० रुपये जो पूरक मांग में प्रस्तुत हैं वह अक्तूबर से आगे के लिये हैं। मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस कार्य का अक्तूबर के आरम्भ से ही उसका उपयोग हो जाना चाहिये वरना साढ़े बाइस हजार रुपया जो इस मद के लिये रखा गया है कहीं अन्त में जाकर नष्ट न हो जाय। इसलिये अत्यन्त आवश्यक है कि साढ़े बाइस हजार रुपया पहले से ही प्रबन्ध कर के यह योजना उपयोग में आ जानी चाहिये।

दूसरे मैं कृषि मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विभाग की उन्नति के लिये काफी प्रयत्न किया है। पशु चिकित्सालय, मथुरा में पुस्तकों की बहुत कमी थी और लड़कों को पढ़ने को नहीं मिलती थीं। अब अमरीका और दूसरे देशों से पुस्तकें मंगा कर लड़कों को किताबें दी जायंगी और केवल किराया इत्यादि लिया जायगा। मैंने स्वयं देखा है कि लड़कों के पास किताबें नहीं हैं, इसलिये वहां का परीक्षा-फल बहुत ही शोचनीय रहता है। साथ ही साथ मैं कृषि मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इतने अधिक से अधिक संख्या में जो विद्यार्थी मथुरा कालिज में फेल हो रहे हैं उनकी सुविधा के लिये पुस्तकें इत्यादि और इक्विपमेंट आदि मुहइया किये जायें, जिससे अधिक से अधिक संख्या में बच्चे पास हों।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर आने के पहले तो मैं माननीय व्रजभूषण मिश्र, ग्रामवासी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि वह अक्सर उपदेश देने के आदी हो गये हैं और ऐसे आदमी का उपदेश कोई मानता नहीं जिस पर वह स्वयं कभी अमल नहीं करता। ग्रामवासी जी से केवल इतना कह देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान गरीब देश है और किराये पर रोने वाले और गाली देने वाले दोनों ही बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं।

अब रह गया उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दू-मुस्लिम समस्या के सम्बन्ध में जो सदन में वाद-विवाद हुआ है, मैं उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज कांग्रेस में एक सेक्शन है, उसमें खास खास लोग जो कांग्रेस में भी हैं और जमीयतुलउल्मा हिन्द के प्रमुख कर्मचारी और अधिकारी भी सम्मिलित हैं जो आज हिन्दुस्तान के मुसलमानों में यह प्रचार कर रहे हैं कि अगर तुम्हारी सुरक्षा हो सकती है तो सिर्फ जवाहर लाल नेहरू की वजह से। इससे क्या मानी निकलते हैं, अध्यक्ष महोदय? क्या जवाहर लाल नेहरू ही अकेला व्यक्ति ऐसा है जिस पर तमाम मुसलमानों की सुरक्षा निर्भर है? मैं तो परमात्मा से चाहता हूं कि वह और सौ दो सौ वर्ष जीवित रहें, मगर अगर वह न रहें तो उसके बाद मुसलमानों के लिये क्या रास्ता होगा?

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं। यह बजट डिस्कशन चल रहा है• जमीअतुलउल्मा और पं० जवाहर लाल नेहरू की बातों से इससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि वाद-विवाद बजट पर ही होना चाहिये।

श्री राजनारायण--उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर की कम से कम एक बार आप व्यवस्था दें और जो आदमी अनावश्यक प्वाइंट आफ आर्डर उठाए उसके लिये भी कोई दंड रहे । अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जिस समय माननीय मुख्य मंत्री जो आयेंगे तो हर पांच पांच मिनट पर प्वाइंट आफ आर्डर होगा और उनको बोलना मुश्किल हो जायगा। यह कोई तरीका है प्वाइंट आफ आर्डर उठाने का। हमारे माननीय सदस्य पुराने लेजिस्लेचर हैं कोई नये नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि वाद-विवाद बजट पर ही रहना चाहिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, आपकी शागिर्दी करते हमको भी तीन साल हो गये। क्या आप समझते हैं कि हम कोई बेकायदा बात कहेंगे । दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि ढाई मिनट प्वाइंट आफ आर्डर में निकल गये। तो इसको हमारे समय में से न काटा जाय ।

मैं इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कोई भी संस्था अगर इस बात का दावा करती है, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे कोई दूसरी संस्था हो कि वही अकेले हिन्दुस्तान के मुसलमानों की मसीहा बन सकती है और दूसरा कोई नहीं है तो यह देश के लिये बहुत ही घातक है। आज हिन्दुस्तान के मुसलमानों का हित इसमें है, कि वे मुख्तलिफ पार्टियों में जो जनतंत्र में विश्वास करती हैं, और जिन में हिन्दू मुसलिम एक प्लेटफार्म पर कार्य कर सकते हैं बट जायं कांग्रेस की यह चालबाजी दिन प्रति दिन मुसलमानों के खिलाफ जाती है । आज ऐसी व्यवस्था पैदा की जाती है कि मुसलमान भयभीत हों। और उसके बाद उनके हित की बात की जाय । यह नीति देश के लिये हितकर नहीं है ।

अब मैं बजट के आंकड़ों पर आता हूं। श्रीमन्, इस सप्लीमेंटरी बजट में एक आइटम यह है कि रोशनुद्दौला कचेहरी, लखनऊ में एक ब्लाक बनने वाला है और इसी बजट के लिटरेचर में यह लिखा हुआ है कि यह मसला सन् १९१५ से विचाराधीन है। तो यह कहां की अनफोरसीन बात हुयी। फिर दान सिंह विष्ट गवर्नमेंट डिग्री कालेज के लिये ४० हजार रुपए की व्यवस्था की गयी है और इसी बजट लिटरेचर में लिखा है कि १९५३-५४ के सप्लीमेंटरी बजट में इसकी व्यवस्था नहीं की जा सकी इसलिये इस सप्लीमेंटरी बजट में व्यवस्था की जा रही है। तो श्रीमन् तब से यह चीज सामने है और बीच में एक साल का बजट भी आ चुका है तो इस सप्लीमेंटरी में इसका लाना कहां तक उचित है। लखनऊ के सशस्त्र कांस्टेबिलों के मकानों के बारे में एक तरफ तो इसी बजट लिटरेचर में लिखा है कि वे मकान इतने गिर गये हैं कि रहने के लायक नहीं हैं और दूसरी तरफ कहा जाता है कि अनफोरसीन सरकम्सटांसेज हैं। इसके पहले सरकार कहां सो रही थी ?

उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी बजट लाने में सरकार की चालाकी यह है कि चूंकि वह हमेशा डेफिसिट बजट पेश करती है तो वह डेफिसिट प्रदेश की जनता के सामने एकदम न आ जाय इसलिये इन्सटालमेंट्स में लाती है। चार करोड़ का डेफिसिट पहले ही था और उसी वक्त और हो जाता तो लोग सशंकित हो जाते इसलिये यह सप्लीमेंटरी लाया गया। दूसरे सप्लीमेंटरी बजट में भी यही चालाकी रहेगी। तो यह अनफोरसीन सरकम्सटांसेज के नाम पर चालाकी करना मुनासिब नहीं है ।

आप देखेंगे कि जालौन में कांस उखाड़ने के लिये १,३५,७०० रु० रखे गये हैं। और इसी में साफ-साफ लिखा है कि झांसी में यह काम नहीं हो सका, इसलिये जालौन में किया जाने वाला है। यह काम जालौन में भी नहीं होगा। और हम तो सरकार को सलाह देंगे कि अगर यही नीति रही कि ५०,५५ और ६० रु० एक एकड़ में कांस निकालने की मजदूरी किसानों से ली जायगी तो कोई किसान इस पर तैयार नहीं होगा। मैं बजट का साहित्य पढ़ना नहीं चाहता लेकिन एक ऐसा जुमला इसमें है जो मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं और वह है जेलों के सुधार के बारे में। वर्तमान परिस्थितियों में जेलों में बंदियों की संख्या अत्यधिक होने की समस्या का केवल एक ही क्रियात्मक हल है कि जिला जेल बरेली को फिर से खोल दिया जाय। तो अब हमारी सरकार की राय में कैदियों की बढ़ती हुयी संख्या का एक क्रियात्मक हल यही है कि जेलें अधिक खोली जायं और खास कर के बरेली जेल। क्या प्रदेश की स्थिति है, इस तरह से क्राइम बढ़ रहा है और उसका क्रियात्मक हल जेलों को फिर से खोल देना है यह सरकार अपना मजाक उड़वाती है और मजाक नहीं उड़वाती है तो तो फ़िर क्या है?

शिक्षा के सम्बध में एक गोपनीय विभाग खोला जा रहा है। इंटरमिडियट और हाईस्कूल परीक्षाओं के लिये। जब केंद्रीय सरकार के राज, प्रदेशीय सरकार के राज एक एक व्हिस्की की बोतल के लिये इंटरनेशनल मामलों में भी खुल जाते हैं तो एक गोपनीय विभाग खोल कर रुपया लगाने से क्या लाभ होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होनी चाहिये कि हर सरकारी कर्मचारी को काफी भत्ता दिया जाय और उनकी तनख्वाहें बढ़ती जायं ताकि उनको रिश्वत लेने की जरूरत न पेश आये। घर पर भी वह लोगों से मिल सकते हैं। इसलिये खुफिया विभाग खोलने से कोई समस्या हल हो जाय, इससे कोई फायदा नहीं हो सकता।

शिक्षा के बारे में मेरा विचार था, हमारी तरफ से यह आलोचना भी की गयी थी कि माननीय सम्पूर्णानन्द के हाथ से जो यह मुहकमा लिया गया इससे शिक्षा का कल्याण नहीं होगा। हमारा विश्वास है कि अगर माननीय हर गोविंद सिंह को पुलिस का मुहकमा दे दिया जाता तो अच्छा था बिल्कुल तानाशाही और फेवॉटिज्म का तरीका वह शिक्षा विभाग में बरत रहे हैं। सरकारी टैक्सट बुक छापने वाले पब्लिशर्स के मामले में अगर हम देखें तो तीन चार सौ पब्लिशर्स पहले किताबें छापते थे। उन्होंने बिलकुल आर्बिट्ररी तरीके से आठ पब्लिशर्स के हाथ में किताबें छापने का सारा काम दे दिया है।

अन्त में रिहन्द डैम के बारे में कहना चाहता हूं कि २६ फीट चौड़ी सड़क के सम्बध में व्यय किया जा रहा है। ३५ करोड़ का यह प्रोजेक्ट है लेकिन सोन नदी का पुल इसमें शामिल नहीं है जिसमें दो करोड़ रुपया लगेगा। माननीय वित्त मंत्री जी इसका जवाब देंगे इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन गया और सोन नदी पर पुल की कोई व्यवस्था उसमें नहीं की गयी। इस अव्यवस्थित तरीके से हमारी योजनायें बनायी जाती हैं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरक बजट के ऊपर इस सामान्य विवाद के लिये आपने मुझे समय दिया, मैं हृदय से आपका आभारी हूं और माननीय मंत्री जी को जिन्होंने इस सदन के सम्मुख बजट को रखा है, जिससे प्रदेश की अनेक योजनायें पूर्ण होंगी, हृदय से स्वागत करता हूं।

मैं आज इस अवसर पर सरकार का ध्यान इस तरफ भी ले जाना चाहता हूं कि सरकार जिस तरफ और जिस तेजी से योजनायें गांवों की तरफ ले जाना चाहती है और खास तौर से उन जगहों पर जो कि प्रदेश के बहुत उपेक्षित क्षेत्र रहे हैं, उस तरफ सरकार का ध्यान कम गया है। काफी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सरकार की योजनायें तो क्या सरकार के कर्मचारी भी वहां पहुंच नहीं पाते हैं। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस प्रदेश के उन इलाकों की तरफ अपना ध्यान दे और उनके लिये भी कुछ योजनायें बनाये। सरकार ने अभी अपनी प्लानिंग की योजना प्रदेश के लिये बनायी है, जहां तक कागजी काम है वह तो

[श्री रामचन्द्र विकल]

ज्यादा मालूम होता है मगर जब हम जिलों म वास्तविक रूप से काम को देखते हैं तो ऐसा नहीं है । कई विभाग एक जगह मिला देने से, जिस विभाग के कर्मचारी को देखिये ऐसा मालूम होता है कि वह पूरी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करता । प्लानिंग विभाग, कोआपरेटिव विभाग, सूचना विभाग, पी०आर०डी० इन सारे विभागों को जिलों में मिला दिया गया है । इन सारे विभागों को मिलाने से सरकार और माननीय मंत्री जी की जो नीति होती है वैसा काम नहीं हो पाता है । जब कभी भी श्रमदान और इस प्रकार के कामों को दिखाने की आवश्यकता होती है तो कागज में बहुत होता है । लेकिन असल में काम बहुत कम होता है । जब सरकार जनता का दिल-से हित चाहती है तो कर्मचारी केवल इसीलिये वेतन पाते हैं कि सरकार को उनसे कहना चाहिये कि जब हम देश को बनाने चले हैं, तो देश को बनाने में आपकी जिम्मेदारी भी हम से कम नहीं है । प्लानिंग विभाग के कर्मचारियों पर जितना व्यय होता है उतना भी काम प्लानिंग में नहीं हो पाता है । जनता उन नेताओं की बात सुनती है जो श्रमदान और प्लानिंग के बारे में गांव के लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं । लेकिन सरकारी कर्मचारी इसके लिये इतने महंगे पड़ते हैं कि उनमें प्रेरणा देने की कोई शक्ति नहीं है बल्कि जो पेट्रोल और मोटरों में व्यय होता है वह श्रमदान से इतना महंगा पड़ता कि अगर उससे आधा रुपया भी प्लानिंग की योजनाओं में लगा दिया जाय तो उससे कहीं ज्यादा काम हो सकता है । एन०ई०एस० ब्लाक और कम्युनिटी प्राजेक्ट्स में जितना रुपया खर्च होता है हम जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि साढ़े सात लाख रुपए की सरकार की योजना है उसमें सरकारी कर्मचारियों पर जो व्यय होता है यदि उसका आधा रुपया प्लानिंग में लगा दिया जाय तो उससे ज्यादा काम हो सकता है । हमने यह भी देखा है कि विकास क्षेत्रों के सम्बन्ध में जहां उन इलाके के लोगों की राय होती है कि यह हमारी मुख्य योजनायें हैं, इससे हमारे इलाके का कल्याण होगा । वह उन योजनाओं पर खर्च न करके विभिन्न छोटी-मोटी योजनाओं पर खर्च किया जाता है जिससे न जनता सुखी हो पाती है, न सरकार का काम होता है । सरकार केवल कागजात पूरे कर पाती है । इन विकास के कामों की ओर विशेष ध्यान दिया जाय । मैं इस अवसर पर सरकार का पिछड़ी हुयी जातियों की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा बजट के मौके पर, सवालात के मौके पर हम पिछड़ी जातियों की चर्चा करते हैं । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जितना रुपया और आवश्यकता है वह इस सरकार से पूरी नहीं हो सकी है । भारत सरकार ने जो कमीशन मुकर्रर किया है उससे पहले कुछ जातियों को निकालने के लिये एक सर्कुलर सरकार ने भेजा था । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी को यह बधाई देता हूं कि उन्होंने कुछ लोगों का डेपुटेशन मिलने पर उस सर्कुलर को वापस ले लिया और पहले जो प्रदेश भर में असंतोष उत्पन्न हो गया था उनमें अब आशा की लहर फैल गयी । अगर संविधान और सरकार की नीति है कि पिछड़ी हुयी जातियों को उठायें तो सरकार जितना रुपया कागज में दिखाती है उतना रुपया व्यय करके उनको उठने के लिये सुविधायें प्रदान करे । इसके अतिरिक्त अनेक बातें हैं जिनको मैं इस सामान्य वाद-विवाद में कहना चाहता हूं । पुलिस जिसके बारे में हमारे प्रदेश भर में हाहाकार मचा हुआ है और जो नये नये गैंग बनते जा रहे हैं पुलिस छोटी-छोटी जगहों पर उनका कुछ नहीं कर पाती अगर संबंधित जिले के पुलिस अधिकारी जैसे एस०पी० आदि अपने मातहतों को आगाह कर दें तो गांव में जो आज अराजकता फैली हुयी है ठीक हो सकती है । गांव में एक साधारण व्यक्ति का आज जीना मुश्किल है और वह सुरक्षा के लिये शहर में आना पसन्द करता है, ये सब बातें खत्म हो जायंगी । मेरे पड़ोस में गुड़गांव जिला है । वहां के एस०पी० से मैं मिला, वह कहते हैं उस एस०पी० ने कह रखा है कि अगर उसके थानेदार रिश्वत लेते हैं तो समझा जाय कि वह रिश्वत में लेता हूं और यह बात उसके नोटिस में लायी जाय । कहते हैं कि इसका नतीजा यह हुआ कि गुड़गांव जिले की पुलिस की प्रशंसा इतनी अधिक है कि गांवों में क्राइम कम हो गये, चोर और डकैत हमारे पड़ोस के इलाके तक में कम हो गये हैं लेकिन हमारे इलाके में अभी तक कोई भी सुधार नजर नहीं आया ।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)---यह जो सप्लीमेंटरी बजट पेश हुआ है और जो बजट साधारण रूप से आया था दोनों के मिलाने से दो बातों की ओर अनायास ध्यान चला जाता है। एक तो इस सरकार की आर्थिक दृढ़ता और दूसरे रुपयों का समुचित ढंग से उपयोग। इस बजट में दो बातें मुख्य रूप से देखी जा सकती हैं। एक तो रेवेन्यू के बारे में और दूसरे सिंचाई के बारे में। रेवेन्यू के सम्बन्ध में जो डिटेल वर्किंग हुई है उससे ऐसा लगता है कि किस साइंटिफिक तरीके से, कितने सिस्टेमेटिक तरीके से सरकार अपनी उस नीति को अग्रसर करना चाहती है जिस नीति पर चल कर वह इस प्रदेश तथा समाज का निर्माण करना चाहती है। लैन्ड रेकार्ड में लेखपालों की ट्रेनिंग एक मुख्य अंग है। प्रदेश की जनता और सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि जो रेकार्ड पहले तैयार हुए हैं वे गलत हैं और लोग उनसे परेशान हैं। सरकार ने उसे सही रूप में ध्यान में रखा है और उसे दूर करने की हर तरह कोशिश की है। ट्रेनिंग देकर या जो भी साधन संभव हो उसका उपयोग करके। मैं समझता हूं कि कृषि के सम्बन्ध में जो क्रान्ति हुई है इस प्रदेश में वह भारत के लिये नेतृत्व का स्थान रखती है। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी कार्य किया जा रहा है वह न केवल प्रदेश के लिये बल्कि समुचित भारतवर्ष के लिये अभिमान की बात है। दो-तीन बातें और मैं सरकार के ध्यान में सही तौर से लाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि सरकार उन कामों को अपने हाथ में लेकर उनको पूरा करना चाहती है और सरकार की वही नीति है जो पहले थी। जमींदारी अबालिशन के सम्बन्ध में आज से नहीं बल्कि सन् १९४६ से जब से कांग्रेस सरकार प्रथम बार शासनारूढ़ हुई है उसी नीति पर चल रही है। उस समय जमींदारी अबालिशन का एक रेज्योलूशन पास हुआ था आज भी निश्चय रूप से उसी रास्ते पर चलकर उस नीति को अंतिम रूप दे देना चाहती है। इसमें भी जमींदारी अबालिशन करने के पश्चात् कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग का प्रश्न आ रहा है और अधिवासियों को जो अधिकार दिया गया है उसके सम्बन्ध में २,३ बातें आती हैं यानी उसके लिये भूमि की उच्चतर सीमा निर्धारित नहीं हुई तो इससे बड़ी परेशानी होगी और हम लोगों का तमाम किया कराया अपसेट हो सकता है। जिस चीज को आप सफल करने का प्रयत्न कर रहे हैं उसमें कठिनाई यह पैदा हो सकती है कि वह सिस्टम पूर्णरूप से वह योजना पूरी नहीं होगी और वह अधूरी रह जायगी यदि आज हम भूमि की उच्चतर सीमा को निर्धारित नहीं करते। मैक्सिमम सीलिंग फिक्स करने में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पास किया है और इस सम्बन्ध में बिहार सरकार ने कुछ कदम भी उठाया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्बन्ध में हमारी जनता में बहुत जागृति है और इस सम्बन्ध में वह बहुत जागरुक है और मेरा यह ख्याल है कि हमारी सरकार भी मन से इस रास्ते पर चलने के लिये बाध्य होगी। लैन्ड रिकार्ड बहुत ही गलत है, इन्हें ठीक करना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग के मामले में दिक्कत पैदा हो सकती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस भूमि-व्यवस्था को पूरी करने के लिये मैक्सिमम सीलिंग को फिक्स करने की तरफ ध्यान दें और लैन्ड रिकार्ड में ट्रेनिंग देकर उसको दुरुस्त कर सकते हैं। उसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं माननीय सिंचाई मंत्री से भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं पं० कमलापति त्रिपाठी को, जो सिंचाई मंत्री हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं ही नहीं, इस बात को सब जानते हैं कि उन्होंने इस प्रदेश में पानी का बहुत प्रबन्ध किया है और कर रहे हैं। इस प्रदेश की पूरी जनता और विशेषकर पूर्वी जिलों की जनता उनकी हृदय से सराहना करती है। जहां पर पानी का नाम नहीं था वहां पर उन्होंने ट्यूब वेल लगवाये हैं, बन्ध बंधवाये हैं और नहरों की योजना चालू की है जो कि मेरे अपने जिले आजमगढ़ में इसी प्रकार से फसल सूखी पड़ी हुई है। यह तो हम समझते हैं कि यह दैवी प्रकोप है किन्तु उनकी तरफ से हर जगह पानी पहुंचने की कोशिश है। इस सम्बन्ध में बन्धी बन्धाई जाती है और नाले खोद दिये जाते हैं लेकिन इसके पश्चात् सरकार के कर्मचारी उसको देखने के लिए भी नहीं आते हैं कि पानी चला गया है या नहीं। श्रमदान के द्वारा जो सड़कें और नालियां बनायी जाती हैं जब पानी आता है

[श्री पद्मनाथ सिंह]

तो वहां जमा हो जाता है और फिर वह बह जाती है। तो इनकी ओर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें पुलिया आदि बन जाने चाहिये।

अब मैं एक बात और उनके सामने रखना चाहता हूं। हम लोग बाढ़ की बरबादी हर साल सुनते आते हैं कि बाढ़ हर साल आती है और बाढ़ से पहले तो बह जाते हैं और फिर बाद को वहां पर फिर सूखा पड़ जाता है। जिस प्रकार से भारत सरकार कोसी को बनाने जा रही है उसी प्रकार से हमारी भी घाघरा रीवर्स एसोसियेशन बनाने की कोशिश करे। मैं उस एसोसियेशन में गंडक और राप्ती को भी शामिल कर लेता हूं। इस सबके लिये उसमें योजना शामिल की जाय। यह ऐसी योजना होगी कि जिसमें रुपया तो जरूर खर्च होगा लेकिन मेरा यह विश्वास है कि इसके बनाने में जो सरकार की लागत आयेगी वह ४,५ वर्षों के अन्दर ही वसूल हो जायगी। वहां जनता खेती कर सकेगी और उद्योग कर सकेगी और बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री भी वहां पर हो सकती है। इससे जनता की बहुत सी परेशानियां वहां पर दूर हो सकती हैं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ ७ मिनट का वक्त है अगर यह सोचता हूं कि विरोधी दल के नेता महोदय की दलीलों का जवाब दूं या जो चीज यहां पर पेश है उसके लिये हाउस का अटेंशन ड्रा और ध्यान आकर्षित करूं। मैं बतलाना चाहता हूं कि अनुदान संख्या १२—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत इलाहाबाद में एक आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल खुलने जा रहा है। उसके बारे में माननीय राजनारायण जी की ओर से कहा गया है कि इसकी क्या जरूरत है। यह आज की ही नहीं उनकी पुरानी बात है। जब कोई व्यक्ति पूजा-पाठ करता है, जब कोई अच्छा काम करता है तो कुछ लोग उसको विध्वंस करने का प्रयत्न करते हैं-इसी प्रकार से जब नलकूप बनाये जाते हैं, नहरें निकाली जाती हैं तो भी कहा जाता है कि ऐसा क्यों किया जाता है और उसकी मुखालिफत की जाती है। अभी तक तो यही कहा जाता था कि इस सरकार ने किसानों के लिये कुछ नहीं किया, मजदूरों के लिये कुछ नहीं किया, समाजवाद अच्छी चीज है लेकिन आज एक नयी बात भी कही गई कि कांग्रेसवाले सांप्रदायवादी भी हैं। मैं कहता हूं कि आप चाहे और कुछ लांछन कांग्रेस पर लगा लीजिये लेकिन इसको न लगाइये। आपने कहा कि माननीय श्री लक्ष्मीरमण आचार्य ने सांप्रदायिकता की बातें कहीं जो कि सांप्रदायिकता के उभारने की चीज है। यह सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब और दुःख हुआ। हाउस के सब लोग माननीय श्री लक्ष्मीरमण आचार्य जी को जानते हैं, उनके व्याख्यानों को सुन चुके हैं। यह कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि वे ऐसी कोई बात कहेंगे जब कि माननीय सिंचाई मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी जी भी वहां थे। आपके सभापतित्व में उनका व्याख्यान हुआ। लेकिन अगर आपको किसी बात पर एतराज भी हुआ था, किसी अखबार में छपा हुआ आपने पढ़ भी लिया था तो आपको माननीय मंत्री जी से पूछ लेना चाहिये था या लक्ष्मीरमण आचार्य जी से खत लिख कर पूछ लेना चाहिये था। किन्तु न तो उनको खत लिखा गया और न इनसे पूछा गया किन्तु यहां कह गये। इसलिये मैं कहता हूं कि आप साम्प्रदायिकता का दोष कांग्रेस वालों पर न दीजिये, क्योंकि हमने उस वक्त असाम्प्रदायिकता के इम्तहान को पास कर लिया है जबकि लोगों पर साम्प्रदायिकता का भूत सवार था तब कांग्रेस ने इम्तहान पास किया था। मैं यह मानता हूं कि मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता को फैलाया और कहा कि बुरा से बुरा मुसलमान अच्छा है और अच्छे से अच्छा हिन्दू बुरा है। उसका प्रभाव कुछ हिन्दुओं पर भी पड़ा है लेकिन कांग्रेस वालों का दिमाग ठंडा रहा। जब पाकिस्तान में कत्ले आम होता था तब भी हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने साफ-साफ कह दिया कि अगर एक भी मुसलमान मारा गया तो १०० हिन्दू गुन्डे मारे जायेंगे। हमें फख्र है कि उन्हीं के कदमों में बैठकर हमने पाठ पढ़ा है। सन् १९४२ के आंदोलन के सिलसिले में हम लोग प्रयाग के नैनी सेंट्रल जेल में रहे तो वहां अखबारों में पढ़ा कि अंग्रेजों ने कहा है कि ९ अगस्त, १९४२ का प्रस्ताव वापस लिया जाय तो हजरत मौलाना हुसेन अहमद मदनी ने कहा कि जेलखाने में उनकी कब्र बन जाय मगर प्रस्ताव वापस लेना उचित नहीं है।

हम उनके अहसान को भूल नहीं सकते । मौलाना आजाद जेल में थे, उनकी पत्नी बीमार थीं, यह कहा गया कि बांड पर दस्तखत करके बीबी को देख आओ लेकिन उन्होंने कहा कि बीबी से अगर जिन्दा मुलाकात नहीं हुयी तो बहिश्त में होगी लेकिन यह नहीं हो सकता । अंग्रेज का अहसान नहीं लेंगे। इन लोगों के अहसानात हैं वे भुलाये नहीं जा सकते । हमारे माननीय वित्त मंत्री जी भी हमारे साथ जेल में रह चुके हैं । मुस्लिम लीग की तरफ से उनसे कहा गया कि इसके टिकट पर आ जाओ तो जीत जाओगे लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि यह नहीं होने का । कांग्रेस में रह कर हारना मैं पसंद करूंगा लेकिन दूसरी पार्टी में रहकर जीतना मुझे पसंद नहीं है । (लाल रोशनी होने पर) 'दिल भर के न देखा था कि होने लगी रुसवायी ।'

मैं ट्रेनिंग के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि वहां पर जो ट्रेनिंग दी जाय तो असाम्प्रदायिकता की भी ट्रेनिंग दी जाय । दूसरी बात यह है कि लोग एम०ए० पास कर लेते हैं लेकिन हिन्दी नहीं जानते । एक साहब मेरे पास आये कि नौकरी के लिये सिफारिश कर दो । वे मेरे रिश्तेदार थे, मैंने उनसे अर्ज किया कि मैं तो किसी की सिफारिश करता नहीं हूं । हां, फलां को देखो, वे कर दें तो कर दें । फिर बाई दि वे मैंने उनसे एक चिट्ठी लिखने के लिये कहा लेकिन वे "प्रश्न" नहीं लिख पाये । वे एम०ए० पास हैं लेकिन हिन्दी नहीं लिख पाये । तो जहां उनको और ट्रेनिंग दी जाय वहां हिन्दी की भी ट्रेनिंग दी जाय तो वह दिन दूर नहीं है कि हम पूरी कामयाबी हासिल कर सकेंगे ।

राजा वीरेन्द्रशाह (ज़िला जालौन)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सप्लीमेंटरी ग्रांट भवन के सामने पेश है, उसके बारे में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं । श्रीमन्, सरकार ने जो एक करोड़ ५९ लाख ५३,२०० रु० की मांग की है उसके बारे में श्रीमन्, मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि सप्लीमेंटरी ग्रांट का जहां तक मतलब मैंने समझा है वह यह है कि बजट में यह भवन जो रुपया पास करे और कोई काम शुरू हो गया हो पर उसे पूरा करने के लिये रुपये की ज़रूरत पड़े तो उसके लिये यह सप्लीमेंटरी ग्रांट आता है । श्रीमन्, मैं आपके जरिये माननीय वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इसमें यह देखता हूं कि यहां बहुत सी नयी मदें हैं और सप्लीमेंटरी ग्रांट के जरिये वे बहुत से नये काम शुरू करने जा रहे हैं । मैं समझता हूं कि यह उचित था कि जिस वक्त बजट आता उस वक्त इन कामों को शुरू किया जाता तो हमलोग इस पर अधिक विचार कर सकते और उनके शुरू करने या न करने के लिये सुझाव देने का अधिक समय मिलता । श्रीमन्, मैं आपके जरिये सरकार के सामने अपना थोड़ा सा विचार इस प्रस्तुत सप्लीमेंटरी ग्रांट के बारे में रखना चाहता हूं । यहां पर चूंकि इरीगेशन मिनिस्टर साहब मौजूद हैं इसलिये मैं आपके जरिये सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आपने एस्टीमेट कमेटी के एक सुझाव को मान लिया कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर दौरे पर जाने के लिये घोड़े रख सकते हैं ताकि वे अधिक नहरों की देखरेख कर सकें वहां दूसरी ओर जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये उन पर विचार करना आवश्यक है । जैसे कि जो ये सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर हैं, जो बिल्कुल कमिश्नर की तरह से ही फजल हैं उनकी तरफ भी सरकार काफी कमी कर सकती है । चूंकि हमें यह देखना है कि जो हमारे प्रांत का बजट है और जो प्रांत पर ड्यूटी है या कर है, अगर उनमें कमी नहीं की जायगी तो हम समझते हैं कि जो कर लगा हुआ है उसमें कभी कमी नहीं होगी अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी । समय कम है और मैं देख रहा हूं कि यहां पुलिस मंत्री जी भी नहीं हैं लेकिन मैं समझता हूं कि श्रीमन् कि पुलिस के लिये भी जैसा कि कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य श्री विकल जी ने भी बतलाया और मुझे भी दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस लखनऊ शहर के अन्दर जहां गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर है वहां पर भी चोरी हो, और ऐसी चोरी जो डकैती के समान होती हो, जब यहां पर यह हो तो यह किस तरह से समझा जा सकता है कि हमारे प्रान्त में एक तरीके की अराजकता नहीं फैल रही है ? इस वक्त ब्यौरे में जाना ठीक नहीं है लेकिन जब मौका आयेगा तो सब बातें मैं सरकार के सामने रख सकता हूं । लखनऊ में ऐसी चोरी होती है कि चोर जबरदस्ती

[राजा वीरेन्द्रशाह]

घर में चले जाते हैं और घर वालों को जगाते हैं और जगाने के बाद कहते हैं कि तुम चुपचाप रहो और इस तरह से सब चीजें लेकर चले जाते हैं। उसके बाद में फलाइंग स्क्वाड और न जाने कौन स्क्वाड आता है। इतना हो जाता है लेकिन उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती। तो पुलिस को जो सुविधायें देने व ट्रांसलिंग एलाउंसेज देने की बात है उसके लिये उनको रुपया दिया जाय, उनको रोशनी के लिये रुपया दिया जाय, जैसा कि एक मेरे मित्र ने कहा। लेकिन सब से बड़ी चीज यह है और मैं अदब के साथ कहूंगा कि जो हमारे एम० एल० ए० भाई बैठे हुए हैं उनको इस बात को सोचना चाहिये कि जो अन्यायी हैं, जो गुंडे हैं वे समाज के अन्दर न बढ़ सकें तथा किसी अफसर या थानेदार या किसी आदमी के दिमाग में इस तरह की बात नहीं आनी चाहिये कि अगर फलां की सिफारिश के अनुसार काम नहीं होगा तो मेरा तबादला हो जायगा या इस तरह की कोई चीज होगी और इस तरह से काम में दखल देने का नतीजा यह है कि आप के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें यह भावना पैदा हो गई है, जैसा कि अभी माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा था कि स्टेट के कर्मचारियों को अपने को स्टेट का कर्मचारी समझना चाहिये और किसी पार्टी या सरकारी कांग्रेस पार्टी का नौकर उनको अपने को नहीं समझना चाहिये। आज एक पार्टी की गवर्नमेंट है कल को दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट आ सकती है। और सब पार्टियां अपनी-अपनी नीति के अनुसार काम करेंगी, इसलिये सरकारी कर्मचारियों को किसी पार्टी के साथ नहीं होना चाहिये। अब बहुत से कर्मचारी अपने को कांग्रेस का ही कर्मचारी समझते हैं और मीटिंगों में हिस्सा लेते हैं और सम्मेलन और जलसों में भी भाग लेते हैं यह नहीं होना चाहिये और अफसरों को ऐसी पार्टी की चीजों में नहीं शामिल होना चाहिये। उनको अपने को हमेशा स्टेट का अफसर समझना चाहिये और न उनको किसी चीज की मुआफकत या मुखालफत करना चाहिये, उनको तो न्यूट्रल होना चाहिये।

दूसरी बात मैं सरकार की जो विकास योजनायें हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। सरकार ने विकास योजनाओं के लिये रुपया रखा है। मैं अपने जिले का ही उदाहरण देना चाहता हूं कि उस रुपये का प्रयोग किस तरह से हो रहा है। हमारे यहां की प्लानिंग कमेटी ने स्कूल के लिये रुपया पास किया, लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वहां जो एजूकेशन विभाग के डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स थे, जो एक सरकारी कर्मचारी थे वह उस रकम को ७ या ८ हजार रुपये के करीब थी ड्रा किये और वह छुट्टी पर जाकर रुपया भी पाकिस्तान ले गये। इस तरह से रुपया बरबाद हुआ है। यह भी कोई नहीं देखता कि जो आदमी छुट्टी जा रहा है वह इतना रुपया क्यों ड्रा कर के रख रहा है कोई हिसाब नहीं देखता। इस तरह से ४ या ५०० रुपया वेतन के आदमी को इतना रुपया दे देना कहां तक उचित था। अब वह यह ७००० या ८००० रुपया लेकर गायब हैं और कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि इन चीजों के मुताल्लिक सरकार को सावधान रहना चाहिए और टैक्स लगा कर जो पब्लिक से रुपया लिया जाता है उसका इस तरह से अपव्यय न होना चाहिये। बस यही मुझे कहना था।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी बजट के प्रथम भाषण में मेरे मित्र माननीय राजनारायण जी ने यह कहा था कि इस सप्लीमेन्टरी बजट को लाने की कतई जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने इसी सिलसिले में यह भी कहा था कि यह प्रजातंत्र हुकूमत की कामयाबी की निशानी नहीं है कि इस तरह से सप्लीमेन्टरी बजट लाये जायं। अगर उन्होंने स्मृति-पत्र को ध्यान से पढ़ा होता तो फाइनेन्स सेक्रेटरी ने दो-चार वाक्यों में साफ तौर से उसमें लिख दिया है कि यह सप्लीमेन्टरी बजट इस सदन के समक्ष क्यों लाया गया है। वह मानें अथवा न मानें लेकिन यह भी निश्चित मत अर्थशास्त्रियों का है और वह स्वयं भी जानते होंगे कि सप्लीमेंटरी बजट कब और किन परिस्थितियों में आया करते हैं और क्यों लाया जाता है। केवल अपने पक्ष को मजबूत करने

के ही लिये उन्होंने रवारवी में यह कह दिया कि इसको लेने की जरूरत नहीं थी । लकिन इस बजट के सिलसिले में मैं खास तौर से इस सदन के सदस्यों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं कि इसके द्वारा गवर्नमेंट का ध्यान इस हिस्से की तरफ गया है जिस हिस्से की तरफ कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट का पिछले दिनों तक नहीं गया था। बस्ती जिले के उत्तरी हिस्से में एक ऐसा ट्रेक्ट भूमि प्रदेश है जहां जंगल ही जंगल था और उन अंग्रेज जमींदारों ने जंगल को काटकर आबाद कराया था और वहां जो बसने वाले थे उनसे धान की खेती काफी बड़े क्षेत्र में करायी जाती थी। माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि नैपाल के उत्तरी हिस्से में यह धान की खेती वाला हिस्सा पड़ता है। केवल अच्छे प्रकार का अगहनी धान इस क्षेत्र में उपजाया जाता है और लाखों मन सुन्दर प्रकार का धान और चावल इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेश में भी यहां से भेजा जाता है । जमींदारी उन्मूलन होने के बाद एक बड़ी भारी समस्या हमारे सामने उपस्थित हो गई थी। क्योंकि अंग्रेज जमींदारों को अपनी जमींदारी और अन्य सम्पत्ति को छोड़ने की नौबत आ गई। जो सरकार को ८० हजार रुपया मालगुजारी देते थे। अगहनी धान के वास्ते ज्यादा पानी की आवश्यकता हुआ करती थी। उन जंगलों में बहुत सरोवर थे। उन सरोवरों में बांध बांधकर जितने भी मुवाजियात उस इलाके में थे उन्होंने उन तरीकों को अख्तियार कर के पानी देने की व्यवस्था की थी जिनको केनाल नहीं कुना कहते हैं। बजहां, मरयी -मोटीसागर सरोवर में ऐसे-ऐसे बांध बंधवाये थे जिनसे काश्तकारों को पानी देते थे । उस वक्त जब बारिश ठीक नहीं होती थी तो वहां जो एकत्रित जल होता था उससे सूखे खेतों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। मगर अब जमींदारी उन्मूलन होने के बाद यहां के जो जमींदार हैं उन्हें तो यहीं रहना है चाहे सीर भी नहीं रहे और केवल घर हो लेकिन अंग्रेज जमींदार जो यहां रहा करते थे वह अपनी तैयारी इंगलैण्ड वापिस जाने की कर चुके थे। उनका कर्डपुर–अलीदापुर में एक बड़ा विशाल मकान, एक गेस्ट हाउस और बाजार है उन्हें कहां ले जावें । अतः हमारी सरकार ने बड़ी दानिशमन्दी से, जहां एक लाख की मालियत थी, २ एकड़ जमीन में जहां अच्छे अच्छे पेड़ हैं, एक सुन्दर इमारत है, एक लाख की जो मालियत कूती जाती है उसको ३० हजार रुपये में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने खरीद लिया है और वहां पर जो अहलकारान आबपाशी के हैं उनको रखेंगे। ९ वां अनुदान जो इस सप्लीमेंट्री ग्रान्ट का है उसमें इस पिछड़े हुए प्रदेश के लिये यह ३० हजार रुपये के खर्चा का उल्लेख है। यहां पर पहले आबपाशी के लिये कोई समुचित साधन उपलब्ध नहीं था, सरकार ने अब वहां दो दीनहीन कृषकों के साथ उपकार किया है। उसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं तो कोई अनुचित नहीं कर रहा हूं। इसके साथ ही साथ इस बजट में इस बात की भी व्यवस्था की गई कि प्रदेश के जेलों में स्त्रियों के लिये उद्योग-धंधे खोले जायंगे। जेल में अकर्मण्य रहा करती थी और बैठे बैठे बेकार उन्हें अपने दिन गुजारना मुश्किल हो जाते थे। वहां अब उनके लिये उद्योग-धंधों की पूर्ण व्यवस्था की जा रही है, बड़े हर्ष की बात है ।

अब मैं फ्लड्स (बाढ़) के सम्बन्ध में थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं। अब की पूरा ध्यान देवरिया की तरफ सरकार का दिलाया गया था। वहां जो विपत्तियां थीं और जो दिक्कतें थीं उनका ही ज्यादातर जिक्र किया गया है। दुर्भाग्यवश यह बाढ़ हमारे पूर्वी प्रदेश में ही आया करती है । मैंने उचित नहीं समझा था कि माननीय सदन का कीमती समय बार-बार लूं, लेकिन यह देख कर कि बस्ती का नाम न आ कर, गोरखपुर का जिक्र आया, देवरिया का भी आया, आजमगढ़ का भी आया लेकिन बस्ती का नहीं आया । अतः मुझे यह शंका हुई कि कहीं सरकार बस्ती को भूल तो नहीं जायगी और हमारे यहां का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो पायेगा । इस वास्ते इस सप्लीमेंटरी बजट के सिलसिले में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह बस्ती जिले को कदापि न भूले। मुख्य मन्त्री जी ने भी श्री कृपा शंकर जी को बस्ती की बाढ़ को देखने के लिये भेजा। वह थोड़े

[श्री रामकुमार शास्त्री]

से हिस्से में गये और बांसी का हिस्सा बिल्कुल छोड़ दिया। सूचना मंत्री जी ने भी वादा किया था लेकिन उनका कार्यक्रम उस बीच दिल्ली का बन गया था अब मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे लिये बड़ी दुश्वारियां हैं। हजारों एकड़ बांसी तहसील की खेती को सात-सात और आठ-आठ नदियों ने समुद्र का रूप धारण करके बाढ़ से बरबाद कर दिया और जहां लोग इस समय भूखों मर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि किस कदर बाढ़-पीड़ितों के लिये वहां मदद पहुंचती भी है। लेकिन अगर कोई पहुंची भी होगी तो वह भी अपर्याप्त है और अल्प है। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने अब पुनः वादा किया है कि वह अक्तूबर में उस तरफ जायेंगे और वहां के लोगों की जो मांग होगी वह पूरी होगी। ज्योंही मांग की पूर्ति होगी मैं तुरन्त उनको तथा सरकार को एक साथ हृदय से धन्यवाद बांसी तहसील की पीड़ित जनता की ओर से दूंगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बजट को बड़े गौर से देखा। मुझे खुशी हुई कि यह बजट, जो कि सदन में उपस्थित किया गया है, शान्ति की व्यवस्था को बनाये रखने का एक दृढ़ प्रयास है। यह बजट दूरदर्शिता का बजट है और जो कमियां अब तक इस सदन में इस बजट की बताई गईं, मैं यह बताना चाहता हूं कि वह कमियां, अगर ठीक दृष्टिकोण से देखा जाय तो, इस बजट की दृढ़ बुनियाद को जाहिर करती हैं। मैं यह समझता हूं कि अगर आप मुल्क के अन्दर शान्ति कायम रखना चाहते हैं तो आपके पुलिस फोर्स को बढ़ाने की व्यवस्था इस देश के अन्दर होनी चाहिये। आज दुनिया में सब तरफ एक हलचल मची हुई है और ऐसी हालत में हमें अपने मुल्क में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिये अपने बजट के अन्दर इस बात के लिये पूरी-पूरी व्यवस्था बनाये रखना है। जब मुल्क का वातावरण तब्दील होता है तो हमें अपने दृष्टिकोण को भी तब्दील करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मैं फिर कहूंगा कि यह बजट दूरदर्शिता का बजट है। आज हमारे इस स्टेट पर बड़ी-बड़ी मुसीबत मंडरा रही है। यह बजट हमारी जनता के लिये एक आश्रय का बजट है, यह बजट उनकी जिन्दगी को कायम रखने के लिये एक व्यवस्था करता है। यही नहीं बल्कि आगे चल कर हमारी बुद्धि के विकास के लिये, हमारी जनता के अन्दर प्रकाश भरने के लिये, आगे मैदान में आ कर मुसीबतों की चट्टानें तोड़ने के लिये, जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था हो रही है उसके सिलसिले में मैं कहूंगा कि जो नई शिक्षा पद्धति हमारे प्रान्त के अन्दर संचालित की जा रही है बहुत अच्छी है। मैं उन सज्जनों को, जिनके दिमाग में इस आइडिया को स्ट्राइक किया है, बधाई देता हूं, मैं ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि वह हम सब की तरफ से बधाई के पात्र हैं क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि यह एग्रीकल्चर की, इंस्टीट्यूशन्स के अन्दर, स्टैंडीज की व्यवस्था की जा रही है, इन कोर्स आफ टाइम कम से कम ३, ४ साल के अन्दर, यह जूनियर हाई स्कूल जो आज हमारे बजट पर एक भार स्वरूप है, वह भार नहीं रहेंगे। हमारे ऊपर से वह भार शीघ्र ही उतर जायगा और हमारे गांव के अन्दर जो शिक्षा की व्यवस्था की जायगी, मैं समझता हूं कि उससे इस तरफ उन्नति हो सकेगी। इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि उनका कदम इस ओर दृढ़ता के साथ उठना चाहिये कि हमारे जितने एजूकेशन इंस्टीट्यूशन्स हैं उनको कंसालिडेट किया जाय। यह काफी तादाद में फैल चुके हैं और उनको कंसालिडेट करने की निहायत जरूरत है वरना हमारी शिक्षा खोखली हो जायगी। अब मैं बताना चाहता हूं कि यही नहीं बल्कि वर्षा के प्रकोप से जो हर साल हमारी नदियों में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आ कर हमारे तमाम प्रदेश को बहा ले जाती है, हमारी जनता को बड़े-बड़े दुःख देती है, हमारी सरकार उसके लिये पूरी तरह से एक व्यवस्था करने के लिये एक सर्वे डिवीजन कायम कर के इस मुल्क का नक्शा ही बदल देना चाहती है। हम इन जंगली नदियों को टेम करना चाहते हैं, हम उन पर एक निजाम कायम करना चाहते हैं, जो नदियां हमारे मुल्क के लिये अभिशाप है, हम उन नदियों

को इस मुल्क का वरदान बनाना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि अगर हमारी सरकार ने पूरे तौर से ध्यान दिया तो इस दिशा में हम सफल होंगे। इतना ही नहीं बल्कि आगे चल कर मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश की वह भूमि जो कि सदियों से बंजर पड़ी हुई थी, आज सरकार ने उस जमीन को, उस पर की चट्टानों को तोड़ कर खेती करने के काबिल बना दिया है। मैं यह नहीं कहता कि इसमें कमियां नहीं हैं, हमारे काम को एक्जीक्यूट करने में बड़ी-बड़ी कमियां हैं, और मैं यह नहीं कहता कि हमारी सरकार को उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिये बल्कि मैं तो कहूंगा कि इस ओर सरकार को एक बहुत कड़ी नजर रखनी चाहिये कि हमारी सरकार जितना रुपया खर्च करती है उसका पूरा-पूरा फायदा हमारी स्टेट को, हमारी जनता को अवश्य पहुंचे।

*श्री जटाशंकर शुक्ल (जिला उन्नाव)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं वित्त मंत्री को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बजट में जिस प्रकार से अपनी मागें रख कर के जनता की उन तकलीफों को दूर करने की, जिनसे परम्परागत से कष्ट पाती चली आ रही थी, कोशिश की है, उनको सुखी बनाने में जो सदियों से हम उन बुराइयों से लड़ते हुये आज यह मौका पा सके कि अपना विकास करें, उसमें उन्होंने काफी उन्नति का मौका दिया। जो उनकी मांगें हैं इतनी औचित्यपूर्ण हैं कि जिनके द्वारा हम अपने प्रान्त में अशिक्षा, रोग, बेकारी और तरह तरह के दुखों से जिनसे हम पीड़ित हैं, दूर करने में सहायता पायेंगे। यह ठीक है कि कुछ कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने में हम सब को सहयोगी बनना चाहिये। लेकिन आज जिस प्रकार से हमारे एक भाई सिर्फ आलोचना कर के ही बैठ रहना चाहते हैं, हमारे उन्नतिशील कार्यों में बाधा डालना चाहते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि हृदय को खोल कर समय की गति को पहिचान कर सिर्फ आलोचना में समय नष्ट न करें, बल्कि सहयोगी बनें। आज हमारे मंत्रीगण किस प्रकार दिन-रात परिश्रम कर के उन योजनाओं को लागू करने में और उनको पूरा कराने में व्यस्त रहते हैं, किस तरह से हमारे अधिकारी वर्ग उन कार्यों को पूरा करने में सहायता दे रहे हैं, कमियाँ हैं उनको दूर करने में बहुत कुछ बाधायें हैं और हमारी सदियों की गुलामी भी बाधक है, हमारी अनैतिकता भी एक अभिशाप है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर हम सब लोग उन्नति के पथ पर चलने के लिये दृढ़ता के साथ जुट पड़ें तो कोई कमी रहे। तो आलोचना करके सिर्फ गालियां देने की आदत रखते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी शक्ति उसमें न लगायें। वह विचार करें कि आज प्रजातंत्र का वह उच्च स्तर जो कि संसार के सदियों से प्रजातंत्र के बरतने वाले महानुभावों ने नहीं बरता वह आज आप के विधान में है और उस पर आप की केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार चलने का प्रयत्न कर रही है। आप भी सहयोगी बनिये। हमको चाहिये कि गंभीरता से सोचें। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय इतनी जिम्मेदारियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं। पूज्य बापू महात्मा गांधी के सिद्धांत बड़े ऊंचे हैं उन पर चलने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। जिस रामराज्य के लाने में हमारा प्रान्त सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है, चाहे किसानों के उन्नति के लिये हो, चाहे बेकारी की समस्याओं को दूर करने के लिये हो, उसमें हम सब को एक साथ मिल कर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिये। गुलामी से जो हमारा.....

(इस समय ३ बजकर ४७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शारीरिक, बौद्धिक, शैक्षिक, सभी प्रकार का पतन हुआ है उसको हमें दूर करना चाहिये। आज हमें जो सुधार का मौक़ा मिला, बागडोर को ले कर प्रेम से प्रजातंत्र के उन उच्च आदर्शों पर उसी प्रकार चलना चाहते हैं, जिस प्रकार पारिवारिक जीवन में बच्चे को शिक्षा दे कर के प्रेम से और कभी-कभी भय से हम विकास की ओर ले जाते हैं। हमारी ७ वर्ष की आजादी है, लेकिन इसके अन्दर ही चाहे हमारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जटाशंकर शुक्ल]

केन्द्रीय सरकार हो या प्रान्तीय सरकार हो, इतने सराहनीय कार्य किये हैं कि जिसकी संसार के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थकते नहीं। लेकिन हमें अफसोस होता है जब हमारे बीच के लोग ही प्रशंसा करना तो दूर रहा, हमारी निन्दा करते थकते नहीं हैं। जिनका दृष्टिकोण तो वही "पिपीलिका पश्यंति छिद्र लोके" का होता है।

लेकिन हमें चाहिये कि हम इन गुणों को पहचानें कि इतनी गिरी हुई हालत को इतनी पूर्णता को हम ले गये हैं। हमारी जो खाद्य-समस्या थी, हमारी जो वस्त्रादि की समस्यायें थीं उन पर हावी हो कर, सुख और शान्ति की व्यवस्था के साथ, महान् क्रान्तिकारी परिवर्तन किये, जैसे जमींदारी उन्मूलन आदि की सामाजिक नई रचना की और पंचायतों और गांव समाजों के द्वारा नवनिर्माण का कार्य कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के सम्बन्ध में नये-नये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और सीमेंट वगैरह की भी आप की योजना है। आज हम नहरों के सम्बन्ध में भी काफी आगे चल रहे हैं। हम में कमियां हैं और हम उनको दूर करेंगे लेकिन फिर भी हमारे साथ सहृदयता से विचार किया जाना चाहिये। आज हमारे प्रदेश की तुलना विदेशों से जैसे रूस, चीन, आदि से की जाती है तो वहां पर वह यह भूल जाते हैं कि वहां पर ३० व्यक्ति के पीछे एक पुलिसमैन होता है और हमारे यहां ४०० आदमियों के पीछे एक पुलिसमैन होता है और इस महान् संकटकाल में, इस क्रिटिकल मोमेन्ट में जब कि एक राज्य को बदल कर दूसरे राज्य की स्थापना हुई तो यहां की व्यवस्था को ज्यों का त्यों कायम रखा और न हमने पुलिस फोर्स ही बढ़ाया और न शासकीय व्यवस्था में किसी प्रकार की तानाशाही ही आने दी। हमने प्रजातंत्र की रक्षा की है।

"निन्दन्तुनीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्ट्यम् अद्यैवामरण मस्तु युगान्तरे वा, न्यायात्पथः प्रेविचलन्ति पदं न धीराः" हमारी नीति निश्चित है, हम प्रजातंत्र की रक्षा करते हैं, पूज्य बापू वाला रामराज्य लाने का जो हमारा संकल्प है, हम उसको पूरा करेंगे, करेंगे।

श्री मलखान सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले आज अपने साथी श्री राजनारायण को धन्यवाद देता हूं इसलिये कि दूसरी तरफ से इतनी बड़ी फौज होते हुये भी उनके ऊपर गालियों की बौछार की गई।

कुछ सदस्य--गालियां नहीं दी गईं।

श्री मलखान सिंह--और उनको राक्षस और रावण की उपाधि दी गई। मुझे मालूम है आप मुझे बीच में टोकें नहीं। मुझे रोकने से कोई फायदा नहीं है। मैं सही बातें कहूंगा। यदि यह कहा जाय कि राजनारायण जी कड़ुवी बात कहते हैं, उनका जवाब कड़ुवी बात से देते हैं, तब भी इतनी बड़ी जमात के लिये शोभा की बात नहीं है, यदि यह कहा जाय कि राजनारायण जी सही हैं और वह सही बात कहते हैं और आपके दिल में चोट कर जाती है तो यह दोनों बातें ऐसी हैं तो जो सदस्य सामने बैठे हैं उनको शोभा नहीं देती हैं। एक दूसरी बात यह कही जाती है और मैंने कई बार यह सुना कि भाई विरोधीदल हमारे मंत्री लोगों को, जब वह अच्छा काम करते हैं तो उनको बधाई नहीं देते हैं। मैं आपके दिमाग में से एक बात निकाल देना चाहता हूं कि आपके साथ ३८० आदमी रहते हैं जो हर वक्त आपके इशारे की राह देखते हैं कि जब आपका इशारा हो, उसी इशारे पर जो नाच जायं, अपने संशोधन वापस ले लें। तो जो आपके चाटुकार इतने ३८० हैं उनकी तारीफ से भी आपका पेट नहीं भरता है ?

श्री अध्यक्ष--"चाटुकार" शब्द पार्लियामेंटरी नहीं है।

श्री मलखान सिंह---पार्लियामेंटरी नहीं है तो मैं उसको वापस लेता हूं। तो यह बात जो आपकी तरफ से निकली थी कि विरोधी दल के लोग हमारे मंत्रियों को बधाई नहीं देते हैं यह आपको शोभा नहीं देती। मैं आप से साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि आपका दल यह चाहता है विरोधी दल से कि वह बधाई दे तो विरोधी दल के इधर बैठने की जरूरत नहीं, विरोधी दल भी उधर ही बैठ जाय और आपके साथ मिलकर एक ही साथ मजीरे और ढोलक बजा कर गीत गाये। अगर यह आपको शोभा देता है तो यह प्रजातंत्र के लिये ठीक नहीं है। इस बजट के सिलसिले में जहां तक कि मेरे एक भाई रामचन्द्र विकल जी मथुरा वाले, बोले हैं कि अराजकता फैली हुयी है, शांति की व्यवस्था नहीं है, इसमें मैं कोई दूसरी राय नहीं रखता। मैं अपने माननीय भाई श्री सम्पूर्णानन्द जी, जो होम मिनिस्टर हैं उनके समक्ष कह देना चाहता हूं कि उनके हाथ में पुलिस का मुहकमा आकर बिलकुल रद्दी हो गया, बिलकुल खत्म हो गया, उसमें कोई डिसिप्लिन रहा ही नहीं। मैं साथ ही साथ यह भी कह देना चाहता हूं कि मेरे कुछ भाइयों ने यह कहा कि कांग्रेस कहां नहीं है, कांग्रेस की जड़ तो शेषनाग के सर पर पहुंच गयी। मैं भी कहता हूं कि आपकी कांग्रेस पाताल में चली गयी। मैं और कुछ नहीं कहता हूं, आप जरा बाहर जाकर के दूसरे लोगों की बातें सुनिये। गांव में जाकर किसान जो आवाज देते हैं उनको आपको सही तौर से सुनना चाहिये। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि यह जो बार-बार आप बीच में टोकते हैं यह तो सभ्यता की निशानी है, केवल इतना ही कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष---कृपया माननीय सदस्य बीच में न बोलें।

श्री मलखान सिंह---मैं आपके ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसलिये कह रहा हूं कि आप एक मजबूत सरकार बनायें, इस नीयत से कह रहा हूं मेरे बहुत से भाई कहते हैं कि आप हमारे बीच में आ जाइये, फिर सब कुछ कह लीजिये, तो यह भी आपके अन्दर बड़ी कमजोरी है। मैं जो कुछ कह सकता हूं और आपके अन्दर उससे कोई सुधार कर सकता हूं तो यहीं रह कर और सही सही बात कह कर और अगर आप उसपर चलें तो उसमें देश की भलाई है और अगर आप यह चाहें कि मैं भी उधर ही आऊं और आपके ही गीत गाऊं तो इसमें किसी का हित नहीं हो सकता है।

जहां तक इस बजट का सम्बन्ध है मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर इतने वर्षों के अर्से में, जबसे हमें आजादी मिली, केवल एक बात में हम लग गये होते कि जैसा माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने शुरू में किया कि जो २१ साल की उम्र के और ऊपर के जो लोग हैं उन्हें हमने साक्षर बना दिया होता इन ७ वर्षों के अन्दर, तो हम राजनीति में बहुत कुछ आगे बढ़ गए होते। लेकिन यहां तो कोशिश यह की जाती है कि हम लोगों को बिलकुल बेवकूफ रखें, गांव वाले पढ़ लिख न सकें, जिस से वह आपकी बातों को समझ लें। आज जब कभी भी और अब भी, जब कोई हमारा भाई कुछ कहने के लिये खड़ा होता है तो कह दिया जाता है कि बजट पर नहीं बोल रहे हैं। मेरे एक भाई ने एक राग अलापा रामपुर में हिन्दू मुस्लिम एकता का राग, शुरू से आखिर तक कहीं बजट पर आपने भाषण में कुछ नहीं कहा, लेकिन उधर के एक भाई ने हिम्मत नहीं की यह कहने की कि तुम बजट पर बोल रहे हो या क्या कर रहे हो? इसी तरह से एक दूसरे भाई ने बात कही। मैं आप से साफ कह देना चाहता हूं कि आज बड़े-बड़े कमीशन बैठाये जाते हैं। अलीगढ़ में मैं आप से बताऊं कि मुसलमानों ने मेरे लिये वोट दिये तो उससे बड़ा झगड़ा पड़ गया कि मलखान सिंह को वोट कैसे मिल गये और दिल्ली से कमीशन में लोग आये कि मुसलमानों के वोट कैसे मिले। मैं कहता हूं इस जहनियत को निकाल दो। जो कोई भी जिस आदमी की सेवा करेगा वह उसके लिये जायगा न हिन्दू न मुसलमान कोई एक कौम इस तरह की नहीं है कि आपके बगल में बैठ जाय या मेरे बगल में बैठ जाय। इसलिये यह रोना ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जब दूसरों के बारे में आपको पता लग गया कि गलती की तो फिर आप भी थोड़ा सा बजट पर ही आ जायं तो अच्छा हो।

श्री मलखान सिंह--मैं उस चीज का जवाब दे रहा हूं जो कि उधर से स्पीचेज में कही गयीं।

श्री अध्यक्ष--जो बात बजट के बाहर थी वह गलत थी। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप तो बजट पर बोल रहे हैं।

श्री मलखान सिंह--मैं आपकी बात मान लूंगा। एक बात मुझे कहनी है उस पर हमारे मंत्रीगण विचार कर लें कि कोई इस तरह की बात हमारे अन्दर क्यों नहीं खटकती है कि हम जिन सवालों का जवाब इस सदन के अन्दर देते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरा दिमाग चक्कर खा जाता है, वे बिलकुल सफेद झूठ जवाब दिये जाते हैं। हमारी सरकार का मान बढ़ सकता है अगर यहां पर सही सही बातें मंजूर कर ली जायं। मैं समझता हूं कि उससे सरकार का मान बजाय गिरने के ऊंचे उठेगा। बजट के सम्बन्ध में हमने जो बात कही कि साक्षरता की तरफ कदम बढ़ाइये उस पर भी ध्यान दीजिये। आप जो देहातों में स्कूलों को जमीन दे रहे हैं मेरा विश्वास है कि वहां के स्टूडेन्ट्स और मास्टर उस जमीन के अन्दर, जो १५ या १० एकड़ लेंगे इतनी पैदावार नहीं कर सकते जितनी कि एक नत्थू और रामचन्द्र करेगा चाहे वह जाटव राजपूत या ब्राह्मण हो। यह सब ढकोसला है। आप उनको साक्षर बनाना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप जानते हैं कि गांव वाले अगर कुछ पढ़-लिख गये और जो अखबार निकलते हैं उनको अगर पढ़ेंगे तो फिर वे आपके हाथ के नहीं रहेंगे, आजाद हो जायेंगे।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--अध्यक्ष महोदय, आज बजट प्रस्तुत किया गया है यह कल्याणकारी बजट है। यह भी मैं मानता हूं, जैसा कि मेरे एक साथी ने कहा कि यह एक दूरदर्शिता का बजट है। यह भी मैं कहने के लिये तैयार हूं कि आज जो रुपया हमारे वित्त मंत्री इस हाउस के द्वारा स्वीकार कराना चाहते हैं वह बिलकुल उचित है। इस डेढ़ करोड़ रुपये का क्या कहना अगर आज हमारी सरकार यहां पर १० करोड़ रुपये का प्रश्न रखती तो मैं समझता हूं हाउस उसको बड़े हर्ष से स्वीकार करता। लेकिन साथ ही साथ जहां हम अपनी सरकार की प्रशंसा करते हैं वहां हमारा कर्त्तव्य यह भी हो जाता है कि जो आपके विभागों में बुराइयां हैं वे आपके सामने रखें और यह दिखलावे कि किस तरह से यह शासन चल रहा है। मैं अधिक तो नहीं कह सकूंगा, क्योंकि समय केवल ७ मिनट का है फिर भी मैं एक विभाग के बारे में इस हाउस में कह देना चाहता हूं। आज हमारी १५ हजार जनता का प्रतिनिधि जिसे अदालती सरपंच कहते हैं उप-पुलिस कप्तान के पास जाता है और यह कहता है कि हम यह प्रार्थना-पत्र आपको देते हैं और कुछ चार्जेज हम पुलिस सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ लगाना चाहते हैं जिसमें उसने कहा कि एक सब-इन्सपेक्टर ने १५ या १६ केसेज में ठीक रिपोर्ट्स नहीं लगायीं और उन्हीं केसेज के सम्बन्ध में सब-इन्सपेक्टर ने किसी में ५ सौ किसी में ७ सौ और किसी में १ हजार रुपये लिये हैं इसकी जांच करिये तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस हैं वह इस अदालती सरपंच से कहते हैं कि कोई घबराने की बात नहीं है, यह गुंडों का राज्य है, यह दरख्वास्त आप हमारे सामने रख दीजिये हम उसे एक प्राइवेट कागज की तरह अपने पास रखेंगे, हम उस सब-इन्सपेक्टर को बुलवायेंगे और आपका मेल उससे करवा देंगे, कोई बात नहीं है, मामला ठीक हो जायगा। ऐसी गम्भीर बातों पर हल्के तौर से टाल देना मैं समझता हूं कि बहुत ही बुरी चीज है। आज हम सरकार को सहयोग देना चाहते हैं। उसके साथ चलना चाहते हैं और इस बात का प्रयत्न करते हैं कि सरकारी कर्मचारी जो भ्रष्टाचारी हैं उनको पकड़ा जाय। हम लोगों की बातचीत शाम को होती है। लेकिन किसी पुलिस के बड़े अधिकारी का पेशकार रात को ही लारी करते हैं और थाने में चार बजे सुबह पहुंच जाता है और उस सब-इंसपेक्टर से कहता है कि कुछ अधिकारी आ रहे हैं जिसमें जनता के भी प्रतिनिधि हैं। आप जरा चौकन्ने, अच्छी तरह

से रहियेगा। इस तरह से वहां पर खबरें पहुंचती हैं। इसके बाद हम लोगों की तरफ से कप्तान पुलिस से कहा जाता है कि इस तरह से आपके विभाग द्वारा सब-इंस्पेक्टर को सूचना पहुंची, आप खुफिया पुलिस से जांच करवा सकत हैं हम लोग आप को शहादत देने के लिये तैयार हैं। उनसे कहा जाता है कि रात को बस के लिये एक दूकान से पेट्रोल आया वह बस एक गांव के बीच से निकलती है, थाने पर जाती है और वहां पर सब-इंस्पेक्टर से ड्राइवर और पेशकार की बातचीत होती है। लेकिन जब ऐंटी करप्शन कमेटी में कप्तान साहब से पूछा जाता है कि इस सम्बन्ध में आपको कोई सूचना दी गयी उस पर क्या किया गया। लेकिन जवाब मिलता है कि कुछ नहीं किया। उसके बाद वह सब-इंस्पेक्टर जो जनता के प्रतिनिधि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट और सिटी मैजिस्ट्रेट के साथ गये, जनता के प्रतिनिधि के लिये कहता है कि अगर आज वह जनता का प्रतिनिधि रेडिंग पार्टी में आता तो सबसे पहले मैं उसको शूट कर देता। यह सूचना कप्तान पुलिस को दे दी जाती है और उनसे ऐंटी करप्शन कमेटी की मीटिंग में पूछा जाता कि आपने क्या किया। जवाब मिलता है कुछ भी नहीं, 'किसी का मुंह नहीं पकड़ा जाता'। इस तरह से प्रोटेक्ट आफ ला ऐंड आर्डर एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के लिये कहता है कि अगर वह जनप्रतिनिधि हमारे सामने आ जाता तो मैं उसको शूट कर देता और इस मामले में डिपार्टमेंटल कार्यवाही तो हो सकती थी, लेकिन कौन सुनता है। आज गम्भीर से गम्भीर बातें पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ आती हैं लेकिन पुलिस में प्रेस्टिज का सवाल बीच में आ जाता है। अधिकारी चाहे कितना ही बड़ा हो लेकिन अपने कर्मचारियों के साथ कोई कार्यवाही करने के लिये तैयार नहीं है क्योंकि प्रेस्टिज का प्रश्न है। मैं इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट इलाहाबाद के तीन चार जुमले आपके समक्ष पेश कर देना चाहता हूं। हमारे शहर में एक सिटी मैजिस्ट्रेट के लड़के का कत्ल हुआ था। उसके सम्बन्ध में एक सिपाही के ऊपर भी यह चार्ज था कि वह भी मर्डर में शामिल था। उस सम्बन्ध में जो हाई कोर्ट का फैसला हुआ है उसमें इस तरह से कहा गया है--

"There were some unusual circumstances attaching to the investigation of this case. Inspite of the fact that Mr. Kureel had expressed his suspicion against Bagh Ali and the description given of one of the culprits (by boys) tallied with the description of Bagh Ali, Subinspector Surendra Shanker Singh did not arrest him. Mr. Singh had known Bagh Ali since 1941 when the former was posted as a constable and Bagh Ali was posted as a Head Constable at Agra. Both were again together when they were posted at Mainpuri in 1951.... It does not redound to the credit of District Administration that even the City Magistrate of Mainpuri whose son had been murdered in such a brutal position had to look up to the local police in such a plaintive fashion in order to have redress."

तो इस तरह से एक किस्सा नहीं है। बहुत से किस्से हैं हम ऐसी शिकायतें अपने अधिकारियों से करते हैं और अधिकारियों का कर्त्तव्य हो जाता है कि उन शिकायतों को सुनें मगर वह शिकायतों को नहीं सुनते ह। मैं समझता हूं कि समय आने वाला है जब लम्बा चौड़ा असंतोष जो पब्लिक में फैला हुआ है, एक उग्र रूप धारण कर लेगा। हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं केवल इसके कि जो इतना लम्बा चौड़ा असंतोष फैला हुआ है उस पर कुछ कार्यवाही करें।

*श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--जनाब स्पीकर साहब, जो जिम्नी मतालबात का बजट हमारे सामने पेश है उस पर बहुत ही महदूद अल्फाज में उन उसूलों का इजहारे ख्याल किया जा सकता है जिन पर गवर्नमेंट की मशीनरी चल रही है। मैं इस वाकये का एतराफ करते हुए भी कि इस वक्त सूबे के अन्दर तरक्की की बहुत सी स्कीमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

चल रही हैं और उन पर रुपया खर्च हो रहा है लेकिन जो मामला इंसान की जान से और उसकी हिफाजत से ताल्लुक रखता है, जहां तक मेरा जाती ख्याल है मैं सही तौर पर आपके सामने अर्ज करूं उसमें हमारी मशीन बिल्कुल नाकायाब नजर आती है।

इन दो तीन महीनों से मैं हैरतअंगेज तरीके से देख रहा हूं कि असली बजट जिसके लिये लाखों रुपया खर्च किया जाता है और जिनके आराम के खातिर पूरा-पूरा खयाल रक्खा जाता है मुझे अफसोस के साथ अर्ज करना पड़ता है कि उन्होंने अपनी कुछ भी जिम्मेदारी को अहसास न किया। इधर के बैठने वाले हों या उधर के जब पुलिस का बजट पेश होता है तो गवर्नमेंट बेंचेज से कहा जाता है कि हमारे मुलाजमीन की नुक्ताचीनी की जाती है। लेकिन मैं अपने मोहतरिम भाई आनरेबिल होम मिनिस्टर से अर्ज करूंगा कि आपकी पुलिस की मशीनरी ने इधर ४,५ महीनों में जो हैरतअंगेज काम किये हैं उनको दबाया नहीं जा सकता। हम आज भी अपने को कांग्रेसी कहने में फख्र महसूस करते हैं, लेकिन उन वाकयात को दबाया नहीं जा सकता और मुमकिन है कि आपकी मशीनरी के २,४ फर्द उससे नाराज हो जायं।

जनाबवाला, मैं आपकी खिदमत में अगर सब वाकयात पेश करूं तो आपको हैरत हो जायगी जो कि अखबारात में भी नहीं आये हैं। मैं बाज मुकामात पर खुद गया और बाज जगहों से रिपोर्ट आयी। जो वाकया बस्ती जिले में पेश हुआ है उसका क्या जवाब हम दुनियां के सामने पेश कर सकते हैं और उनके होने का क्या सबब बतलायें। जबकि एक बारात के अन्दर जाकर उसको लूटा गया और पुलिस के जिम्मेदार आफिसर वहां जाते हैं और किस तरह निजी दखलन्दाजी करते हैं और सबसे ज्यादा हैरतअंगेज चीज यह है कि पुलिस खुद ५०० रुपया लूट कर ले गयी और वापस नहीं किया। इसके बाद भी क्या कोई एक पैसा भी इस डिपार्टमेंट पर खर्च करना पसन्द करेगा, कभी नहीं करेगा। यह चीज मुसलमानों के साथ हुई, लेकिन किसी के भी साथ हुई हो तो इतनी काबिले शर्म बात है। पुलिस ने ऐसा लूटा है जिस तरह चोर, डकैत और दुश्मन लूटते हों। आज हम पुलिस वालों को कोई बधाई नहीं दे सकते। उनका वजूद हमारे लिये शर्म का बायस है। अलीगढ़ में, पीलीभीत में फसाद हुए। मुझे हैरत है कि दो मंजिल इमारत हो, नीचे फाटक हो और २० कदम पर चौकी कायम है और साढ़े ६ बजे से ११ बजे तक गरीबों की दूकानें लुटती रहीं और पुलिस वाले देखते रहे। लोगों से पूछा तो बतलाया कि समझ में नहीं आता कि पुलिस क्या करती रही। इसकी जांच होनी चाहिये। सुना यहां तक जाता है कि पुलिस के हैड कांस्टेबिल ने नम्बर बतलाये कि इन दूकानों को जलाओ और कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम पार्टी के लीडरों को वोट दे दें, रुपया दे दें, कपड़ा लत्ता दे दें, लेकिन जहां तक जमीर का ताल्लुक है मैं ऐसे डिपार्टमेंट पर लानत भेजता हूं एक पैसे के लिये भी, जिसने हमारी मां-बहिनों की इज्जत बरबाद की हो, एक पैसा भी उसे देना हराम है, लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिये देना पड़ता है। कानपुर में मेरे एक दोस्त हैं, जिन्होंने ऐसे अल्फाज कहे जिन्हें सुन कर मैं शर्म से गड़ जाता हूं वहां एक मस्जिद है। वहां कांग्रेसी वर्कर्स का खून गिरा है उसकी हिफाजत के लिये और उसकी हिफाजत इस तरह से हो कि प्लास्टर भी उसका रोक दिया जाय तो यह अच्छी बात नहीं है। वहां के कलेक्टर ने उसका प्लास्टर बनने से रोक दिया है कि यह हिन्दुओं की जायदाद है। हिन्दुओं से पूछा गया तो मालूम हुआ कि वह लोग कहते हैं कि उनको बदनाम करने के लिये ऐसा कहा जा रहा है। हो सकता है २, ४ हिन्दू ऐसे हों, लेकिन आम हिन्दू ऐसा नहीं है कि वहां पर खड़ा होकर उसकी तामीर को रोकने की कोशिश करे।

अभी एजूकेशन के लिये इसमें रुपया रखा गया है। उसके लिये जहां तक तालीम का ताल्लुक है वह आम पब्लिक के लिये एजूकेशन की बात है और उसके लिये लाखों रुपया खर्च किया जाता है और उसके लिये एक इन्टरमीडियट बोर्ड बना हुआ है। आज यहां पर सवाल आता है कि कितने लोग उसमें हरिजन हैं और कितने दूसरी जाति के हैं मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसके अन्दर कितने मुसलमान हैं। पूरे इन्टरमीडियट बोर्ड के अन्दर एक भी

मुसलमान नहीं है। क्या ऐसा होना चाहिये ? अलीगढ़ से एक नुमाइन्दा होकर आया था लेकिन इस हाउस से या अपर हाउस से वहां पर कोई नुमाइन्दा नहीं भेजा गया है और न नामजद किया गया है।

जहां तक हिन्दी का ताल्लुक है, अब जिन बच्चों को हिन्दी तालीम का शौक नहीं था उनको हिन्दी सीखने का शौक हुआ है। जब लड़के इम्तहान में बैठते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा उसका इन्तजाम करना चाहिये। वहां पर हम देखते हैं कि बड़ी मुश्किल हिन्दी रहती है जो कि एक साधारण हिन्दी होनी चाहिये। वह हमारी जबान है और उसके लिये कोई अमली कदम उठाने की जरूरत है, जिससे लोग इस बात को महसूस करें कि आसानी से उसको पढ़ा-लिखा जा सकता है। मैं एक बच्ची को हिन्दी पढ़ाने के लिये एक उस्तादनी को पढ़ाने के लिये ढूंढने लगा लेकिन नहीं मिल सकी। तो उसके लिये ऐसा इन्तजाम होना चाहिये जिससे पढ़ने वाले के लिये माकूल इन्तजाम हो सके।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण विषय है और अनेक माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। इसलिये सदन का समय १ घंटा ६ बजे तक और बढ़ा दिया जाय।

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम)––मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष––यह सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)––मान्यवर, सप्लीमेन्ट्री बजट के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण भाषण हुये हैं उनमें सम्भवतः सब से महत्वपूर्ण भाषण हमारे विरोधी दल के माननीय नेता का हुआ है। मुझे उस भाषण को सुन कर वास्तव में कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, मगर रोना जरूर आता है। यह तीसरा सप्लीमेंटर बजट इस सदन के सम्मुख आ गया। मगर अभी तक हमारे मित्र सप्लीमेंटरी बजट का अर्थ नहीं समझे। उन्होंने किसी सूचना के आधार पर यह कह दिया कि हमारी आडिट रिपोर्ट पूरी नहीं आती है और बहुत देर में उत्तर प्रदेश सरकार की अकाउण्ट रिपोर्ट पेश होती है। मैं भी इस अकाउण्ट को देखने का शौक कभी-कभी रखता हूं। मुझे ताज्जुब होता है। आपको ५१–५२ की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की तो मिल गयी, लेकिन इंग्लैण्ड में देखा जाय तो ४८–४९ की भी नहीं मिल सकती है...

श्री राजनारायण––मैंने यह नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष––किसी दूसरे सज्जन ने कहा होगा।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा––श्री राजनारायण जी ने कहा कि ४, ५ साल तक नहीं भेजी जाती। वह भेजी जाती है या नहीं इसका उत्तर तो माननीय वित्त मंत्री दे सकते हैं, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि २, ३ साल पहले की आडिट रिपोर्ट हमारे उत्तर प्रदेश में तो उपलब्ध है। भारत में कई प्रान्तों में उपलब्ध नहीं है और इंग्लैंड और अमेरिका में भी उपलब्ध नहीं है मैं यह जानता हूं।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है––मुझे अच्छा नहीं लगता, बार-बार राजनारायण जी हमारे सामने कानपुर की घटना का जिक्र करें। वह भूल जाते हैं कि यहां पर प्रत्यक्ष-दर्शी भी मौजूद हैं। उनकी अहिंसा को जानने वाले और उनकी अहिंसा के विज्ञान को जानने वाले भी यहां पर मौजूद हैं। आज उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। बहुत बड़ी शिकायत इस बात की की गयी कि माननीय मुख्य मंत्री जी यूथ कांग्रेस में गये। उनको यह कहना अच्छा तो मालूम नहीं होता था क्योंकि माननीय राजनारायण जी इस बात को जानते हैं कि उनके साथियों ने स्टुडेंट फेडरेशन का विरोध किया था। मैं भली-भांति जानता हूं कि भारतीय छात्र संघ एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, माननीय राजनारायण जी शायद उससे परिचित नहीं हैं। इस संस्था के अध्यक्ष डाक्टर के० एल० वर्मा का पठानकोट में एक भाषण २६ अगस्त, १९५४ को हुआ। यदि माननीय राजनारायण जी ने उस

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

भाषण को पढ़ा होता तो वे उसका स्वागत करते। ऐसे विद्यार्थियों के बीच जाकर उनको सन्मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया गया था, जिससे वे अपने को अन्य दलों से बचा सके, दूसरी बहुत सी बुराइयों से बचा सकें। उन्होंने सरकार के लिये कुशासन शब्द का प्रयोग किया, यह उन्होंने बोरोड़ टर्म को यूज़ किया है। हमने कभी भी सोशलिस्ट पार्टी के लिये ऐसी बातें नहीं कहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया और करने की इच्छा हमारी नहीं है। जैसे शब्द कि ट्रावनकोर कोचीन के सम्बन्ध में न्यूएज अखबार ने लिखे हैं। अब मैं सप्लीमेंटरी बजट के सम्बन्ध में दो तीन बातें कहना चाहता हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय राजनारायण जी ने महत्वपूर्ण विषयों को भी देखने की चेष्टा क्यों नहीं की। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि माननीय राजनारायण जी पिछले बजट और इस साल के सप्लीमेंटरी बजट दोनों का मुकाबला करते तो उनको २,३ मार्के की बातें तो अवश्य मालूम हो जाती और अवश्य वे उनको सदन के सामने प्रसंशात्मक रूप में उपस्थित करते। वित्त मंत्री महोदय ने १,५९,५३,२०० रुपये का सप्लीमेंटरी बजट प्रस्तुत किया है। इसमें से केपीटल अकाउन्ट में ६,०१,२०० रुपया मात्र है तथा रेवेन्यू अकाउन्ट में १,०३,७९,१०० रुपया है। पर इन सप्लीमेंटरी मदों पर वास्तविक खर्चा २,६६,०७,४०० रुपया होगा, यह ध्यान रहे। अब रहा टोकिन ग्रान्ट का सवाल। टोकिन ग्राण्ट का अर्थ यह होता है कि जिन मदों के लिये मूल बजट में गुंजाइश कर दी गयी हो लेकिन उन मदों में वास्तव में खर्च न करके दूसरी मदों में खर्च किया जाय। इसके लिये इस बजट में ६,३०० रुपया रक्खा गया है। यदि माननीय राजनारायण जी ने बजट का अध्ययन किया होता तो उनको मालूम होता कि उत्तर प्रदेश के इतने बड़े बजट में से केवल ६,३०० रुपया ही टोकिन ग्राण्ट का रक्खा गया है। एक बात और है कि १,५९,४६,९०० रुपया सबस्टेंशिव यानी वास्तविक डिमांड है, इस वास्तविक मांग को अलग रख दीजिये। जिन मदों के लिये ६,३०० रुपया टोकिन ग्रान्ट है उन पर वास्तविक खर्च १,०६,६०,५०० रुपया होगा। वास्तविक मांग में से १,४२,१२,५०० साधारण सप्लीमेंटरी स्टीमेट है और केवल ७ लाख ३४ हजार रुपया कांटेनजेंसी फंड से दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि इस १,५९,५३,२०० रुपये को हम लायेंगे कहां से। इस रुपये को लाने के लिये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। संभवतः लोगों ने यह भी न समझा हो कि इस १५९ लाख रुपये में से १,१६,७५,८०० रुपया केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त होगा और हमारी प्रान्तीय सरकार को केवल ४३ लाख रुपये का प्रबन्ध करना होगा। इतने आंकड़ों को देखने के बाद हमारे माननीय मित्र यदि सप्लीमेंटरी बजट का अध्ययन करते तो उनको संतोष ही नहीं होता, बल्कि वे माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई भी देते।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सप्लीमेंटरी बजट पेश है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इस बजट में बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जिनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। माननीय नेता विरोधी दल दल भी कहें लेकिन इस तरह का सप्लीमेंटरी बजट हमारे प्रदेश के लिये कोई नयी चीज नहीं है। सभी सरकारें इस तरह के बजट पेश करती हैं और स्वाभाविक भी है कि जब हम जनरल बजट बनाते हैं तो साल भर की तमाम परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान हो सके, यह किसी भी सरकार के लिए सम्भव नहीं है।

इसमें नयी शिक्षा के ऊपर भी कुछ रुपया खर्च किया जायगा और वह बहुत ही उचित मद है और विशेष तौर पर जूनियर हाई स्कूलों में जो एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है यह बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से लखनऊ माडेल प्रीजंस में वीमेंस हाउस आदि इस तरह की कई चीजें अत्यन्त आवश्यक हैं जिनके ब्योरे में इस वक्त मैं नहीं जानना चाहता हूं, मैं सिर्फ दो तीन बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं। एक तो पुलिस के बारे में कहना चाहता हूं। यूं तो पुलिस के बारे में पहले से ही बहुत कुछ कहा जा चुका है लेकिन मैं अपने जिले बरेली की बात होम

मिनिस्टर साहब से केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि पिछले साल से इस साल डकैती व मर्डर की तादाद हमारे यहां ड्यौढ़ी हो गयी है। श्रीमन्, बजट को देखने के बाद एक चीज मुझे और महसूस हुई और वह यह कि सप्लीमेंटरी बजट का मुख्य ध्येय यह है कि केवल उन खर्चों को इसके अन्दर रखा जाय जिनकी बाबत पहले से सरकार सोच नहीं सकती थी। मैं यह भी देखता हूं कि कई डिपार्टमेंट्स ने ऐसी चीजों को भी सप्लीमेंटरी बजट में जोड़ दिया है जिनका उचित स्थान जनरल बजट में होना चाहिये था। मैं आपके द्वारा भवन का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं अनुदान संख्या २० की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पब्लिक हेल्थ के अन्दर लोकलसेल्फ गवर्नमेंट का एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जिसमें सातवें नये डिवीजन के खोलने की बात कही गयी है। श्रीमन्, जब हमारा जनरल बजट पेश हुआ था तब उस समय हमने देखा था कि इस विभाग के ६ डिवीजन थे, तीन टेम्पोरेरी थे और तीन परमानेंट थे। लेकिन उस जनरल बजट के द्वारा उस विभाग ने जो एक चौथा डिवीजन जो अस्थायी था उसको परमानेंट बनाने की बात कही थी। इसके माने यह हुए कि केवल दो टेम्पोरेरी डिवीजन थे मगर आज इस सप्लीमेंटरी बजट के द्वारा तीसरा डिवीजन खोला जा रहा है और शायद शीघ्र ही एक सातवां डिवीजन भी खोलने की तैयारी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो डिपार्टमेंट की टेंडेंसी है कि एक न एक बहाने से नये डिवीजन खोले जाते हैं और उसके अन्दर नये अफसर और स्टाफ भर दिये जाते हैं तो सरकार को इस टेंडेंसी को स्टाप करना चाहिये, इसको चेक करना चाहिये।

दूसरी बात इंडस्ट्रीज विभाग के सिलसिले में है वह यह कि एडिशनल मशीनरी फूड प्रिजर्वेशन ऐण्ड कैनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिये खरीदी जा रही है, जिसके लिये ४३ हजार रुपये की जरूरत है। मैं कहता हूं कि अगर जनरल बजट में ही इसका प्राविजन होता तब क्या आपत्ति थी, ६ महीने के अन्दर ऐसी कौन सी नई बात दिमाग के अन्दर पैदा हो गयी जो उस समय नहीं सोची जा सकती थी। इस तरह से कोई भी योजना बिना किसी कार्यक्रम के हैवहैजर्ड वे में नहीं चल सकती। तो मैं चाहता हूं कि जब हमारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशन्स के हैं और जो ऐसी योजनाओं के लिये सलाह देते हैं तो किसी भी ऐसी योजना के लिये जरूरी है कि हम बराबर सतर्क रहें और शुरू साल में ही जितने रुपये की आवश्यकता हो एक सुचारु योजना के अन्तर्गत इस सदन से स्वीकार करा लें।

इस तरह से श्रीमन्, इन्डस्ट्रीज डाइरेक्टर साहब के लिये २८ हजार रुपये की एक यूटिलिटी वान की बात कही गयी है। मैं नहीं जानता कि यह यूटिलिटी वान क्या है? शायद किसी बहुत ही बढ़िया किस्म की गाड़ी से मतलब होगा। मैंने यह देखा कि हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद सरकारी अफसरों के अन्दर एक शौक पैदा हो गया है कि वह बिना मोटर के चलने ही नहीं पाते हैं और वह भी मामूली मोटर पर नहीं। उनका काम यूटिलिटी वान के बिना नहीं चल पाता है। इन सरकारी गाड़ियों का कितना मिसयूज होता है यह भी हमारे साथियों और सरकार से छिपा हुआ नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक गम्भीर विषय है और सरकार को इसके सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये और मेरा तो श्रीमन्, एक निश्चित मत है कि सरकार को अपनी ओर से गाड़ियां या यूटिलिटी वान्स किसी भी अफसर को नहीं देना चाहिये। जिसको उसकी जरूरत हो और खरीदना हो वह अपने पैसे से उसे खरीदें और अगर जरूरत सरकार समझे तो उसके लिये उनको रुपया एडवान्स कर सकती है।

चौथी बात मुझे यह कहनी है कि प्रदेश में विकास और एक्सटेंशन का काम बहुत चल रहा है। मैं यह देखता हूं कि उन तमाम कार्यों में डिस्ट्रिक्ट लेविल पर बहुत ओवरलेपिंग है। मैं चाहता हूं कि इन तमाम कामों के लिये कोई ऐसी योजना बनायी जाय कि सारे विकास कार्यों के लिये एक ही कामन एक्सटेंशन सर्विस हो और उसी के अन्तर्गत तमाम विकास योजनायें, चाहे जिस शाखा या विभाग की हों, चलाई जायं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री उम्मेद सिंह (जिला गोंडा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सप्लीमेंटरी बजट के सिलसिले में बहुत से माननीय सदस्यों ने साम्प्रदायिकता का जिक्र किया । हमारे माननीय विरोधी दल के नेता ने भी और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी इस तरह की बहुत सी बातें कीं और यहां तक कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हरिजनों को यह चीज नहीं दी जाती और मुसलमानों को इसमें कम जगह मिलती है, इस तरह के कारण बताते हुये उन्होंने और भी बहुत सी बातें कहीं। लेकिन सही तौर पर असल में साम्प्रदायिकता किस तरह से मिटेगी यह बात गोपनीय रखी गयी है और हमारी सरकार की तरफ से इस बजट में ऐसी मदें तो बहुत सी हैं मगर ऐसी मदें जिनसे साम्प्रदायिकता मिटे और इस देश में और इस प्रदेश में जितने भी हिन्दू-मुसलिम या ईसाई हैं एक भावना लेकर रहें, अपने प्रदेश को अपना प्रदेश समझें और अपने देश को अपना देश समझें, ऐसी बात इसमें कुछ भी नहीं है। यह समझना कि कुछ जगह मुसलमानों को देने से या हरिजनों को कुछ विशेषता देने से या ऐसी छोटी छोटी बातों से हमारे प्रदेश से या भारतवर्ष से साम्प्रदायिकता चली जायगी यह बिलकुल गलत है। एक मूलभूत सिद्धान्त यह है कि हमारे देश की और प्रदेश की जो मान्यतायें हैं और देश की जो संस्कृति है और जो हमारे राष्ट्रीय हीरोज हैं उनको मान्यता दी जाय और मूलभूत आधार पर देश का और इस प्रदेश का निर्माण किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बात का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं गोवध के सम्बन्ध में। यह छोटी सी बात है मगर यह बड़ी बात भी है इसलिये कि यह हमारे यहां की राष्ट्रीय मान्यता है और भारतवर्ष का मान्यविन्दु है । अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि गौ हमारे देश और प्रदेश का राष्ट्रीय आधार है और वह एक हमारा मान्यविन्दु है, जैसे हमें गंगा और यमुना पूज्य हैं, वैसे ही गोमाता भी पूज्य है और इसी आधार पर गोवध बन्द हो तो इतने में ही हमारी सरकार और बहुत से सज्जन साम्प्रदायिकता की झलक देखने लगते हैं। अगर कहा जाता है कि हमारे देश की भाषा संस्कृत है और हमारे प्रदेश की भाषा हिन्दी है तो हमारे प्रदेश के ही बहुत से लोग उसको साम्प्रदायिकता कहते हैं और हमारी सरकार भी उस उलझन में पड़ जाती है और उसकी निगाहों में ऐसी बातें बैठ जाती हैं जिससे वह बिलकुल हतप्रभ सी हो जाती है और उनकी समझ में नहीं आ पाता है कि किस तरह से साम्प्रदायिकता दूर हो सकती है और किन बातों से साम्प्रदायिकता और जातीयता को प्रोत्साहन मिलेगा। तो अगर हमारी सरकार बिला डर के हिम्मत के साथ जो हमारे राष्ट्रीय मानविन्दु हैं उनको मूलभूतसिद्धान्त मानकर और उनको प्रोत्साहित करे उनके लिये शिक्षा विभाग को मदें दी जायं, उसके लिये अनुदान दिया जाय और उनके लिये जैसा मैंने गोमाता का प्रश्न उठाया उसके लिये बहादुरी के साथ कहिये कि हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सबके लिये यह राष्ट्रीय प्रश्न है और गोहत्या बन्द की जायगी तो कोई शख्स भी यह नहीं कह सकेगा कि यह साम्प्रदायिक प्रश्न है । हमारी सरकार की ढुलमुल यकीनी का यह नतीजा है कि आज इस सदन में बैठे-बैठे साम्प्रदायिकता की भावना दिखलाई पड़ी, लेकिन लोगों की समझ में यह बात नहीं आती कि कैसे दूर हो सकती है। कैसे लोग अपने प्रदेश के लिये, अपने राष्ट्र के लिये, उसके उत्थान के लिये, राष्ट्रहित के लिये जान तक भी दे दें उसके लिये क्या किया जाय यह नहीं मालूम है। उसके लिये राष्ट्रीय मानविन्दुओं की रक्षा करनी पड़ेगी । मुझे बस इतना ही कहना है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज माननीय परिपूर्णानन्द जी का भाषण सुनकर बड़ा दुःख हुआ और वह इसलिये कि उन्होंने कहा कि विलायत में भी पार्लियामेंट के अन्दर अभी तक ५१-५२ एप्रोप्रिएशन एकाउंट्स पास नहीं हुए। यह बात अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बिलकुल गलत कही । माननीय राजनारायण जी ने इस बात को साफ़ कहा कि ५१-५२ और ५२-५३ के एप्रोप्रिएशन एकाउंटस आज यदि सदन के सामन होते तो हमें यह मालूम हो सकता था कि हमारे सरकार के

जो अलग-अलग विभाग हैं उनमें साल के अन्त में कितना रुपया खर्च होता है और कितना रुपया लैप्स हो जाता है। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने जो आंकड़े दिये वे भी बिलकुल गलत हैं। मैं माननीय परिपूर्णानन्द जी से पूछना चाहता हूं कि वह बतावें कि इस साल की पहली अप्रैल को हमारे प्रान्त के प्लानिंग विभाग यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज के परसनल लेजर में कितना रुपया अनएक्सपेंडेड बैलेंसेज में था और मैं यह कहूंगा कि एक अप्रैल को प्लानिंग लेजर में ९० लाख ४६ हजार १०४ रुपये थे और आज के दिन १ करोड़ ३० लाख ६ हजार पर्सनल लेजर में अनएक्सपेन्डेड बैलेंस में पड़े हुये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि उनको तो आंकड़े याद रहते हैं लेकिन मैं किताब से लिख लाया हूं मुझे तो याद नहीं रहता। यह इतनी कमी मुझमें रही है लेकिन मुझे दुःख है कि उनके मुंह से ऐसी बात निकले। वह एप्रोप्रिएशन एकाउंट्स को भी समझते हैं फायनेंसेज में वह दखल रखते हैं मैं उनकी इज्जत करता हूं लेकिन आज जो बात उन्होंने कही उससे मुझे बड़ा दुख हुआ।

अब मैं माननीय मंत्री जी को सप्लीमेंटरी बजट के लिये किस तरह से बधाई दूं। अगर आज बेकारी की समस्या को दूर करने के लिये उन्होंने कुछ रुपया हमसे मांगा होता तो हम उन्हें खुशी-खुशी देते। आज हमारे इस प्रदेश के अन्दर एजूकेटेड अनएम्प्लायड हजारों की तादाद में ग्रैजुयेट्स वगैरह बेकार पड़े हुये हैं। चार जगहें खाली होती हैं और उनके लिये हजारों की अर्जियां पड़ जाती हैं यह तो हमारे ग्रेजुयेट्स का हाल है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस अनएम्प्लायमेंट के प्राब्लम को साल्व करने के लिये कौन सी योजना हमारे सामने रखी है। यह कहा जाता है कि अनएम्प्लायमेंट रिलीफ स्कीम के लिये केन्द्रीय सरकार ने हमारी सरकार को २ करोड़ ५० लाख रुपये देने का निश्चय किया है। सड़कों को बनाने के लिये और अब सड़कों को बना कर मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी अन-एम्प्लायमेंट रिलीफ होगी और इसके लिये जो सर्वे होगी उसके लिये भी रुपया मांगा जाता है। गवर्नमेंट कहती है कि सर्वे कराओ, ऐप्रूवल कराओ और रुपया लो और खर्च करो। इससे क्या अनएम्प्लायमेंट का प्राब्लम साल्व हो जाता है। मैं माननीय परिपूर्णानन्द जी से पूछना चाहता हूं कि कितना रुपया १ अप्रैल को इस पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का लैप्स हो गया।

अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में ८ लाख रुपया पब्लिक वर्क्स के लिये रखा गया था। उसमें २ लाख रुपया एक सड़क के लिये था लेकिन सड़कों के लिये कुल १० हजार रु० खर्च किया गया और बाकी का १ लाख ९०हजार रुपया लैप्स हो गया। आज बेकारी की समस्या को हल करने के लिये जो रुपया आपके पास है, उसको तो आप खर्च नहीं कर सकते और स्कीमें बना रहे हैं कि २ करोड़ ५० लाख रुपया केन्द्रीय सरकार के पास से आयेगा उससे हमारी बेकारी की समस्या हल हो जायगी। मुझे अफसोस है अध्यक्ष महोदय, इसलिये कि मैं यह चाहता था कि माननीय मंत्रीजी इस बेकारी की समस्या को हल करने के लिये कोई प्रोग्राम हमारे सामने लाते, कोई आर्मी, कोई कोर ऐसी बनाते और इस सिलसिले में मैं अध्यक्ष महोदय, आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जितने एजूकेटेड अनइम्प्लायड हैं अगर वह उनको सुबह शाम खाने का बंदोबस्त कर दिये होते तो वे सब देश के विकास के लिये सड़कों पर काम करने के लिये तैयार हो जाते। माननीय सदस्यों के पास आज कल दो, तीन, चार आदमी रोज ही नौकरी के लिये आते होंगे और यह हमारे देश की आज हालत है लेकिन इसको ठीक करने के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है। हम यहां बैठे हैं और अभी माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि केन्द्र से ढाई करोड़ रुपया आ रहा है उससे बेकारी की समस्या हल हो जायगी, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह होगी कैसे? सड़कें बनेंगी कैसे? एक महीने तक तो टेन्डर का नोटिस होता है, फिर टेन्डर आने के बाद दो महीने बांड भरने में लगते हैं और फिर तीन महीना काम शुरू करने में लगता है और इसी तरह से अप्रैल का महीना आ जाता है और रुपया लैप्स हो जाता है।

इसके अलावा जैसा कि राजनारायण जी ने कहा कि हमारे सामने अभी तक एप्रो-प्रिएशन एकाउन्ट्स नहीं है, हम काम क्या करें? आज क्या उसके लिये माननीय मंत्री,

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

ए० जी० जो देश का सर्वेसर्वा है उसको चिट्ठी लिख सकते हैं ? क्या माननीय मंत्री जी को इतनी हिम्मत है ? यह तो इस हाउस की कमेटी है, यह अगर रेजुल्यूशन पास कर के भेजती कि हमारे सामने एप्रोप्रिएशन एकाउन्ट्स नहीं हैं और होना चाहिये तो मैं समझता हूं कि उसका कुछ असर हो सकता था। हमारे अफसरान भी इसको खेल समझते हैं, एक दिन वह कमेटी के सामने पेश हो गये और सोचा कि चलो बला टली। आज इसका कोई महत्व नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसका चुनाव तक नहीं हुआ। मैंने आपको लिख कर दिया कि इसका चुनाव तो कर दीजिये ताकि हम ए० जी० को लिख तो सकें कि हमारे एकाउन्ट्स हमारे सामने भेज दीजिये। सप्लीमेंटरी पेश किया गया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत सुन्दर है। हमारे मिर्जापुर के सदस्य ने कहा कि सारे प्रान्त में कांग्रेस ही कांग्रेस छा रही है, अगर सारे प्रान्त में कांग्रेस ही छा गयी है तो यहां भी क्यों न आ गई ? इसके अलावा मैं अध्यक्ष महोदय, बतला दूं आप के द्वारा इसलिये कि कहीं कोई गलतफ़हमी न रह जाय कि मेरे इलाके में एक भी एन० ई० एस० ब्लाक नहीं है। मुझे नहीं चाहिये। लेकिन मुझे दुख है कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने अपनी कांस्टीट्यूयेन्सी में दो ब्लाक खुलवा लिये.....

श्री अध्यक्ष––उपाध्यक्ष जी का जिक्र मत कीजिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय––जी, श्री हर गोविन्द पंत जी ने, जो अपने इलाके में उस काम को सुपरवाइज करते हैं, दो एन० ई० एस० ब्लाक बना रहे हैं। ढाई लाख रुपया खर्च के लिये आया तो उसमें से डेढ़ लाख रुपया सिर्फ अपने इलाके के लिये खर्च कराना चाहते हैं जिले के अफसरान उनकी खुशामद में हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से जो रुपया आया उसके लिये उन्होंने अपने इलाके के लिये एक स्कीम मंजूर करा ली जो एक लाख रुपये की है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी में उनका बहुमत है, उसमें उन्होंने इसको पास करवा लिया। क्या वह कांग्रेस है ? हमारे दूसरे सदस्यों के इलाके खाली पड़े हुये हैं ? नरेन्द्रसिंह जी, खुशीराम जी, गोवर्द्धन जी, आदि हैं, मुझे तो चाहिये नहीं, मैं अपने इलाके का विकास स्वयं कर लूंगा, लेकिन क्या यह प्लानिंग है, यह तो अनप्लानिंग है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट कमेटियों में बड़ी गड़बड़ है, होना कुछ चाहिये लेकिन लेकिन होता कुछ है। इन एन० ई० एस० ब्लाक्स से कुछ काम नहीं चलेगा। इस फैली हुई गरीबी को दूर करना पड़ेगा और इसके लिये हमें क्या लालच दिखलाया जा रहा है कि सन् १९६१ तक तो सारे इलाके के अन्दर एन० ई० एस० ब्लाक खुल जायेंगे। हरगोविंद पंत जी के यहां जो बाकी रह गये हों वह पूरे कर दीजिये ताकि उनको तसल्ली हो जाय। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख होता है यह कहते हुए कि अलमोड़ा प्लानिंग कमेटी के अन्दर जब एक प्रस्ताव था तो एक तरफ मेरा हाथ उठा और दूसरी तरफ उनका हाथ उठा। अध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि जब मैंने डिप्टी कमिश्नर से यह कहा कि आप अपना कास्टिंग वोट दीजिये तो हरगोविंद पंत जी ने यह किया कि अपने दोनों हाथ उठा दिये। मैं विकास की बात आपसे कह रहा हूं। मुझे दुख है इस बात का कि हरगोविंद पंत साहब के बारे में यह कहना पड़ा। इसीलिये मैंने आपसे सुबह पूछ लिया था कि मैं कुछ कह सकता हूं या नहीं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)––अध्यक्ष महोदय, मैं सर्व प्रथम आपको धन्यवाद देता हूं कि इस बजट के पेश होने पर मैं आज प्रातःकाल से उठता-बैठता रहा और दो हमारे जिले के माननीय सदस्य भी बोल चुके और उन्होंने हमारे जिले को इगनोर कर दिया। मैं अपने जिले की विपत्ति बताना चाहता हूं। ५५० गांव पानी के अन्दर हैं, वहां आदमी भूखों मर रहे हैं। डुमरियागंज के लिये एक सड़क है, न स्कूल है वहां, न अस्पताल है और एक फसल होती है अगर वह भी किसी साल नहीं हुई किसी कारण से तो वहां के लोग साल भर भूखे मरते हैं। उसके बाद मैं खलीलाबाद के उस हिस्से की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं जो दो नदियों के बीच का तराई का इलाका है और जहां लोग घंघे और हाइड्रोसील से परेशान हैं। वह चार महीने हम से कट

आफ रहते हैं उन्हें यही नहीं पता चलता है कि खलीलाबाद है कहां, बस्ती कहां है । मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि सरकार हमारे लिये पुल का प्रबन्ध करे । डुमरियागंज को भूले नहीं, वहां भी ट्यूबवेल्स की स्कीम को लागू करे । अब मैं अपने शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे बस्ती की बहुत डिमांड है कि डिग्री कालेज स्थापित किया जाय और एक कमेटी १९ तारीख को हुयी थी मैं उसमें नहीं पहुंच पाया, क्योंकि यहां सदन के काम में व्यस्त रहा । मैं उनसे अर्ज करूंगा कि हमारे जिले की तरफ भी नजर रखें और वहां एक टेक्निकल स्कूल भी खोल दिया जाय, क्योंकि हमारा जिला माननीय रामनरेश शुक्ल जी के जिले से तिगुना-चौगुना है, यानी तीन चार जिलों के बराबर है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये बस्ती के दुख को सरकार के सामने रखना चाहता हूं । मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि चीन की सरकार ने ८० दिन के अन्दर तीन नदियों को बांध दिया, आप कल का नेशनल हेराल्ड उठाकर देख सकते हैं । मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि वह सचेत हो और जो पैसा हमसे लिया जा रहा है वह सुचारु रूप से खर्च किया जाय । हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ठीक ढंग से चले । अब मैं पुलिस विभाग के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां दो डी० वाई० एस० पी० थे उनमें से एक हटा दिया गया । अब एक से काम नहीं होता, डकैतियां नहीं देख पाते । हाल ही में मैं बस्ती गया था । शहर में सोना दुश्वार हो गया । कोतवाली के दरवाजे पर चोरी हो रही है । आज मुझे मौका मिला है कि मैं कह सकूं कि जो पुलिस के लिये बजट में पैसा मांगा गया है वह कम है, ज्यादा मांगा जाय ताकि हम लोग अपने को सुरक्षित फील कर सकें । अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी सदन में बैठे-बैठे आज प्रात: काल से नेता विरोधी दल को सुना । उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया कि वहां यह हो रहा है, यहां यह हो रहा है और जो उनका प्रोग्राम है वह कांग्रेस सरकार पूरा कर रही है । महज कानपुर का जिक्र किया जाता है । किसी एक सदस्य ने रावण को उपाधि दी थी, वह तो बहुत बड़ा पंडित था । उतना विद्वान् पंडित उधर नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि जिस देश का अपोजीशन स्ट्रांग होता है वही गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है, लेकिन हमारा विरोधी दल लोक है हमको आज रावण जैसा पंडित और विद्वान अपोजीशन अगर मिला होता तो मुझे गुमान होता उसके ऊपर । माननीय त्रिपाठी जी ने हमारे माननीय सदस्य ब्रजभूषण मिश्र को हिट किया कि आप उपदेश करते हैं । कोई मेम्बर किसी को उपदेश नहीं करता । वह अपनी विचारधारा यहां रखता है । मैं माननीय उपाध्याय जी से भी कहना चाहता हूं कि इस चेयर की बड़ी इज्जत है । इस चेयर के हम जितने सदस्य हैं, जिस दिन हमने शपथ खायी थी उस दिन यह भी शपथ खायी थी कि इस चेयर की हम इज्जत रखेंगे । डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कुछ कहना उचित नहीं है । आपको उनसे प्लानिंग कमेटी में ही निपट लेना चाहिये था । मैं होता तो वहीं निपट लेता । बुड्ढे हरगोविंद पंत अपनी कांस्टीच्युएंसी में दौरा करते फिरते हैं और हमारे उपाध्याय जी यहां मौज किया करते हैं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—प्वाइंट आफ आर्डर । क्या इस सदन में डिप्टी स्पीकर साहब के खिलाफ कुछ कहा गया ?

श्री अध्यक्ष—वह श्री हरगोविंद पंत के लिये कह रहे हैं । उपाध्यक्ष बुड्ढे नहीं होते। वह तो 'बुड्ढे' शब्द को श्री हरगोविंद पंत के लिये कह रहे हैं ।

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि संसार में काम ही प्रधान होता है । 'कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा' । राजनारायण जी रोज चैलेंज करते हैं । लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह जरा मैदान में उतर आयें । उपाध्याय जी से भी कहता हूं कि उतर आवें मैदान में, उनको भी चलें हरगोविंद पंत से फिर लड़वा दें । तो आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि यह बजट जो पेश है हमारे सामने, मैं पुन: तमाम मंत्रियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग उनके साथ हैं लेकिन उन लोगों का भी कर्त्तव्य है कि हमारी मुसीबतों को, हमारे दुखों को सुनें और उन्हें दूर करने का उपाय करें । मैं माननीय माल मंत्री को भी बधाई देता हूं जिन्होंने कि ४४ लाख

[श्री शिवनारायण]

आदमियों को कल वह निजात दी है, इस सदन में उस कानून को बनाकर कि १४ लाख या २१ लाख जो छपा है, कहीं १४ लाख छपा है, कहीं २१ लाख छपा है, इतने लोगों को उससे हक़ मिला है। लेकिन हम उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि अब भी करप्शन है नीचे माल विभाग में, उस पर भी वह ध्यान दें। हम, अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से आज कहना चाहते हैं कि आज वह दिन है कि इसी अवसर पर या जनरल बजट के दिन हमको कहने का मौका मिलता है जिससे कि साल भर सरकार सतर्क रहे और हम अपना कर्त्तव्य समझते हैं कि सरकार को सचेत करें। हम सरकार के विरोध में नहीं हैं। मैं पुनः उपाध्याय जी से कहना चाहता हूं कि उन्हें बड़ी-बड़ी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये। यहां छोटी-छोटी बातें कहना उचित नहीं।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी बजट के ऊपर बोलते हुए मैं सबसे पहले वित्त मंत्री का ध्यान अनुदान संख्या १७ की तरफ, जिससे कि पुलिस और पुलिस के प्रशासन का सम्बन्ध है, आकर्षित करूंगा। जहां तक इस अनुदान का सम्बन्ध है इसमें सन्देह नहीं कि करीब-करीब दो लाख रुपया जो इसके अन्तर्गत रखा गया है उसमें डेढ़ लाख रुपया पुलिस के यात्रिक खर्चे के लिये है जिसको बजट में अब तक नहीं रखा गया है। इस समय बराबर इकानामी प्राबलम बढ़ता चला जा रहा है। बार-बार कमेटियां बन रही हैं और साथ-साथ में बराबर सर्क्युलर जारी हो रहे हैं कि जहां तक हो इकानामी की जाय। सन् ४७ से अब तक यात्रिक भत्ते का सवाल कहीं पर भी बजट में पेश नहीं किया गया था और न इस साल के बजट में ही शामिल किया गया था। किस वजह से इसे नहीं शामिल किया गया, यह कारण नहीं बतलाया गया है लेकिन यह रकम रखते हुए यह बतलाया गया है कि इस रकम का खर्च करना नितान्त आवश्यक है। इस इकानामी के युग में जब कि आप एक एक पैसे की बचत करना चाहते हैं और आप यह चाहते हैं कि एक एक पैसा विकास में और प्लानिंग के कामों में लगे, निर्माण के कामों में लगे, तो डेढ़ लाख रुपये की इस राशि को इसमें खर्च करना और इसको प्रतीक स्वीकृति के लिये सदन के सामने प्रस्तुत करना ठीक नहीं मालूम होता। पुलिस के शासन के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री का ध्यान उस स्थिति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जिससे कि आज तमाम प्रान्त में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पुलिस का प्रशासन जर्जर होता चला जा रहा है। आप किसी भी जिले की स्थिति को उठाकर देखिये तो आपको मालूम होगा कि चाहे बिजनौर जिला हो, चाहे बस्ती जिला हो और चाहे गोरखपुर जिला हो, चाहे आप कहीं भी चले जाइये तो आपको मालूम होगा कि पुलिस के अन्तर्गत न तो व्यवस्था ही है और न सुख-शांति ही है और न जनता के लोग आसानी से अपनी जिन्दगी ही बसर कर रहे हैं। हम अपने यहां निर्माण की अनन्य योजनायें इसी लिये बना रहे हैं कि हमारे यहां के लोगों की आमदनी १०० के स्थान पर २०० रुपये हो जाय, यानी हमारे प्रांत के व्यक्तियों की आमदनी बढ़ जाय और उनका जीवनस्तर जो आज इतना नीचा गिर गया है वह ऊपर उठे। हम इसलिये अपने निर्माण कार्य आगे बढ़ा रहे हैं जिससे हमारी भावी संतति को सुख मिले और वह शान्ति के साथ रहे। जहां हम एक तरफ अपनी भावी संतति के सुख तथा शांति की बात करते हैं वहां दूसरी तरफ जहां जीवन का प्रश्न है, जहां धन का प्रश्न है, उसकी रक्षा होनी चाहिये थी, वहां वह आज खतरे में पड़ गया है।

यदि मैं कुछ घटनाओं की तरफ सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूं तो यह अप्रासंगिक न होगा। यदि हम बिजनौर जिले को लें तो मैं आपको यहां पर बतला देना चाहता हूं कि ४-५ महीने से मैं कहता रहा हूं और ध्यान आकर्षित करता रहा हूं। यदि मुरादाबाद की बात लें तो वहां पर कांग्रेसियों के कत्ल किये गये। यदि बिजनौर की बात लें तो वहां पर भी कत्ल किये गये और अब तक पता नहीं चला किसने कत्ल किये। अगर हम इटावा की तरफ जायं तो वहां भी कत्ल मिलेंगे, रायबरेली में भी आपको कत्ल मिलेंगे। बिजनौर के अन्दर मैं आपको क्या बतलाऊं कि वहां की घटनायें तो इतनी हैरत-

अंगेज हैं कि यदि मैं उनको सम्मानित सदन में माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत करूं तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि प्रत्येक माननीय सदस्य का खून खौलने लगेगा, यदि आप शांति के साथ सुनने की कृपा करेंगे जिनके घटनाओं के सम्बन्ध में मैं चार पांच महीने से ध्यान दिलाता रहा हूं, प्रांत के प्रत्येक व्यक्ति के साथ और जनता के साथ न्याय होगा। यदि आपने इधर ध्यान नहीं दिया तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि चाहे आप लाख प्रयत्न करें और कितने ही निर्माण तथा अन्य कार्य करें, कितनी ही अच्छी से अच्छी शिक्षा का प्रबन्ध करें, व्यक्तिगत सम्पत्ति को भले दूना कर दें लेकिन यदि आप प्रान्त के रहने वाले व्यक्तियों के, यहां के नागरिकों के जीवन सुरक्षित न रह सके, आपकी मातायें और बहिनों की इज्जत यदि सुरक्षित न रह सकी तो शासन चाहे लाखों प्रयत्न करे, फिर भी कांग्रेस का नाम मिट जायगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं इन घटनाओं के सम्बन्ध में विस्तार के साथ तो नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इनकी ओर आपका तथा माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित अवश्य करना चाहता हूं कि गांव जलालदीपुर, जिला बिजनौर में पुलिस ने हमारी माताओं और बहिनों के साथ बलात्कार किया था। यदि हमारे प्रांत में इस प्रकार की दुखद घटनायें हो सकती हैं तो इससे बुरी बात हमारे लिये क्या हो सकती है। आज हमारी आंखें शर्म के मारे झुक जाती हैं और हम अपना सिर ऊपर नहीं उठा सकते हैं।

जहां तक कांग्रेस और प्रशासन यंत्र की बात है, मैं प्रशासन यंत्र को कांग्रेस में शामिल नहीं करता हूं, क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व और उसकी नीति प्रशासन यंत्र से सर्वथा पृथक् है। कांग्रेस से प्रशासन यंत्र बिल्कुल एक अलग चीज है। आज प्रशासन यंत्र की जिम्मेदारी को कांग्रेस के ऊपर लादा नहीं जा सकता है क्योंकि वह दोनों पृथक् पृथक् चीजें हैं। परन्तु हां, यह बात बिल्कुल सही है कि जहां तक देश के शासन का सम्बन्ध है तो शासन के अच्छे या बुरे कृत्यों के लिये तो कांग्रेस जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी ठहरायी जा सकती है। इसलिये उसको शासन की अच्छाई और बुराई को देखकर जिम्मेदार व्यक्तियों के गलत काम करने पर दंडित भी करना चाहिये। आज डकैतियां हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं और बहुत अत्याचार हो रहे हैं तो जहां तक जिले के शासन का सम्बन्ध है तो उसके लिये कांग्रेस और शासन के बीच में काफी फासला रखना पड़ेगा और एक सीमा अवश्य रखनी पड़ेगी कि कहां तक कांग्रेस सरकार अपनी नीति के प्रति जिम्मेदार रहे और कहां तक प्रशासन यंत्र अपने कृत्यों के लिये जिम्मेदार है।

जहां तक उन व्यक्तियों का सम्बन्ध है जो इस प्रकार की अमानुषिक घटनायें करते रहते हैं, यानी पुलिस वाले जाते तो हैं मुलजिम को पकड़ने, लेकिन गांव में जाकर हमारी माताओं और बहिनों के साथ बलात्कार जैसे निन्दनीय कृत्य करते हैं। आज मुझे ५ महीने से ज्यादा हो गये ध्यान दिलाते हुए लेकिन अभी तक हम कोई सजा उनके लिये तजवीज नहीं कर सके हैं, उनका कोई इंतजाम नहीं कर सके हैं, उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का ऐक्शन नहीं ले सके हैं और इधर हम अपना ध्यान तक नहीं दे सके हैं इससे ज्यादा शर्म की चीज और हमारे लिये क्या हो सकती है।

मैं आज माननीय सदस्यों का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं कि आज पुलिस का जहां तक सम्बन्ध है किसी एक जिले में ही नहीं बल्कि सब जगह आपको गंदगी और कुव्यवस्था ही मिलेगी। ऐसी अवस्था में हमें क्या करना है। प्रश्न यह है कि यह पुलिस जो हमें विरासत में मिली है, यदि ठीक तरह से काम नहीं करती है तो इसके मानी यही है कि हम इसको संभाल नहीं पाये हैं या फिर हमारे अधिकारी इतने गिर गये हैं कि हम उनको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये हमें कोई न कोई मार्ग तो निकालना ही चाहिये।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके पहले कि माननीय हाफिज जी को बधाई दूं, विरोधी दल को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी कृपा से साल भर में कम से कम दो मर्तबा आई० एन० टी० यू० सी० इस सदन के अन्दर आ जाती है और मुझे आपकी कृपा से उसके विषय में कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है।

[श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी]

माननीय विरोधी दल के नेता ने श्रम अनुदान पर कुछ बातें कहीं। उन्होंने अपने भाषण में नीचे के हिस्से को तो पढ़ा, मैं चाहता हूं कि वह जरा ऊपर से इस अनुदान को पढ़ें। इसमें लिखा है कि इस प्रयोजन के लिये भारत सरकार द्वारा बनायी गयी योजना में यह निर्धारित किया गया है कि अनुदान देते समय अन्य व्यक्तियों की तुलना में उन मजदूर संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाय जो भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत होने का एक तिहाई भाग स्वेच्छा से दिये गये चन्दों से जमा कर सकें। उसमें यह भी शर्त रखी है कि राज्य सरकार केवल उन मजदूर संघों आदि से इस सम्बन्ध में आवेदन-पत्र मांगे जो भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में न आते हों। ऐसी अवस्था में इस धन को भारत सरकार ने जिन शर्तों के साथ प्रान्तीय सरकार को दिया उनमें से एक शर्त यह है कि जो संस्थायें जो रुपया पा रही हैं उसका एक तिहाई भाग दें। उसके नीचे पढ़ें तो यह देखेंगे कि कानपुर की मिल मजदूर यूनियन ने १२ हजार रुपए में ४,००० रुपया देने का वादा किया और २,४०० रुपया महीना खर्च करेगी। उसके नीचे दूसरी यूनियन है, जिसको २,००० रु० दिया गया है, एक हजार रुपया वह खर्च करेगी। तीसरी यूनियन है जिसको ४,००० देने को कहा है वह १,५०० रुपया देगी। इस तरह से १८,००० रुपया प्राप्त होने के लिये तीन यूनियन ६,५०० रुपया देंगी और २,४०० रुपया साल वह खर्च करेंगी, अलग से। अब प्रश्न यह है कि आया इस धन को अब क्या किया जाय कि जबकि कानपुर मिल मजदूर यूनियन एक दूसरे संगठन में मर्ज हो गयी। मैं आपका ध्यान ट्रेड यूनियन ऐक्ट की धारा २४ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें यह लिखा है कि कोई भी दो या दो से ज्यादा रजिस्ट्री किये हुए मजदूर संघ मिल कर एक मजदूर संघ बन सकते हैं, लेकिन ऐसे हर मजदूर संघ को कम से कम आधे मेम्बर के वोट, जो वोट देने का अधिकारी हो, दर्ज हो और दर्ज किये गये वोटों का ६० प्रतिशत उसके पक्ष में हो। मैं पूछना चाहता हूं अपने दोस्त से कि किस यूनियन ने इस नियम का पालन किया है? मैं इस हाउस के अन्दर माननीय राजनारायण जी को इस बात के लिये आह्वान करूंगा कि वह किसी यूनियन के सम्बन्ध में यह बतायें कि जिसने इस नियम का पालन किया है? इस नियम का पालन किसी ने नहीं किया और अपने आप एक दूसरे में मर्ज हो चुके हैं। जब मर्ज हो चुके हैं तो यह सवाल ही नहीं उठता कि उस यूनियन को दिया जाय या नहीं। यह तो हुई कानूनी बात। दूसरी चीज यह है कि आपने यह कहा कि वह यूनियन तो मर्ज हो चुकी है और उसे यह धन मिलना चाहिये, लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि मर्ज होने से पहले उस यूनियन में मतभेद हुए और वह दो हिस्सों में बंट गयी। एक हिस्सा उसका है जिसका नाम है "राष्ट्रीय सूती मिल मजदूर यूनियन"। दूसरा रह गया "कानपुर मिल मजदूर यूनियन"। कानपुर मिल मजदूर यूनियन मर्ज होती है हालांकि नियम के अनुसार नहीं, उस संस्था में जो कि संयुक्त मोर्चे के नाम से बनी। ऐसी दशा में प्रश्न यह है कि वह यूनियन जो कि वास्तव में अफिलिएटेड है एक बड़ी संस्था से, वह अपना काम कर रही है। एक बात आपने और कही, वह यह कही और मुझे खुशी है कि उस शब्द को कह कर आपने मुझे यह मौका दिया कि मैं सदन में उस सम्बन्ध में अपने विचार और आई०एन० टी० यू० सी० के विचार रख सकूं। उन्होंने यह कहा कि उसके नेता और कुछ आदमी इस लिये अलग हो गये हैं, चूंकि वह रेशनलाइजेशन के विरुद्ध हैं। मैं माननीय राजनारायण जी और आपके द्वारा इस सदन का ध्यान अब से कुछ पहले ले जाना चाहता हूं। सन् १९३८ में एक रिपोर्ट निकली है, जिसका नाम है "कानपुर लेबर इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट"। उसके अध्यक्ष थे, आज के हमारे राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद जी। उस रिपोर्ट के पेज ६५१ के पैराग्राफ ११२ को आप पढ़ें। उस समय कानपुर में कानपुर मजदूर सभा एक ही सभा थी और उसके नेता थे, एस० एस० यूसुफ और अर्जुन अरोड़ा और राजाराम शास्त्री। इन तीनों महानुभावों ने अपने दस्तखतों से जो मेमोरेंडम दिया उसमें वह प्रकाशित हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम रेशनलाइजेशन को सिद्धांततः स्वीकार करते हैं और देश में इस समय आवश्यकता है कि रेशनलाइजेशन किया जाय। उस बात को स्वीकार करने के बाद, जिसे सन् १९३८ में स्वीकार कर चुके हैं, फिर जुलाई सन् ५२

में एक कांफ्रेंस होती है। उसमें हमारे मित्र और आज के साथी सर्वश्री राजाराम शास्त्री, गंगासहाय चौबे और दूसरे लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि रेशनलाइजेशन की आवश्यकता है और उसके लिये एक कमेटी बनायी जाय। लेकिन दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, जो भी कहा जाय, जिस यूनियन में श्री राजाराम जी शास्त्री थे उसने उनको अपना प्रतिनिधि नहीं माना और दूसरे को अपना प्रतिनिधि चुन कर भेजा। तो वह चीज भी रह गयी। सन् १९५४ में एक फिर कांफ्रेंस होती है। उसमें आपके प्रतिनिधि श्री राजाराम शास्त्री ने चीन या रूस जाते हुए स्पष्ट शब्दों में श्री विमल मेहरोत्रा से कहा है कि बाबू जी यानी माननीय सम्पूर्णानन्द जी जो कुछ कहें उसको मानना, क्योंकि उनको इस विषय में काफी अनुभव है। यह बात श्री विमल मेहरोत्रा ने कांफ्रेंस में कही और स्वीकार किया कि रेशनालइजेशन की आवश्यकता है और उसके लिए हम सब लोगों को मिल कर काम करना चाहिये। ऐसी दशा में प्रश्न यह उठता है कि बात क्या है। बात सिर्फ एक है और वह यह कि उस विषय में अगर मैं यह कहूं कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने थोड़ी सी सावधानी बरती, तो अनुपयुक्त न होगा। अगर वह सिर्फ श्री अर्जुन अरोड़ा को रख लेते, श्री विमल मेहरोत्रा को रख लेते, श्री गंगा सहाय चौबे को रख लेते,तो सरकार ने जो कमेटी बनायी थी, वह अच्छी हो जाती। लेकिन रखा उन्होंने सूर्यप्रसाद अवस्थी को, राजाराम शास्त्री को। नतीजा यह हुआ कि एक जलन आयी जो कि पहले से चली आ रही थी उसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया और यह परिस्थिति पैदा हुयी। आई० एन० टी० यू० सी० रेशनलाइजेशन को स्वीकार करती है तो उसके पीछे कुछ चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि कोई भी मजदूर बेकार न हो। दूसरे यह कि किसी मजदूर पर वर्क लोड न बढ़े। तीसरी चीज यह है कि उस मजदूर का वेतन उस हिसाब से बढ़े, जिस हिसाब से उसको काम करना पड़े। चौथे यह कि उसके स्वास्थ्य पर कोई ऐसा असर न पड़े जिससे उसके स्वास्थ्य की हानि हो।

श्री राजनारायण—एक प्वाइंट मैं एक्सप्लेन कर दूं। माननीय अवस्थी जी ने जो श्री विमल मेहरोत्रा के बारे में बात कही, तो विमल जी कहते हैं कि वह गलत है।

श्री अध्यक्ष—यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं कहा जा सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, वर्तमान सरकार ने यह परम्परा सी बना ली है कि एक साल में वह मुख्य बजट के अलावा दो अनुपूरक बजट भी सदन में प्रस्तुत करती है। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ जबकि अनेक माननीय सदस्यों ने इस पूरक बजट को दूरदर्शिता का बजट और कल्याणकारी बजट बताया। अगर मैं आपकी आज्ञा से उनका ध्यान इस सरकार का जो बजट मैनुअल है उसकी ओर दिलाऊं, तो वह देखेंगे कि पूरक बजट कोई शोभा की बात नहीं है बल्कि "Supplementary estimates are objectionable in principle, and free resort to them on the one hand increases bad estimating or imprudent administration, and on the other hand impairs the proper management of provincial finances." उनके बजट मैनुअल से ही यह बात स्पष्ट है कि सप्लीमेंटरी बजट पेश करना अदूरदर्शिता का परिचायक है। श्रीमन्, मेरा तो यह विश्वास है कि अगर सरकार इम्पीरियल क्लोनियल फाइनेन्शियल एकोनामी की पद्धति के अनुसार पहली अप्रैल, फूल्स डे के दिन से बजट शुरू करने के बजाय दीवाली के दिन से शुरू करती तो कम से कम एक पूरक बजट को वर्षाकाल के बाद लाने की आवश्यकता न होती। माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने दो साल पहले इसका आश्वासन भी दिया था, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आज तक वह कार्यान्वित क्यों नहीं हुआ? एक तरफ तो सरकार दावा करती है कि हमारा राष्ट्र विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है लेकिन आज का फाइनेंशल हैंडबुक या बजट मैनुअल हमारे विकास के मार्ग में एक बड़ी बाधा बन गया है। क्या यह सही नहीं है कि आज के बजट मैनुअल और आज की वित्तीय नीति, ईस्ट इंडिया कम्पनी की कालोनियल फाइनेंशल पालिसी की नीति पर आधारित नहीं है? सन् ४६ से आज इस सरकार को आठ साल होने जा रहे हैं और विधान को भी लागू हुये कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बजट का मैनुअल भी नहीं बदला जा सका है। खाली बजट में कुछ आंकड़े रख देने से

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

कोई काम नहीं बनता है। फाइनेंशल कंट्रोल भी उतना ही सख्त होना चाहिये और इस मामले में तो इस सरकार ने अपने को बिलकुल असफल सिद्ध कर दिया है। पूरक बजट का संबंध कंटीजेंसी फंड से है। माननीय मंत्री जी बजट मैनुअल में एक भी शब्द दिखला दें कि कंटिंजेंसी फंड का विदड्राल किस तरह से होता है।

कंसालिडेटेड फंड और कंटिंजेंसी फंड में क्या फर्क है, यह उनको शायद मालूम ही नहीं है। इस पूरक बजट में सौ मदें हैं, जिनमें ७६ ऐसी हैं जिन में कंटिंजेंसी फंड से विदड्राल किया गया है और २४ मदें ऐसी हैं, जिनमें पूरक अनुदान मांगा गया है। तो इन ७६ मदों में से अधिक में कंटिंजेंसी फंड का दुरुपयोग किया गया है। कंटिंजेंसी फंड अनफोरसीन एक्सपेंडीचर के लिये इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां अनफोरसीन और फोरसीन में कोई फर्क ही नहीं है। जब कुछ किसी को देना होता है तो यह कल्पना कर ली जाती है कि वह अनअवायडेबिल है और एक एस्टीमेट बना कर सामने रख दिया जाता है। मैं तीन चार उदाहरण भी पेश करना चाहूंगा। इसके पहले म माननीय परिपूर्णानन्द जी और दूसरे मित्रों का ध्यान पुरानी ऐप्रोप्रिएशन रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहूंगा। अगर आप देखें तो उसमें एक लिस्ट दी हुई है कि ४६–४७ में ९ मदों पर और ४७–४८ में पांच मदों पर और ४८–४९ में पांच मदों पर और ५०–५१ में ११ मदों पर पूरक अनुदान आवश्यक सिद्ध हुये, दिया हुआ है। अमाउन्ट आफ सेविंग देखिये तो वह कभी-कभी सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स से भी ज्यादा है। कुछ मिसालें मैं आपके सामने दूं, जैसे एक गांव सभा पंचायत के सिलसिले में १२ लाख २५ हजार ३ सौ की सप्लीमेंटरी डिमांड और सेविंग ८ लाख ५ हजार ५९५ दिखाई गयी और रूरल अपलिफ्ट स्कीम में ३ लाख आड की डिमांड और सेविंग ९ लाख ५५ हजार के करीब हुई और मिसलेनियस एडवांससेज में १ लाख ७९ हजार की डिमांड और सेविंग ५० लाख ९१ हजार हो गयी। कोई कंट्रोल नहीं मालूम होता। इस प्रकार यह सरकार अपने वित्तीय कंट्रोल को चलाती है। इस संबंध में मैं आपका ध्यान भारत के भूतपूर्व आडिटर जनरल श्री नरहरी राव जी के भाषण की तरफ दिलाना चाहता हूं। "जो उन्होंने इस वर्ष पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने दिया "ईस्ट इंडिया कम्पनी ने जो प्रणाली चलायी थी उसी को हम जारी रखे हुये हैं। जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है उनके अनुसार यह बिलकुल बेकार है क्योंकि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसी की जिम्मेदारी होनी चाहिये, यदि आपके इंजीनियर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तो वह कभी मितव्ययी नहीं होगा। इस देश में इस तरह की विचारधारा को बदलने और कार्यकारी अधिकारियों पर वित्तीय जिम्मेदारी डालने में यथेष्ट समय लगता है।"

सहारनपुर का एक उदाहरण है कि वहां एक स्कूल के लिये साठ हजार रुपये कंटिंजेंसी फंड से विदड्रा कर लिये गये लेकिन आज तक वह खर्च नहीं हुये। रुपये विदड्रा तब करने चाहिये जब कि खर्च हो रहा हो, लेकिन योजना कोई ही नहीं और विदड्राल कर लिया जाय, यह क्या बात है। फिर आगे आप देखें ऐग्रीकल्चरल होल्डिंग के सरवे के लिये एक लाख इक्कीस हजार रुपया मांगा था जिसमें से ८१ हजार रुपया तो मूल बजट में रखा गया। ४० हजार की केवल जरूरत है लेकिन मांग रहे हैं १ लाख २१ हजार। फिर आगे आप देखिये कि जूनियर हाई स्कूल की रचना के लिये रुपया मांगा गया। उसमें ५३–५४ में साढ़े तीन लाख रुपया विदड्रा कर लिया गया और खर्च केवल १ लाख ७४ हजार हुआ। लेकिन बजाय इसके कि एक लाख ७४ हजार का अनुदान मांगा जाता फिर वही साढ़े तीन लाख का मांगा जा रहा है। आयुर्वेदिक कालेज के लिये ५० हजार रुपया मूल बजट में स्वीकृत हुआ था। अब फिर उसके लिये १ लाख रुपया कांटिंजेंसी फंड से विदड्राल के लिये इस सप्लीमेंटरी बजट में आया। मूल बजट के समय सरकार को पता था कि आयुर्वेदिक कालेज खोलना है उसमें १ लाख ५० हजार रुपये की मांग एक दम से मांगी जा सकती थी।

इसी तरह से प्रिंटिंग एन्ड स्टेशनरी वर्क्स, इलाहाबाद के लिये ४ लाख रुपये ५३–५४ के बजट में और १४ लाख ५४–५५ के बजट में मांगे गये और इस सप्लीमेंटरी बजट में ९ हजार

रुपये की मांग और की जा रही है। बड़ी आसानी के साथ जब मूल बजट में १४ लाख रुपया प्रिंटिंग एन्ड स्टेशनरी के लिये मांगा गया था तो ९ हजार भी मांगा जा सकता था, लेकिन जैसा मैंने बतलाया अपनी गल्ती को ढकने के लिये और अनियमितताओं को छिपाने के लिये मनमाने ढंग पर कांटिंजेंसी फंड का उपयोग किया जाता है। जिन बड़ी बड़ी योजनाओं की बात होती है उनके खर्च के नियंत्रण में सरकार बिल्कुल असफल रही है। अन्त में, मार्च के महीने में, हर एक विभागीय अध्यक्ष जो रुपया बचाता है उसे एकदम खर्च करने लगता है, प्रत्येक माननीय सदस्य ने कहा है कि इसे रोकिये, लेकिन सरकार उस प्रणाली को बदलने के लिये तैयार नहीं है। बजट मैनुअल को बदलने के लिये तैयार नहीं है। जब तक ऐसा होता रहेगा, तब तक सरकार के आर्थिक उद्देश्य मिथ्या साबित होंगे।

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)––मान्यवर, प्रातःकाल से जो पूरक बजट पर विवाद हो रहा है उसमें भाग लेने का मेरा कोई विचार नहीं था। आज जो विवाद हो रहा है वह पूरक बजट संबंधी विषयों पर तो कम हुआ, प्रत्युत उसका अधिकांश भाग सरकार की नीति की आलोचना में ही व्यतीत हुआ है। दुनियां भर की जितनी चीजें हो सकती थीं सभी पर विवाद हुआ। ऐसी अवस्था में मुझे कुछ विशेष बोलने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि स्वयं वित्त मंत्री जी ही उन सब बातों का उत्तर दे सकते थे।

आज प्रातःकाल हमारे विरोधी दल के मान्य नेता ने अपने भाषण में मथुरा की एक घटना का कुछ उल्लेख किया और उसमें उल्लेख किया गया मेरा एवं इस माननीय सदन के एक सदस्य का। एक प्रकार से उनके ऊपर गम्भीर अभियोग लगाये गये। दुर्भाग्यवश उक्त माननीय सदस्य इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं। इसलिये मैं आपकी आज्ञा से इस संबंध में थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर देना उचित समझता हूं और नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि वे अभियोग सारे के सारे निराधार और असत्य हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से दो रोज पहले मैं मथुरा गया हुआ था और उल्लिखित उत्सव में मैं मौजूद था। मैं उसके एक रोज बाद तक वहां रहा था।

कई वर्ष से मथुरा में एक कृष्ण मेला होता चला आ रहा था। तदनुसार इस वर्ष भी उसका आयोजन किया गया था। इस उत्सव में हमारे देश के अनेकों गणमान्य व्यक्ति प्रतिवर्ष उपस्थित होते रहे हैं और इस उत्सव की समस्त कार्यवाही आदि आल इंडिया रेडियो द्वारा उसी क्षण प्रसारित की जाती है। इस उत्सव का उद्घाटन करने के लिये मुझे आमंत्रित किया गया था। यह उत्सव जिस स्थान पर होता है उसे कृष्ण जन्म भूमि कहते हैं। कृष्ण जन्म उत्सव कमेटी के अध्यक्ष कदाचित श्री लक्ष्मीरमण आचार्य थे, उन्होंने इस मेले का उद्घाटन करने के लिये मुझसे आग्रह करते हुये ५, ६ मिनट का भाषण दिया था। वह भाषण उस समय सारे देश में रेडियो द्वारा प्रसारित किया गया था, वह ऐसा भाषण नहीं था कि जो वहीं के लिये दिया गया हो, प्रत्युत सारे प्रदेश में वह भाषण प्रसारित हुआ था। मैं वहां पर उपस्थित था और जनता भी वहां पर १५, २० हजार के लगभग थी क्योंकि मथुरा के अन्दर यह कृष्णजन्म का उत्सव था। मैं नहीं जानता कि किस प्रमाण के ऊपर उन पर अभियोग लगाया गया, क्योंकि अपने भाषण में उन्होंने जिन भावों को व्यक्त किया था, अभियोग सर्वथा उनके विपरीत थे। यहां पर सैनिक अखबार का उल्लेख किया गया है। मैं आपसे निवेदन करूं कि अथारिटी वह कोट करनी चाहिये जो प्रमाण के योग्य हों। जिन भावों को आचार्य जी ने व्यक्त किया था उनका सारांश यह था कि अपने देश में आज हम जिस महा-मानव की जयन्ती मनाने के लिये एकत्रित हुये हैं उसका यह उपदेश रहा है कि जो जिस भाव से उसका जाप करता है वह उसी भाव से उसको प्राप्त करता है। जहां यह उत्सव हो रहा था, इसी के सामने एक मस्जिद है, जिसकी ओर संकेत करके आचार्य जी ने कहा कि यह भी भगवान को प्राप्त करने का एक मार्ग है। उन्होंने गीता का यह श्लोक भी पढ़ा था :––

ये यथा मां प्रपद्यन्ते, तांस्तथैव भजाम्यहम् ।
मम वर्त्मना नवर्तन्ते, मनुष्याः पार्थ सर्वशः ।।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

इस श्लोक का उद्धरण देते हुये उन्होंने यह कहा कि आप जानते हैं कि कृष्ण जन्म भूमि में एक मस्जिद बनी हुयी है और वहां पर कृष्ण जन्म उत्सव ४, ५ साल से होता है। उन्होंने उस मस्जिद के लिये कहा कि भगवान को प्राप्त करने का यह भी एक मार्ग है। यह बात थी जो उन्होंने अपने भाषण में कही थी और वह भाषण भी केवल ५ मिनट का था। उसके बाद कोई ५ मिनट के लिये मैं भी बोला जो कि सारे प्रदेश में उसी रेडियो से प्रसारित हुआ था। मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उसके दूसरे दिन भी मैं वहां पर था जिस दिन यह दुर्घटना घटी।

हमारा यह दुर्भाग्य है कि अखबारों म यह उल्लेख हुआ कि कुछ लोगों के मकान जल गये। उस दिन ५ बजे सायंकाल की वह घटना है, उस समय मैं मथुरा में मौजूद था। वहां एक सभा होने वाली थी उसके तुरन्त बाद ही हमको दुर्घटना का समाचार मिला। लिहाजा सभा को रोक दिया गया। फिर सभी लोग उस स्थान को देखने के लिये गये और आवश्यकता पड़ने पर वहां शांति स्थापित करने के लिये और लोगों की यथाशक्ति सहायता करने के लिये गये।

श्रीमन्, जिस दिन यह घटना घटी उसके पहले से मथुरा का वातावरण कुछ साम्प्रदायिकता की ओर झुका हुआ था और कुछ आतंकित सा था क्योंकि गोबध सत्याग्रह के नाम पर वह चीज फैलायी जा रही थी जब मैं वहां था तो हम लोगों ने शहर में और देहात में एक आध दर्जन सभायें कीं और कृष्ण-जन्म उत्सव के दिन सारी उत्तेजना समाप्त हो चली थी और उस उत्तेजना को समाप्त करने का श्रेय मथुरा की जनता को, न केवल हिन्दू जनता अपितु वहां की मुसलिम जनता, वहां के कांग्रेस वाले और वहां के जितने भी व्यक्ति हैं उन सब को उसका श्रेय है। वहां पर कोशिश यह की जा रही थी कि गो बध सत्याग्रह शुरू किया जाय। आप सब जानते हैं कि सत्याग्रह के नाम पर अनेक प्रकार की चेष्टा की जाती हैं? उसी प्रकार से वहां पर भी जनता की मनोवृत्ति में उत्तेजना पैदा करने की चेष्टा की गयी। आप जानते हैं मथुरा गोपाल भूमि है। वहां पर गो बध सत्याग्रह से साम्प्रदायिक भावना को उत्तेजित करके उससे लाभ उठाने की चेष्टा की जा रही थी। वातावरण विक्षुब्ध था परन्तु वहां की जनता बधाई के पात्र है, वहां के हिन्दू और मुसलमान, वहां के कांग्रेसी सब बधाई के पात्र है, प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने अकथनीय प्रयत्न करके स्थिति को काबू में किया। म्युनिसिपैलिटी ने प्रस्ताव पास किया कि कसाई खाने में भी कोई गोबध नहीं किया जायगा। उस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले बोर्ड के मुसलमान सदस्य भी थे। मुसलमानों और कसाइयों की ओर से यह प्रस्ताव पास किया गया कि मथुरा नगर के अन्दर कसाईखाने में भी कोई गाय नहीं मारी जायगी। इसका परिणाम यह हुआ कि सत्याग्रह करने वालों के लिये कोई स्थान न रह गया। कुछ चन्दा एकत्रित किया गया था ऐसा समझा जाता था कि कुछ न कुछ करो।

दूसरे दिन ५ बजे शाम को जलूस निकाला गया और यह मालूम हुआ कि ७ बजे सभा होगी। उस जलूस के निकलने के १० मिनट पहले ही वहां यह दुर्घटना हुई और उसी मसजिद की बगल में कुछ मकानों में अग्नि का प्रस्थापन किया गया। इस दुर्घटना के ऊपर जितना भी दुःख प्रकट किया जाय वह थोड़ा ही है। जो भी इस प्रांत का निवासी है, वह चाहे इधर का हो या उधर का हो, सबको ही उसका दुःख है और हमारे लिये यह एक लज्जा की बात है। जब लोकतंत्र की स्थापना हो गयी हो, तब किसी के द्वारा ऐसी बात हो जाय, तो वह शर्म की ही बात है। किन्तु इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह साम्प्रदायिक दंगा १–२ मिनट भी न चलने पाया। जो अग्नि लगायी गयी थी, कैसे लगायी गयी थी, इस पर पुलिस मंत्री जी कदाचित प्रकाश डालेंगे, परन्तु जो कुछ भी हुआ वह एकदम हुआ, सहसा हुआ, एक स्थान पर हुआ और वहीं वह शांत हो गया। पुलिस वालों के द्वारा तथा कांग्रेस के लोगों के द्वारा नगर में शांति स्थापित कर दी गयी। रात भर यह चेष्टा रही कि कहीं कोई खुराफात न करने पाये। नतीजा यह हुआ कि शहर में

कोई भी और चीज न होने पायी। उस समय तक मैं वहां मौजूद था। किसी स्थान पर यदि मुसलमानों को कोई डर लग रहा था तो कांग्रेस वाले और दूसरे नागरिक उनको सान्त्वना दे रहे थे। वे शांत हुये और जब मैं वहां से चला तो शहर में पूर्ण शांति थी।

सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से अखबारों में एक वक्तव्य निकाला गया कि लक्ष्मी रमण आचार्य जी ने ऐसी बातें कहीं, उसमें यह भी कहा गया कि पंडित कमलापति त्रिपाठी ने उस मसजिद में जाकर मूर्ति की स्थापना की। ऐसे अखबारों की बातों पर इस माननीय सदन के एक माननीय सदस्य जो एक माननीय दल के सर्वमान्य नेता हों वह इस प्रकार की बातें करें तो थोड़े से अन्याय की बात हो जाती है। मैं यह भी निवेदन करना उचित समझता हूं कि वहां मुसलमानों की ओर से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के वक्तव्य के विरुद्ध एक नोटिस निकाला गया जिसका आशय इस प्रकार था कि इस प्रकार हमारे जो लोग रक्षक रहे हैं, जिनका हमारे ऊपर संरक्षण रहा, उनके विरुद्ध अखबारों में इस प्रकार का झूठा वक्तव्य देकर जो उनके प्रति दुर्भावना बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उसका हम विरोध करते हैं। मथुरा के नागरिकों की ओर से नोटिसें निकली हैं। जमैतुलउलमा के एक कार्यकर्त्ता या मंत्री जो मथुरा गये थे, उनकी ओर से भी नोटिस निकली हैं कि इन लोगों का जिनका नाम लिया जाता है और जिन सदस्य का मैंने नाम लिया था कदाचित् माननीय नेता विरोधी दल ने भी उनका नाम लिया था जिनके विरुद्ध इस प्रकार की बातें की जा रही है उन लोगों ने बराबर शान्ति बनाये रखी जबकि अशांति और अव्यवस्था फैलाने की चेष्टा की जा रही थी। उनकी प्रशंसा की गयी है। फिर प्रश्न यह होता है कि ऐसे कार्यकर्ताओं के विरुद्ध इस प्रकार विरोध की दुर्भावना उत्पन्न करने की चेष्टा करना अनुचित और नामुनासिब है। सैकड़ों और हजारों की तादाद में यह नोटिसें बांटी गयी हैं।

मान्यवर, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैंने केवल १० मिनट समय मांगा था। अब केवल दो ही चार मिनट का समय और चाहूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस सदन में विवाद होते समय मैंने एक नयी भावना का उद्रेक होते हुये देखा जो बहुत ही खतरनाक है। और वह भावना यह है कि साम्प्रदायिकता का उल्लेख इस प्रकार से किया गया है जिस प्रकार मुझे स्मरण है, उस जमाने में मुस्लिम लीग जो हमारे विरोधी दल में बैठा करती थी, उल्लेख करती थी। मुस्लिम लीग की नीति यह थी कि गांधी जी से लेकर छोटा से छोटा जो भी कांग्रेस का कार्यकर्त्ता हो उन सब को मुस्लिम विरोधी और हिन्दू दल के नेता का मुखिया मान लिया जाय। श्री जिन्ना, जो अपने को मुस्लिम प्रवक्ता समझते थे, वे गांधी जी को, वे सारे कांग्रेस को साम्प्रदायिक और हिन्दू राष्ट्र के प्रतीक होने का आक्षेप लगाया करते थे। जो उधर बैठने वाले लोग हैं उनमें से भी बहुत से हमारे साथी हमारे साथ थे क्योंकि वे कांग्रेस में थे, तो यह आक्षेप केवल इधर बैठने वालों के लिये ही नहीं था बल्कि सब के लिये था। दूसरी तरफ हिन्दू साम्प्रदायिक संस्थायें गांधी जी तथा कांग्रेस को यह कहा करती थीं कि ये मुस्लिम परस्त है, इनकी पालिसी मुस्लिम एपीजमेंट की है, ये देश का सत्यानाश कर रहे हैं, इत्यादि इस प्रकार का एक अमानवीय ढंग हो गया था कि हमारे सामने और दुनिया के सामने एक कलंक लग गया और इसी में गांधी जी की हत्या भी कर दी गयी।

श्री रामनारायण त्रिपाटी जी ने जो यह कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू को छोड़कर जितने भी आदमी हैं वे सब सम्प्रदायिक हैं। जमायतउलमा के लोग कोई और अर्थ निकालते हैं। क्या यही देश सेवा की जा रही है? हिन्दू सम्प्रदायवादी कहें कि ये मुस्लिम भक्त हैं और मुस्लिम सम्प्रदायवादी भी जो मुस्लिम लीग की तरह से साम्प्रदायिक दृष्टि से प्रतिनिधि बने हुये हैं, वे कांग्रेस को साम्प्रदायवादी बना कर इस दृष्टि से लाभ उठावें, तो क्या यह उचित है कि उन्हीं की तरह से हमारे जो अन्तर्राष्ट्रीयता में विश्वास रखने वाले भाई, जो प्रत्यक्ष कहते हैं कि वे साम्प्रदायिक प्रभाव में नहीं हैं, केवल इसलिये इस बात को स्वीकार करें कि कांग्रेस दल पर कुछ आक्षेप किया जाय। अगर इस तरह की बात कही जाय तो यह देश के लिये, भविष्य के लिये और मानवता के लिये अनुचित है। मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय प्रदान किया।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मेरे संबंध में कुछ व्यक्तिगत बातें कही गयी हैं।

श्री अध्यक्ष---मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया था कि आप जिम्मेदारी लेते हैं? तो उस संबंध में उन्होंने जवाब दे दिया, अब कोई बात बाकी नहीं रही।

श्री राजनारायण---एक मिनट का मुझे मौका दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---अगर आप अपना आक्षेप वापस लेना चाहें तब मैं मौका दे दूंगा और अगर उसके ऊपर बहस होने वाली हो, तब नहीं।

श्री राजनारायण---तो क्या आप किसी मंत्री को इस बात के लिये मौका दे देंगे कि वह किसी के ऊपर चाहे आक्षेप करें?

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठ जायं, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राजनारायण---क्या आप एक मिनट के लिये भी इजाजत नहीं देंगे कि जो आक्षेप मेरे ऊपर किया गया है उसका जवाब दे सकूं?

श्री अध्यक्ष---आपके ऊपर कोई पर्सनल आक्षेप नहीं है।

श्री राजनारायण---मेरे ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप किया गया है।

श्री अध्यक्ष---कृपा करके आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---श्रीमन्, मेरे संबंध में एक गलत बात कही गयी है। मैं पर्सनल एक्प्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---हां, आपको मैं मौका दे दूंगा। लेकिन श्री राजनारायण जी के लिये कुछ नहीं कहा गया है।

श्री राजनारायण---हमारे लिये भी गलत बात कही गयी है। उन्होंने बिलकुल गलत भाषण किया है।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाब स्पीकर साहब, जो कुछ बहस आज इस सदन में १२ बजे से इस वक्त तक हुई उस पर मुझ को यह खुशी है कि इस बहस ने यह साबित किया कि इन सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स के वाल्यूम्स में जो प्रोपोजल्स रखे हुये हैं उनमें से कोई भी काबिल एतराज नहीं है और सब मानने के काबिल हैं सिवा एक के। जो बरेली डिस्ट्रिक्ट जेल पहले तोड़ दी गई थी और वह फिर कायम हो रही है और उसकी निस्बत जो नोट वाल्यूम में रखा हुआ है उसमें लिखा है कि तकरीबन ३८ हजार आबादी वहां की हो गई है, इसलिये एकोमोडेशन की वहां जरूरत है, इमारत वहां मौजूद है और उसको फिर से कायम कर दिया जाय। उस पर जरूर एक तरफ से एतराज हुआ और जितनी बातें बहस में कही गईं, वह बातें उन प्रोपोजल्स के मैरिट्स पर नहीं थीं बल्कि वह कुछ गलतफहमियों पर मबनी थीं। यह एतराज करना कि उस में फाइनेन्शियल इर्रेगुलेरिटीज थीं या कांटिन्जेंसी फंड से जो विदड्राल जिस तरह से होने चाहिये थे वैसे नहीं हुये हैं या हो रहे हैं, इसके मुताल्लिक कहा गया है। जहां तक इस साल के खर्च का सवाल है वह तो इस सदन की मुत्तफिक राय है इन तकरीरों के जरिये से कि वह रुपया इन कामों पर खर्च होना चाहिये। जहां तक कि इर्रेगुलेरिटी का ताल्लुक है, इतना वक्त नहीं है कि मैं उसका जवाब इस वक्त दूं। अभी मेरे दोस्त फर्मा रहे थे कि किस तरह के कन्टिन्जेंसी के विदड्राल के रूल्स बने हैं, यह वह वित्त मंत्री से पूछना चाहते थे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वह कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल २०५ को पढ़ें तो उसमें बतला दिया गया है कि किन जरूरतों के लिये कांन्टिजेंसी से विदड्राल होता है। उसके बाद कांन्टिजेन्सी से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विदड्राल के लिये किसी किस्म की हिदायत, इंस्ट्रक्शंस की या रूल्स की जरूरत है या नहीं। मेरे नजदीक तो नहीं है। कांस्टीट्यूशन में वह बात सेल्फसफीशेंट है और उसके आगे वक्त खराब करना या दिमाग खर्च करना फजूल काम है। इन विदड्राल्स में, जो हुये हैं उन में से हर एक के साथ नोट में यह बात लिखी हुई है कि किस जरूरत से और किस वजह से और किस हदतक रुपया कन्टिनजेंसी से विदड्रा हुआ। उसमें से एक की निस्बत मैंने यह सुना कि रुपया कन्टिजेंसी से विदड्रा हुआ लेकिन खर्च नहीं किया गया। मैं इस को चैलेंज करता हूं और एवान के सामने अर्ज करूंगा कि यह बिलकुल गलत बात है। जो विदड्राल किया गया है वह रुपया खर्च किया गया है। (सदस्यों के कुछ बोलने पर) बीच में किसी के बोलने की अब जरूरत नहीं है। तो वह रुपया खर्च हुआ है और कटाजेंसी से विदड्राल पिछले महीने में उससे पिछले महीने में और उससे भी पिछले महीने में हुआ है। तो रुपया जो विदड्रा होगा उसके लिये यह जरूरी नहीं है कि अगर एक लाख रुपया आज विदड्रा हुआ है तो वह कल को जरूर ही खर्च हो जाय। रुपया तो डिपार्टमेंट खर्च करते रहेंगे और वह रुपया उसी काम पर खर्च होगा जिस काम के लिये लिया गया है। वह एक दिन का काम नहीं है। तो यह कहना कि कोई रुपया खर्च नहीं हुआ यह ठीक नहीं है, वह खर्च हुआ जरूर होगा।

अब मैं फाइनेंशल रूल्स के मुताल्लिक एक बात और बता दूं और वह बात महज इसलिये कही गई कि कह दिया जाय उसको इस हाउस में हालांकि वह कहने वाले के इल्म के पूरी तौर पर है। इस गवर्नमेंट का यह काम नहीं है और यहां के फाइनेंस डिपार्टमेंट का यह काम नहीं है आडिटेड रिपोर्ट्स तैयार करना, ऐप्रोप्रियेशन एकाउंट्स बनाना, यह सब दूसरी जगह का काम है, वह करते हैं और वह कोशिश करते हैं कि जल्दी कर दें, उनकी अपनी दिक्कतें हैं। मैं उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि हम उनसे यह काम लेने के लिये जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं ताकि यहां के मेम्बरान की खिदमत में पेश करने के लिये वह आ जाय और हम उसको पेश कर दें। इससे ज्यादा इस मामले में गवर्नमेंट नहीं आ सकती, लिहाजा उसके खिलाफ कोई बात कही जाय तो इस दुनिया का मुसल्लिमा उसूल है और इस हाउस का और इस हाउस से मेरा मतलब इस वक्त दुनिया के तमाम लेजिस्लेचर्स है, उनका यह माना हुआ कन्वेन्शन है कि पसेपुश्त किसी के, किसी के खिलाफ कोई बात न कही जाय जिसको यहां मौका खड़े होकर जवाब देने का या तरदीद करने का नहीं है। लिहाजा यह तजकिरा सदन के उसूलों के खिलाफ है। जो इस गवर्नमेंट पर इल्जाम लगाये जा सकें वह लगाये जाने चाहियें।

एक दूसरा इल्जाम जो तकरीरों में लगाया गया वह यह कि यह गवर्नमेंट कम्युनल है, फेवरिटिज्म करती है, यह गवर्नमेंट नेपोटिज्म करती है, यह मैंने सुना, मैं समझा कि कोई ऐसी बातें होंगी इन वाल्यूम्स में, जिनमें से यह बातें निकलेंगी कि फलां मामले से नेपोटिज्म साबित होता है, फलां मामले से फेवरिटिज्म साबित होता है, और फलां मामले से कम्युनलिज्म साबित होता है। लेकिन सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कम्यूनलिज्म का सबूत तो सिर्फ एक है कि यू० पी० का एक मिनिस्टर किसी एक जगह एक जलसे में बैठा हुआ था और वहां किसी ने कोई कम्युनल बात कही थी, उसकी तफसील एक दूसरी तकरीर में हाउस के सामने आ चुका है और अब मैं उसकी तफसील में जाना जरूरी नहीं समझता, लेकिन किसी एक जगह तकरीर हुई और उस तकरीर में कहने वाले की राय में एक शख्स ने कम्युनल बातें कहीं, हालांकि जमीअतुल-उलेमा क्या यू० पी० का रहने वाला मुसलमान आज उस शख्स का ममनून है और तारीफ करता है और कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी निस्बत मैंने आज सुना कि उसने कम्युनल तकरीर की है और उस कम्युनल तकरीर में शिरकत यू० पी० के एक मिनिस्टर ने की थी। लिहाजा गवर्नमेंट के ऊपर कम्युनलिज्म का इल्जाम लगाते हैं। अब उसके बाद फेवरिटिज्म की बात है। फेवरिटिज्म के सबूत में मुझको यह मिला कि यहां के मुख्य मंत्री यहां की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की जो आर्गनाइजेशन

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

है यूथ कांफ्रेंस कायम किया था उसका इनागुरेशन करने के लिये गये थे । एक मिसाल यह है और दूसरी मिसाल फेवरटिज्म की यह कि फर्रुखाबाद में मुख्य मंत्री गये थे और वहां कोई मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में किसी एक आदमी ने जिसको कहा जाता है कि वह एस० डी० एम० का रीडर था, कोई शेर पढ़ा था कि जिसका नाम स्वागत गान मैंने तकरीर में सुना कि स्वागत गान किया गया था । खैर, जो बात है वह तो मैं अभी अर्ज करूंगा, लेकिन उससे पहले यह अर्ज करता हूं कि कम से कम मैं इसको समझने से कासिर हूं कि एक शख्स ने फर्ज कीजिये गलत तरीके से किसी की जबान से ही सही सरकारी मुलाजिम की जबान से ही सही अपनी तारीफ सुन ली तो उसका नतीजा यह निकाला जाय कि वह फेवरिटिज्म करता है । यह फेवरिटिज्म की मिसाल है कि जो मेरे सामने आई और जिनकी निस्बत मैं अर्ज कर रहा हूं । थोड़ा सा वक्त रहा है मेरे लिये और मुझे कहना एक बात और भी है । इसलिये मैं इस फेवरिटिज्म के किस्से को मजबूरन छोड़ करके जरा और आगे को चलना चाहता हूं इसलिये कि वह बात मुझको कहनी जरूर है । हां, एक जरा सी बात और है जो इस फेरिटिज्म के सिलसिले में नहीं कही गई, वह अलग कही गई थी । वह यह है कि जितने तरक्की के काम हैं, जितने एक्सटेंशन ब्लाक खुल रहे हैं, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स कायम हो रहे हैं और एजूकेशन की तरक्की के काम हो रहे हैं वह सब कांग्रेस मेम्बर्स की कांस्टीटचूयेन्सी के अन्दर हो रहे हैं । मैं हुजूरवाला, उन साहब को जो यह बात अपनी तकरीर में फरमा रहे थे उनकी निस्बत अर्ज करूंगा कि वह माजूर हैं और मैं समझता हूं कि जिस किसी को ऐसा ख्याल होगा, मैं उसको माजूर समझूंगा इसलिये कि जिस स्टेट के अन्दर ४३१ कांस्टीटचूयेन्सीज में से ४०, ३८ कांस्टीटचूयेन्सीज को छोड़ कर बाकी सारे में कांग्रेस के ही मेम्बर हों तो कहां काम होता हुआ नजर आयेगा दुनियां में, यह मैं पूछना चाहता हूं ? वह जो १०, ५ कांस्टीटचूयेन्सीज इधर-उधर फैली हुई हैं उन पर तो दुनिया की नजर जाने की नहीं । तो मेरे दोस्त अगर वह इसको देखने से कासिर रहे तो मैं उन पर एतराज नहीं करता, लेकिन हकीकत यह है कि जो कुछ मैं जानता हूं अपने इल्म से, मैं वह कांस्टीटचूयेन्सीज भी बता सकता हूं कि जो कांग्रेस मेम्बरों की नहीं है और जिनमें यह काम हो रहा है और बाकी तो सब कांग्रेस ही कांग्रेस छायी हुई है । अल्लाह ही ने छा रखी है, उसका क्या इलाज हमारे पास है और क्या उसका इलाज किसी के पास हो ।

अब मैं कुछ थोड़ा सा इस बहस का ट्रेन्ड बदलना चाहता हूं जनाब की इजाजत से और एक ऐसा सब्जेक्ट सामने लाना चाहता हूं कि जो कम से कम हमारे लिये खुशगवार नहीं हैं । मगर मैं उसके मुजाहिरे को इस एवान में डिमान्स्ट्रेशन देखता रहता हूं और कभी-कभी मेरा इरादा यह हुआ है कि मैं इस एवान में उसके मुताल्लिक कुछ कहूं । आपकी इजाजत से और अपने भाई इस सदन के मेम्बरों से माफी मांग कर कि जिन्होंने तकरीरें कीं और कुछ बातें अपने-अपने मुताल्लिक कही हैं उसको मैंने और मेरे और भाइयों ने, जो गवर्नमेंट के मेम्बर हैं सुना भी है और उसको ध्यान में रक्खेंगे, मैं एक बात और अर्ज किया चाहता हूं । मैं जिस वक्त वह बात कहता हूं तो मैं जनाब से और जनाब के जरिये से इस पूरे एवान को यह यकीन दिलाता हूं कि मैं किसी खास को नहीं कह रहा हूं, किसी अफराद को, किसी इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को मैं कुछ नहीं कह रहा हूं । मैं इस एवान के सामने एक बात और एक हकीकत रखना चाहता हूं और वह बात यह है कि एक लेजिस्लेचर में एक अपोजीशन का फंक्शन क्या है ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इसके लिये बजट के अलावा एक दिन रख दिया जाय कि अपोजीशन की ड्यूटी क्या है ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मेरी तहजीब मुझको इजाजत नहीं देती है कि मैं कुछ ऐसी वैसी बातें कहूं । जनाबवाला से इजाजत चाहता हूं कि यहां

इस किस्म की बातें हाउस में इसी अपोजीशन के फंक्शन्स के मुताल्लिक कुछ अर्ज करूं। एक और माफी मैं चाहता हूं और शायद मैं कुछ अज्यूमिंग बन रहा हूं इस मामले में कि मैं अपोजीशन के फंक्शन्स की बाबत कुछ कहूं। क्या मैं और क्या मेरी हैसियत, लेकिन इतना जरूर है कि सन् १९२६ से लेकर सन् १९३६ तक अपोजीशन में काम किया, गवर्नमेंट के। यहां के मुख्य मंत्री और मेरे भाई डा० सम्पूर्णानन्द भी और मैं, यह हमारी तकरीरें यहां के रिकार्ड्स में मौजूद हैं।

श्री राजनारायण––सन् १९२६ में आप किस पार्टी में थे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––यह सवाल पैदा नहीं होता। मैंने कहा कि मैं अपोजीशन में था, सन् १९२६ से रहा हूं सन् १९३७ तक। अब जो भी अपोजीशन था। हमारे मुख्य मंत्री लीडर थे और डा० सम्पूर्णानन्द मेरे भाई थे, अब जिस पार्टी में था उसे जानने वाले जान सकते हैं कि किस पार्टी में था। खैर, तो उन तकरीरों को पढ़ने से यह अन्दाज हो सकता है। मिस्टर चिन्तामणि जो दूसरी पार्टी के अपोजीशन लीडर थे और हमारे मुख्य मंत्री और हम थोड़े लोग जो थे, हमारी तकरीरें उस गवर्नमेंट के खिलाफ थीं जिस गवर्नमेंट के खिलाफ हिन्दुस्तान का कोई आदमी भी कुछ कह देना जायज समझता था। उसको देख लीजिये निकाल करके, उन तकरीरों को पढ़ लिया जाय और हुजूर, यह मैं अर्ज कर दूं कि जो नये मेम्बर्स होते हैं, कम से कम मेरी तो यह आदत रही है, जब सन् १९२६ में मेम्बर हुआ लेजिस्लेचर का, तो उससे पहले की जो तकरीरें थीं उनको ले करके जो यहां की लाइब्रेरी में मिलती थी मैं उनको निकाल कर पढ़ता था, उनसे गाइडनेंस लेने के लिये कि लेजिस्लेचर में क्या कहना चाहिये और किस तरह से किस काम को करना चाहिये और फंक्शन्स जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसकी और बातों को मैं छोड़ता हूं, क्योंकि मेन चीज यह है और वह है गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में समालोचना करना, इस गर्ज से कि उसकी यानी गवर्नमेंट की एफीशियेंसी बढ़े और अगर वह गलत हो तो उसकी गलती साबित हो जाय। अब मैं किसी से कहता नहीं, हां, इस ऐवान से शिकायत करता हूं कि, इसकी दरो दीवार से और इस फर्श से शिकायत करता हूं कि हुजूरवाला, सन् १९५२ से लेकर के और इस वक्त तक मैंने इस ऐवान में कभी यह नहीं सुना कि गवर्नमेंट की फलां स्कीम गलत है, कमजोर है उसमें इस किस्म के इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जब तक यह इम्प्रूवमेंट नहीं होगा उस वक्त तक यह स्कीम कामयाब नहीं होगी सरकार की और मैं चैलेंज करके अर्ज करता हूं कि लोग अपनी-अपनी तकरीरें निकाल करके देख लें और बतला दें कि उन्होंने किस स्कीम को किस नजर से देख करके स्पीच दी है। मगर यह अपोजीशन क्या है? दुनिया में मैं इसकी मिसाल नहीं पाता हूं। गालिब का अन्तकाल हुए काफी रोज हो गये। बड़े मशहूर शायर थे। वह एक शेर कह गये हैं। उन्होंने कुछ थोड़ी सी तारीफ की है। तो हुजूर की इजाजत से मैं उस शेर को सुना देना चाहता हूं। और एक और शायर हो गये हैं दाग साहब। उन्होंने भी कहा है। वह भी मैं सुना देना चाहता हूं। और यह मैंने अर्ज कर दिया है कि मेरा रुख किसी की तरफ नहीं है, बिल्कुल दीवारों की तरफ रुख करके मैं कह रहा हूं और इसीलिये मैं इससे हट हट कर बोल रहा हूं। तो वह जो दाग थे उन्होंने कहा––पहले मैं गालिब का सुना दूं। अक्सर जब मैं यहां बैठ कर तकरीरें सुनता हूं अपने भाइयों की तो मुझे ख्याल आता है कि गालिब ने क्या खूब कहा है कि "हर एक बात में कहते हो तुम कि तू क्या है....

एक सदस्य––जरा माइक पर बोलिये, सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष––मैं भी नहीं सुन पा रहा हूं, जरा आप माइक पर आ जाइए।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––"हर एक बात में कहते हो तुम कि तू क्या है?
तुम्हीं कहो कि यह अन्दाजे गुफ्तगू क्या है।।"

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

सन् ५२ से मैं जो तकरीरें यहां सुन रहा हूं वह करीब-करीब इसी तरह की हैं।

एक सदस्य--दाग वाला भी सुना दीजिए।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--दाग वाले में भी एक थोड़ा सा ताम्मुल हो रहा है पढ़ने में...

श्री अध्यक्ष--अगर कहीं किसी पर वह चस्पां होता हो तो न कहियेगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं यह अर्ज करूं कि चस्पां बात मैं कभी सुनाता ही नहीं। खैर, मैं उसको छोड़ देता हूं और उसका आखिरी जो टुकड़ा है, उसी को सुनाये देता हूं।

"जुबां बिगड़ी तो बिगड़ी थी
खबर लीजे कि दंहन बिगड़ा।"

बस और कुछ मैं अर्ज नहीं करना चाहता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कमलापति त्रिपाटी ने मेरे भाषण के बारे में यह कहा कि मैंने यह कहा कि जवाहरलाल को छोड़ कर कांग्रेस के और तमाम लोग सम्प्रदायवादी हैं। मुझे अफसोस है कि माननीय कमलापति जी को जो मेरा भाषण सुन रहे थे, गलतफहमी हो गयी। मैंने यह कहा कि कांग्रेस के बहुत से लोग और ऐसे कांग्रेस के लोग भी जो जमैयतउलउलेमा में हैं आज मुसलमानों से यह कह रहे हैं कि जवाहरलाल जी एक ऐसी हस्ती हैं जो तुम्हारी सुरक्षा कर सकती है। मैंने कहा कि यह टेंडेंसी बहुत गलत है, मुसलमानों को ऐसी तमाम पार्टियों में बंट जाना चाहिये जहां हिन्दू-मुसलमान एक होकर सैक्युलरिज्म के अनुसार काम कर सकते हों।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, एक मिनट आप मुझे दे दें।

श्री अध्यक्ष--मैं थोड़ा सा कह लूं। सिर्फ मैं इसलिये इजाजत नहीं देता, जैसा कि हाफिज जी का यह कहना है कि जो लोग सदन में जवाब न दे सकें उनका तजकिरा सदन में नहीं होता है और उनका जिक्र भी नहीं किया जाता है। इसी तरह से आपकी जिम्मेदारी इस बात की है कि जो माननीय सदस्य यहां पर मौजूद न हों तो उनके बारे में कोई आक्षेप की बात न कही जाय, वैयक्तिक आक्षेप तो कभी भी नहीं होना चाहिये, उसके लिये कोई दूसरा मौका लिया जाय, जब माननीय सदस्य मौजूद हों। लेकिन अगर कुछ कह दिया यानी आपके मुंह से यदि निकल गया था और क्योंकि वह मौजूद नहीं थे और माननीय कमलापति जी यहां थे और आपने कहा था कि श्री कमलापति सभा में मौजूद थे इसलिये मैंने आपको रोका नहीं था। मैं समझता था कि वह जवाब बाद में दे लेंगे, जैसा कि इस सदन का नियम है अब आपका कर्तव्य है कि आप इसको मान लें कि जो प्रतिवाद किया गया है वह सही है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करना चाहिये। माननीय कमलापति जी के प्रतिवाद हो जाने के बाद आपने लक्ष्मीरमण आचार्य जी के बारे में जो बातें सुनी चाहे वह गलत हो या सही हो लेकिन उसका प्रतिवाद व स्पष्टीकरण सदन में हो चुका है इसलिये उस स्पष्टीकरण को ही आपको सही स्वीकार करना चाहिये।

श्री राजनारायण--अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझ रहा हूं कि कमलापति जी नहीं बोल रहे हैं बल्कि आचार्य जी बोल रहे हैं। मैंने कोशिश की कि आचार्य जी हैं या नहीं। लेकिन कभी वह आते हैं कभी नहीं। जब वह खड़े हो जाते हैं तो मालूम होता है। लेकिन जब वह नहीं थे तो मैंने उनका नाम नहीं लिया था और गोल कर दिया था, लेकिन जब आपने पूछा तो मैंने कहा, जी हां, उनसे संबंधित है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। माननीय कमलापति जी ने कहा कि शायद राजनारायण जी की इन्फारमेशन का आधार सैनिक है या एक अभिनेत्री है, अभिनेत्री से शायद उनका आशय श्रीमती सुचेता कृपलानी जी से था।

मुझे इस सम्बन्ध में इतना ही कहना है कि सैनिक वग़ैरह के कटिंग वग़ैरह मंगाये गये थे। मैं १० तारीख को आगरे गया था और हमारे पास सैनिक, संघर्ष वग़ैरह अखबारों के कटिंग मौजूद थे। मथुरा का एक डेपुटेशन आया था और उसकी लिखी हुई चिट्ठी मौजूद है, जिसमें वही शब्द लिखे हुये थे जो मैंने कहे थे। तब मैं चाहता हूं कि कमलापति जी इस बात को अपने दिल से निकाल दें कि सैनिक या संघर्ष ही हमारी इन्फारमेशन का आधार है या सुचेता कृपलानी जी का आधार है। हमने डेपुटेशन से बातें की और हमने कहा कि आचार्य जी ने नहीं कहा होगा लेकिन उन्होंने कहा कि आचार्य जी ने ही कहा। जब कमलापति जी ने कहा.....

श्री कमलापति त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, यदि उनका इस तरह से भाषण होने लगा तो फिर मैं भी उत्तर दूं और वह भी उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, मैं इस बात को समझ रहा हूं।

श्री राजनारायण---मुझे इतना ही कहना है कि हमारी जानकारी का आधार जो ....।

श्री अध्यक्ष---प्रतिवाद के बारे में आपका क्या कहना है?

श्री राजनारायण---अगर वह स्वतः कहते हैं कि श्री आचार्य जी ने नहीं कहा तो इस समय मैं उनकी बात को मानूंगा, लेकिन मैं बतला दूं कि बाद में मैं उनके पास भेजूंगा और यदि श्रीमन्, आप चलने का मौका निकाल लें और आप चल सकें तो जानकारी प्राप्त कर लें।

श्री अध्यक्ष---मतलब यह है कि सदन के नियमों के अनुसार आप यह मानने के लिये तैयार नहीं हैं जो माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा। आप इंक्वायरी करायेंगे मान लीजिये आप पर कोई सदन में आक्षेप करे और उसने स्पष्टीकरण में कहा कि मैंने यह बात नहीं कही तो जैसा कि सदन का नियम है आपको उसकी बात सही मान लेना चाहिये।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, बात तो मैंने मान ली।

श्री अध्यक्ष---शर्त क्यों लगाई फिर आपने, आप अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे देते। जब माननीय कमलापति जी ने सफाई दे दी तो आपको स्वीकार करना चहिये।

श्री राजनारायण---स्वीकार तो हमने किया है।

श्री अध्यक्ष---लेकिन आप प्रतिवाद जांच के लिये भेजना चाहते हैं।

श्री राजनारायण---मैं यह निवेदन के रूप में कह रहा हूं कि क्यों गलतफहमी का मौका दूं। मंत्रियों का यह काम हो रहा है...

श्री अध्यक्ष---आप बैठिये, मैं इसको स्पष्ट कर दूं। श्री लक्ष्मीरमण आचार्य के बारे में उन्होंने एक बात कही, उसका प्रतिवाद श्री कमलापति त्रिपाठी ने कर दिया और जब कर दिया तो यह रिवाज के हिसाब से आपको मान लेना चाहिये जो उन्होंने कहा। अभी जैसे रामनारायण जी ने कहा कि हमने फलां बात को नहीं कहा तो उस पर किसी का प्रत्युत्तर नहीं हो सकता है।

श्री राजनारायण---मैंने मान लिया, लेकिन मैं इस सदन का सदस्य हूं। मैं कानपुर में मौजूद रहा और मैं कहता हूं कि मैंने नहीं लाठी से मारा और माननीय गृह मंत्री का बयान निकलता है कि मारा। तो उधर का भी तो ख्याल कीजिये। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और आपको पंच मानता हूं।

श्री अध्यक्ष---उसके ऊपर यह होता है कि अगर माननीय सम्पूर्णानन्द जी यहां यह कहें अपने भाषण में कि राजनारायण जी ने मारा और आप कहें कि मैंने नहीं मारा तो सम्पूर्णानन्द जी मान जाते हैं कि नहीं मारा। लेकिन अगर आप यह सवाल कर दें कल के रोज के वाकयात के बारे में कि फलां जगह की रिपोर्ट क्या है, क्या इंक्वायरी हुई है? तो वह तो यही कहेंगे जो उस रिपोर्ट में होगा, चाहे आपने मारा हो या न मारा हो।

आगामी कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष---एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कल तो अनुदानों के ऊपर वोटिंग होगी और परसों प्रश्नों के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर दिया हुआ है। लेकिन उस विधेयक पर विचार करने के पहले यह मैं सूचना दे देना चाहता हूं कि विधान परिषद् द्वारा जो चकबन्दी पर संशोधन आये हैं उन पर पहले फैसला यहां हो जायगा और उन पर विचार हो जायगा और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी का विधेयक लिया जायेगा।

श्री राजनारायण---मैंने श्रीमन्, कहा था कि प्रिविलेज कमेटी और एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट ले ली जाती।

श्री अध्यक्ष---उसके बारे में मैं नेता सदन से बातचीत करूंगा।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२१ सितम्बर, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२१ पर)

Copy of Executive Engineer, Lower Division, Eastern Yamuna Canal, Muzaffarnagar letter no. 8879/D-8, dated Kandhla, December 12, 1953 to District Planning Officer, Muzaffarnagar.

I am in receipt of your letter forwarding an application from cultivators of Phugana Village, regarding construction of a drain for draining of the village ponds.

The site of the village along with a number of cultivators was inspected by the undersigned on 9-12-1953 and it was found that the villagers have practically blocked all the natural lines of drainage by constructing their houses and *pucca ahatas*. This is the Chief cause of flooding, as 20 years back, when these houses did not exist and the drainage lines were not blocked there was hardly any drainage problem. Some years back a small drain was dug by the cultivators themselves to connect the depressions, but this did not function properly.

However, in order to solve the problem as best as possible under the existing circumstances, it seems necessary to connect all the tanks to one another and then dig a drain along the North-West and South of the village and allow the drainage to pass through along a village road into Krishani *Nadi*. Detailed survey is being taken in hand and the project shall be completed in about a month's time.

In the mean time a reference is invited to his no. 484/E(1)/CC of 4.9.53, in which he requested the President District Board, Muzaffarnagar, to transfer the amount of Rs. 850/- collected by the Co-operative Society of village Phugana, to this Division, towards the contribution of the villagers. This amount has not yet been transferred. Necessary action may please be taken to get these funds placed at my disposal.

(Sd.) K. C. GOYAL,
Executive Engineer.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३० पर।)

पांचवें मंगलवार के लिये निर्धारित श्री श्रीपति सहाय के तारांकित प्रश्न संख्या ३५ के सम्बन्ध में :—

नहर धसान के पिछले पांच वर्षों के सिंचाई के आंकड़ें—

सन् १९४९-५० . .	१६-११-४९	से	८-१-५०	तक खुली रही।
	२४-४-५०	से	१८-५-५०	" " "
सन् १९५०-५१ . .	२९-९-५०	से	११-१०-५०	" " "
	१५-१०-५०	से	२८-१०-५०	" " "
	२१-११-५०	से	२३-१२-५०	" " "
	१९-३-५१	से	२९-३-५१	" " "
	५-५-५१	से	३१-५-५१	" " "
सन् १९५१-५२ . .	१६-११-५१	से	३१-१२-५१	" " "
	२४-४-५२	से	२६-५-५२	" " "
सन् १९५२-५३ . .	१०-११-५२	से	२२-१२-५२	" " "
	१६-४-५३	से	२-५-५३	" " "
	१३-५-५३	से	२२-५-५३	" " "
सन् १९५३-५४ . .	१०-११-५३	से	२६-१२-५३	" " "
	२-५-५४	से	२०-५-५४	" " "

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३१ पर।)

विवरण-पत्र, जिसमें ३१ अगस्त, १९५४ ई० तक राष्ट्रीय योजना ऋण में दी गई धनराशियां दिखाई गई हैं :—

(हजार रुपये के सुगमांकों में)

जिले का नाम	राष्ट्रीय योजना ऋण में लाभार्थ लगाई गई धनराशि	राष्ट्रीय योजना सर्टिफिकेटों की बिक्री
१	२	३
	रु०	रु०
देहरादून . .	६,१६,०००	१,७९,०००
सहारनपुर . .	४,००,०००	१,२३,०००
मुजफ्फरनगर . .	५,११,०००	१,११,०००
मेरठ . .	७,९६,०००	१,९०,०००
बुलन्दशहर . .	३४,०००	कुछ नहीं
अलीगढ़ . .	३,३१,०००	४४,०००
मथुरा . .	४,१९,०००	६०,०००
आगरा . .	१७,४०,०००	१,९८,०००
मैनपुरी . .	८५,०००	११,०००
एटा . .	८९,०००	२३,०००
बरेली . .	६,०९,०००	६९,०००
बिजनौर . .	३६,१३,०००	२,८१,०००
बदायूं . .	५,४६,०००	४४,०००
मुरादाबाद . .	२,९०,०००	१,१८,०००
रामपुर . .	७१,०००	२१,०००
शाहजहांपुर . .	५,८३,०००	१९,०००
पीलीभीत . .	३,३६,०००	३५,०००
फर्रुखाबाद . .	४६,०००	३०,०००
इटावा . .	२,१२,०००	३५,०००
कानपुर . .	५७,१०,०००	१,९५,०००
फतेहपुर . .	१२,०००	९,०००
इलाहाबाद . .	४,०३,०००	१,२४,०००
झांसी . .	४२,०००	८५,०००
जालौन . .	२,०००	१७,०००
हमीरपुर . .	३७,०००	२६,०००
बांदा . .	२०,०००	२४,०००
बनारस . .	९,३६,०००	१,२३,०००

(हजार रुपये के सुगमांकों में)

जिले का नाम	राष्ट्रीय योजना ऋण में लाभार्थ लगाई गई धनराशि	राष्ट्रीय योजना सर्टिफिकेटों की बिक्री
१	२	३
	रु०	रु०
मिर्जापुर	२,०१,०००	२४,०००
जौनपुर	४०,०००	१५,०००
गाजीपुर	३३,०००	२०,०००
बलिया	३८,०००	२०,०००
गोरखपुर	२,०९,०००	३४,०००
देवरिया	३,०५,०००	२२,०००
बस्ती	४९,०००	४४,०००
आजमगढ़	१०,०००	१०,०००
नैनीताल	१,६२,०००	४९,०००
अल्मोड़ा	३,०००	३२,०००
टेहरी-गढ़वाल	१०,०००	५२,०००
गढ़वाल	२४,०००	३७,०००
लखनऊ	१४,६१,०००	२,८४,०००
उन्नाव	२,५६,०००	१४,०००
रायबरेली	६७,०००	२६,०००
सीतापुर	२,९०,०००	२९,०००
हरदोई	१,८१,०००	३३,०००
खीरी	७९,०००	२३,०००
फैजाबाद	२,४२,०००	२९,०००
गोंडा	८०,०००	३,०००
बहराइच	८,०००	५६,०००
सुल्तानपुर	१७,०००	२६,०००
प्रतापगढ़	४,०००	७,०००
बाराबंकी	२,१०,०००	५६,०००
योग ..	२,२४,६८,०००	३१,३९,०००

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १६९ एल० ए०—१९५४—८५० ।